लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र]

Fourth Session

[खंड 15 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 38, शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1968/16 चैत्र, 1890 (शक)
No. 38, Friday, April 5, 1968/Chaitra 16, 1890 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1079. निजाम हैदराबाद	Nizam of Hyderabad ..	1071—1076
1095. संस्कृत अनुसंधान परियोजना	Sanskrit Research Project ..	1076—1080
1098. हुगली नदी का तलकर्षण	Dredging in River Hooghly ..	1080—1082
1100. संशिक्षकीय एवं शिक्षकोचित (ट्यूटोरियल एण्ड प्रिसप्टोरियल योजना)	Tutorial and Preceptorial Scheme ..	1082—1085
1101. हरियाणा में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English in Haryana ..	1085
1102. प्रधान मंत्री के साथ मिजो पहाड़ी नेताओं की भेंट	Mizo Hill Leaders' Meeting with Prime Minister ..	1086—1088
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1078. कोयना तथा पूना में भूकम्प के झटके	Earthquake Tremor in Koyna and Poona..	1088
1080. कच्छ में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pak Nationals in Kutch ..	1088—1089
1081. विमान सेवाओं को चलाने के लिए जम्बिया सरकार की प्रार्थना	Request by Zambia to operate their Airlines ..	1089
1082. इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Allahabad High Court ..	1089

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1083. माओ के चित्रों का वितरण	Distribution of Mao's Pictures ..	1089—1090
1084. राष्ट्रीय शिक्षा नीति	National Education Policy	1090
1085. दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order in Delhi	1090
1086. विदेशों में बने हथियारों का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign-made Weapons ..	1090—1091
1087. नई दिल्ली स्थित भारतीय औद्योगिकीय संस्था के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Staff of I.I.T., New Delhi ..	1091
1088. बल्गारिया में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन	International Youth Conference to be held in Bulgaria ..	1091
1089. कुमायूं डिवीजन में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा	Illegal Occupation of Government Land in Kumaon Division ..	1092
1090. भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ विलय	Merger of Indian Frontier Administrative Service with the Indian Administrative Service ..	1092
1092. जम्बो जैट विमान खरीदने के लिए ऋण	Loan for Purchase of Jumbo Jets ..	1093
1093. भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा अधिकारियों का चयन	Selection of I. F. A. S. Officers ..	1093
1094. ऋषिकेश में हिप्पी संगठन	Hippies' Organisation in Rishikesh ..	1093—1094
1096. बिहार इन्जीनियर्स	Bihar Engineers ..	1094
1097. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में गैर-वैज्ञानिक	Non-Scientists in C. S. I. R. ..	1094—1095
1099. विमान यात्रा के किराये में रियायत	Concession of Air Fares ..	1095
1103. मैक्सिको अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता	Mexico Olympics ..	1095—1096
1104. मद्रास में बनी हिन्दी फिल्में	Hindi Films Produced in Madras ..	1096
1105. हरियाणा सरकार के कर्मचारी	Haryana Government Employees ..	1096—1097
1106. विज्ञान के विषयों में आनर्स की शिक्षा	Honours Education in Science Subjects ..	1097

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6429. दल-बदल सम्बन्धी संसदीय समिति	Parliamentary Committee on Defections ..	1097—1098
6430. इंजीनियर	Engineers ..	1098
6432. पुस्तक बिक्रेताओं को सहायता	Assistance to Booksellers ..	1098—1099
6433. भुवनेश्वर में उड्डयन क्लब	Flying Club, Bhubaneswar ..	1099
6434. पुरी में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान	Special Police Establishment, Puri ..	1099—1100
6435. कनिष्ठ तकनीकी स्कूल	Junior Technical Schools ..	1100
6436. उड़ीसा में प्रदर्शन कक्ष (आडीटोरियम)	Auditoria in Orissa Schools ..	1100
6437. अमृतसर सीमा के पास भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Pak Intrusions in Amritsar Border ..	1100—1101
6439. राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Help to the Political Sufferers ..	1101
6440. मेरठ (उत्तर प्रदेश) में तर्चा-समाना सड़क	Tarcha-Samana Road in Meerut (U.P.) ..	1101
6441. कोंकण स्टीमशिप सेवा	Konkan Steamship Service ..	1101—1102
6442. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर	Central Government Employees Co-operative Store ..	1102
6443. उड़ीसा और आन्ध्र-प्रदेश के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद	Orissa and Andhra Pradesh Border Dispute ..	1102
6444. विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया व्यय	Expenditure Incurred by Universities ..	1102—1103
6445. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन	Tourism in Andaman and Nicobar Islands	1103
6446. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बड़े बन्दरगाह का विकास	Development of a Major Port in Andamans and Nicobar ..	1103
6447. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्	National Council of Educational Research and Training ..	1104
6448. दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	1104

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6449.	पिस्तौल बनाने वाला बिना लाइसेंस प्राप्त कारखाना	Unlicensed Pistol Factory ..	1105
6450.	नई दिल्ली में कार चोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Car Lifters in Delhi ..	1105
6451.	केन्द्रीय सूची में प्राथमिक शिक्षा	Primary Education on Central List ..	1105—1106
6452.	पंडित दीन दयाल उपाध्याय का निधन	Death of Pandit Deendayal Uppadhayaya	1106
6453.	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में संशोधन	Amendment of Section 420 of Indian Penal Code ..	1106—1107
6454.	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के लिए उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa for Ex-INA personnel	1107
6455.	पश्चिमी बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के प्रशासनिक कर्तव्य	Administrative Duties of the Speaker, West Bengal Legislative Assembly ..	1107
6456.	पांडिचेरी में औरोविल्ले	Aurovile in Pondicherry ..	1108
6457.	त्रिपुरा में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां	Arrest under Preventive Detention Act in Tripura ..	1108
6458.	बुलन्दशहर तथा औरंगाबाद के बीच सड़क	Road between Bulandshahr and Aurangabad ..	1109
6459.	शरणार्थी अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु	Retirement age of Refugee Teachers ..	1109
6461.	दिल्ली में शिक्षकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य का लाभ देना	Extension of C. G. H. S. to teachers in Delhi ..	1109—1110
6462.	महर्षि महेश योगी का ऋषिकेश में स्थित आश्रम	Ashram of Maharishi Mahesh Yogi at Rishikesh ..	1110
6463.	ग्वाल-पाड़ा में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak Intrusions in Goalpara ..	1110—1111
6464.	गांजा और चरस के सेवन को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of use of Ganja and Charas	1111
6465.	हिप्पी और बीटल लोगों की गिरफ्तारियां	Arrest of 'HIPPIES' and 'BEATLES' ..	1111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6466. अश्लील साहित्य	Obscene Literature	1112
6467. उत्तर प्रदेश में बसे अन्य राज्यों के लोग	Persons of other States settled in U. P. ..	1112
6468. उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत अपीलें	Appeals Pending in Supreme Court ..	1112—1113
6469. गांवों में साक्षरता आन्दोलन	Literacy Drive in Villages	1113
6470. उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले	Cases pending in High Courts ..	1113—1114
6471. जहाजों के लिये डीजल इंजनों का आयात	Import of Diesel Engines for Ships ..	1114
6472. चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees in Chandigarh	1114
6473. दिल्ली न्यायालय में लम्बित दीवानी तथा फौजदारी के मामले	Civil and Criminal Cases pending in Delhi Courts ..	1114—1115
6474. दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi ..	1115
6476. भारतीय निर्यातकर्त्ताओं के लिये भाड़े की दरों में रियायत	Concession in Freight Rates for Indian Exporters ..	1115—1116
6477. इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश	Admission in Engineering Colleges ..	1116—1117
6478. कानपुर में पर्यटकों के अभिरुचि वाले स्थान	Places of Tourist Interests in Kanpur ..	1117
6479. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रहार	Assault on Supreme Court Judges ..	1117—1118
6480. केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47	National Highway No, 47 in Kerala	1118
6481. भारतीय नागरिकता प्राप्त पाकिस्तानी	Pak Nationals Granted Indian Citizenship	1118—1119
6482. भारत-पाकिस्तानी सीमा पर गिरफ्तारियां	Arrests on Indo-Pak Border ..	1119
6483. हिन्दी में प्रशिक्षण के लिये वेतन वृद्धि	Increments for Training in Hindi ..	1119—1120
6484. बिहार में एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of a Pak Spy in Bihar ..	1120

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6485. दिल्ली की हरिजन बस्ती	Harijan Basti, Delhi ..	1120
6486. सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का दिया जाना	Grant of Annual Increments to Government Employees ..	1121
6487. कालेज शिक्षा	College Education	1121
6488. राष्ट्रीय युवक संगठन को मान्यता	Recognition to National Youth Organisation ..	1122
6489. अन्तर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन	International Youth Conference	1122
6490. नैतिक शिक्षा	Moral Education ..	1122
6491. कालिकट हवाई अड्डा	Calicut Airport ..	1122—1123
6492. पश्चिम बंगाल में नजरबन्द लोगों को रिहा करना	Release of Persons in Detention in West Bengal ..	1123—1124
6493. बस्तर का भूतपूर्व नरेश	Ex-Ruler of Bastar	1124
6494. सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force ..	1124—1125
6495. सीमा सुरक्षा सेना (बल)	Border Security Force ..	1125
6496. त्रिपुरा में मारे गये उत्तर प्रदेश पी० ए० सी० के जवान	Jawans of PAC of U. P, killed in Tripura	1125
6497. त्रिपुरा में पुल को आग लगाना	Bridge set on fire in Tripura ..	1125—1126
6498. गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों को पढ़ाना	Coaching of Students during Summer Vacations ..	1126
6499. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to I. A. C. Employees ..	1126—1127
6500. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति	Promotion of Class IV Employees to Class III ..	1127
6501. दिल्ली के अध्यापकों को वेतनों का भुगतान न होना	Non-payment of Salaries for Delhi Teachers ..	1128
6502. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	Technical Teachers' Training Programme	1128—1129
6503. पश्चिम बंगाल में गदुआर क्षेत्र में इश्तहार	Posters in Duars Area of West Bengal ..	1130

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

6504. इंजीनियरों को रोजगार	Jobs to Engineers	1130
6505. भारत में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की सेवा शर्तें	Service Condition of Primary Teachers in India ..	1130—1131
6506. ओरिएन्टल पुस्तकालय, रामपुर	Oriental Library, Rampur ..	1131—1132
6507. दिल्ली परिवहन के छुट्टी दिवस भ्रमण टिकट	Holiday Excursion Ticket of D. T. U. ..	1132
6508. दिल्ली में प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक स्कूल	Private Higher Secondary Schools in Delhi ..	1132—1133
6509. दिल्ली के अध्यापकों को सुविधायें	Facilities to Delhi Teachers ..	1133
6510. कच्छ में पाकिस्तानी लोग	Pakistanis in Kutch ..	1133
6511. विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम	Medium of Instructions at University Stage ..	1133—1134
6512. नेफा में विमानों द्वारा अनाज भेजे जाने के लिये मालवाही जहाज निगम	Freighter Corporation for Food Dropping in NEFA ..	1134
6513. भारत में पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals in India ..	1134
6514. संविधान का अनुच्छेद संख्या 356	Article 356 of the Constitution	1135
6515. अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 7	Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 ..	1135—1136
6516. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री	Sale of Consumer Goods in Andaman and Nicobar Islands ..	1136
6517. कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकाबरी ट्रेडिंग कम्पनी	Car Nicobar Trading Co. & Nancowirle Trading Co. ..	1136—1137
6518. हिन्दी टाइपराईटिंग प्रशिक्षण के लिये अग्रिम वेतन वृद्धियां	Advance Increments for Training in Hindi Typewriting ..	1137—1138
6519. कलकत्ता के जहाजी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Marine Employees, Calcutta ..	1138
6520. विश्वविद्यालय मानी जाने वाली शिक्षा संस्थायें	Institutions deemed to be Universities ..	1138

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
6521. पटना जंक्शन तथा पटना सिटी रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना	Renaming of Patna Jn. and Patna City Railway Stations ..	1139
6522. चण्डीगढ़ में दुकानों को गिराया जाना	Demolition of Shops in Chandigarh ..	1139
6523. गैर-सरकारी प्रबन्धाधीन स्कूलों/कालेजों के आध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान	U. G. C. Grades of Pay to Teachers of Privately managed schools/Colleges ..	1139—1140
6524. भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण	Linguistic Survey of India ..	1140
6525. आसाम की लचित सेना के साथ फिजो का सम्पर्क	Phizo's contact with Lachit Sena of Assam ..	1140
6526. गोहाटी के उपद्रवों में प्रयुक्त विस्फोटक	Explosives used in Gauhati Riots ..	1140—1141
6527. दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना	Suspension of Policemen in Delhi ..	1141
6528. कलकत्ता में सायरन	Sirens in Calcutta ..	1141
6529. केन्द्रीय स्कूल, एरणाकुलम	Central School, Ernakulam ..	1142
6530. कोठारी आयोग की सिफारिशें	Kothari Commission Recommendations ..	1142
6531. पर्यटन के विकास के लिये प्रचार	Publicity for the Development of Tourism	1142—1143
6532. पर्यटन का विकास	Development of Tourism ..	1143
6533. अहोम ताई मंगोलिया स्टेट कौंसिल, आसाम	Ahom Tai Mongolia State Council, Assam ..	1143
6534. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में अपहरण का मामला	Kidnapping Case in R. K. Puram, New Delhi ..	1144
6536. कृत्रिम वर्षा का प्रयोग	Artificial Rain Experiment ..	1144
6537. रेड फ्लेग पार्टी की गतिविधियां	Activities of the 'Red Flag Party'	1145
6538. महाराष्ट्र की शिक्षा संस्थानों को अनुदान	Grant to Educational Institutions, Maharashtra ..	1145

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 अप्रैल, 1968/16 चैत्र, 1890 (शक)
Friday, April 5, 1968/Chaitra 16, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

निजाम हैदराबाद

*1079. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम की लड़की शहजादी पाशा की ओर से शिकायतें तथा निजी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान निजाम ने स्वर्गीय निजाम के 'गुप्त' धन को सरकारी अधिकारियों से छिपाने तथा निरीक्षण से बचाने के लिये चोरी-चोरी कहीं अन्यत्र छिपा दिया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग की जांच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार को शहजादी पाशा से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। उसे कुछ अन्य पत्र मिले हैं जिनमें निजाम द्वारा आभूषणों के गुप्त निपटान के आरोप लगाए गये हैं। सरकार ने इन आरोपों को निराधार पाया है।

(ख) तथा (ग). इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग से जांच करने को नहीं कहा गया है।

श्री एम० एन० रेड्डी : जैसा कि आपको मालूम है, स्वर्गीय निजाम का 24 फरवरी, 1967 को देहावसान हो गया था, और उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही घंटों के अंदर आन्ध्र प्रदेश

सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव श्री अनन्तरामन ने पुलिस को यह गुप्त हिदायत दे दी कि वह किंग कोठी पैलेस में धन तथा अन्य सम्पत्ति की रक्षा के लिए वर्तमान निजाम को संरक्षण दे । ऐसी हिदायतें देने के लिये उन्होंने केन्द्रीय सरकार से प्राप्त प्राधिकार का उल्लेख किया और उन्हीं के शब्दों को यहां उद्धृत करता हूं :

'अतः भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम नवाब मुकर्रम जा बहादुर की सहायता के लिये जोकि भारत सरकार द्वारा निजाम की सम्पत्ति की अभिरक्षार्थ निजाम के उत्तराधिकारी माने गये हैं, उठाये जा रहे हैं और पुलिस के महा-निरीक्षक.....' आदि ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र उनकी मृत्यु के तीन दिन बाद 27 फरवरी, 1967 को जारी किया गया है और राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने कोई ऐसी हिदायतें जिनका मुख्य सचिव ने उल्लेख किया है नहीं दी थीं। पर केन्द्रीय सरकार की तथाकथित हिदायतों का बहाना लेकर मुख्य सचिव ने वर्तमान निजाम को पुलिस संरक्षण दिया जिससे उन्हें 24 फरवरी से 27 फरवरी के तीन चार दिन के समय में निजाम की समस्त अनगिनत सम्पत्ति वर्तमान किंग कोठी पैलेस से ले जाने में सहायता मिल गयी । माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करें कि क्या केन्द्रीय सरकार ने संरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को कोई ऐसी हिदायतें दी थीं जैसा कि मुख्य सचिव ने बताया है और यदि यह सच नहीं है तो जिन अधिकारियों ने यह सम्पत्ति ले जाने में निजाम की सहायता की केन्द्रीय सरकार उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य ने बड़ा ही पेचीदा सवाल पूछा है। भारत सरकार से प्राप्त कुछ हिदायतों के आधार पर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये कतिपय वक्तव्यों का अभी वह हवाला दे रहे हैं ।

Shri George Fernandes : This may please be laid on the Table of the House.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जिन तथ्यों का हवाला दिया गया है जब तक उनके बारे में मैं पूरी तरह नहीं जान लेता तब तक मैं उनके बारे में हां या न नहीं कह सकता ।

Shri George Fernandes : It is, therefore, required to be laid on the Table of the House.

श्री एम० एन० रेड्डी : मैंने उन लिखित हिदायतों का उल्लेख किया है जोकि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव के परिपत्र में छपी हैं और जिसमें मुख्य सचिव ने केन्द्रीय सरकार से प्राधिकार मिलने के बारे में बताया है । मैं इस सरकारी पत्र को सभा-पटल पर रखने की अनुमति मांगता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-821/68**]

जुलाई, 1967 में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आन्ध्र प्रदेश के विधान सभा के कुछ सदस्य और शहजादी पाशा की ओर से कुछ वकील सम्मिलित थे, दिल्ली आया था और माननीय गृह-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री के सम्मुख करोड़ों रुपये की निजाम की सम्पत्ति का ब्योरा रखा

और पूरे मामले की जांच कराने का निवेदन किया था। उसने वर्तमान निजाम द्वारा सम्पत्ति को छिपाये जाने की तारीखें और स्थानों के बारे में भी जानकारी दी थी। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अब इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई जांच कराने को तैयार हैं ताकि देश भर में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान निजाम और केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं उन सभी को हमेशा के लिये दूर किया जा सके।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अनुचित रहेगी और कोई जांच कराने का कोई आश्वासन देने का प्रश्न है। पर यदि माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी है तो मैं उसका अवश्य ही स्वागत और उस पर गौर करूंगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने इसी की महत्ता को समझ लिया है और उन्होंने सदस्य महोदय से यह जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कहा है। क्या भारत सरकार को अपने सूत्रों से यह मालूम है कि निजाम ने सम्पत्ति और उन दस्तावेजों को, जो भारत सरकार को प्रमाणयुक्त और मूल्यवान सिद्ध हो सकते थे, लेने का प्रयास किया था और क्या यह जानकारी भारत सरकार को किसी अन्य सूत्र से मालूम हुई और यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यही बात मैंने कही थी। कुछ आरोप लगाये गये थे और हमने उनके बारे में तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न किया। पर ये आरोप आधारहीन सिद्ध हुए। लेकिन अगर किसी के पास कोई जानकारी है और वे मुझे यह जानकारी दे सकते हैं तो मैं उस पर गौर करूंगा।

Shri George Fernandes: A suit was filed in this case in Andhra Pradesh High Court who gave his judgement thereon about one and a half month back on 29th January, 1968. In the certificate which was issued by the Central Government to the present Nizam on 27th February, 1967, he was recognised as new Nizam and secondly, the entire property of the former Nizam was transferred to him. The court has stated in his judgement on this certificate that:

'हम याचिका को खर्चे के साथ मंजूर करते हैं और निजाम को जो कि इस मामले के प्रतिवादी हैं, दिया गया दिनांक 27-2-1967 का प्रमाण-पत्र रद्द करते हैं।'

Will the Government state the future of the new Nizam in view of this judgement of the court and whether he is recognised Nizam and how Government committed the mistake of issuing this certificate while different High Courts and the Supreme Court had given clear judgements that the private property of any Raja-Maharaja or Nizam would not be transferred to his successor?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है और मुझे बताया गया है कि इस मामले को उससे ऊंचे न्यायालय में ले जाने का

निजाम का विचार है । स्वाभाविक ही है कि इस मामले पर न्यायालय जो कुछ भी निर्णय देगा आखिरकार वही माना जायेगा ।

Shri George Fernandes : What stand Government propose to take? Whether he is recognised Nizam or not since the court has squashed the certificate? Secondly, when there are already judgements given 25 years back that Government has no right to transfer the private property of State rulers, how Government committed this mistake?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सदस्य महोदय ने इस मामले में कुछ कानूनी प्रश्न उठाये हैं । यह सच है कि जिन मामलों में किसी राजा महाराजा की जो प्रिवी पर्स पाने का अधिकारी था निजी सम्पत्ति तय कर दी गई इनमें से अधिकांश मामलों में राष्ट्रपति की ओर से एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था कि वह सम्पत्ति उसकी है और इस वजह से उस पर वैयक्तिक कानून लागू नहीं होगा । मैं इस सारे मामले को संक्षिप्त में बता रहा हूं । यह मामला आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पास ले जाया गया और जहां तक मेरी समझ में आया है उस उच्च न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया है कि इस निजी सम्पत्ति पर वैयक्तिक कानून लागू होना चाहिये । वर्तमान स्थिति यही है । उच्च न्यायालय ने केवल इस बारे में निर्णय दिया है कि क्या ऐसा प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है और क्या यह प्रमाण-पत्र सम्पत्ति पर लागू हो सकता है विशेष रूप से निजी सम्पत्ति पर । इस विषय में मुझे बताया गया है कि निजाम इसका विरोध करने जा रहे हैं और उन्होंने यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास भेज रखा है । इस पर उच्चतम न्यायालय के जो विचार होंगे वही माने जाएंगे ।

श्री चेंगलराया नायडू : स्वर्गीय निजाम संसार में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति थे और जब उनका देहावसान हो गया तो उनके कुछ सगे सम्बन्धियों और वर्तमान निजाम ने उनकी सम्पत्ति हथिया ली । आयकर के अलावा उन्हें मृत्यु कर भी अदा करना है । मुझे बताया गया है कि स्वर्गीय निजाम ने जो सम्पत्ति छोड़ी उन्होंने उसका केवल बहुत थोड़ा मूल्य बताया है । क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करने और सच्चाई का पता लगाने के लिये कहेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने मुख्य उत्तर में दे दिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक मेरी समझ में आया है इस पत्र का जोकि आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री के० एन० अनन्तरामन, आई० सी० एस०, ने 24 फरवरी, 1967 को शहजादी पाशा साहिबा के पास भेजा था, गृह-कार्य मंत्रालय को पता नहीं है । मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप श्री रेड्डी को यह दस्तावेज सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह दस्तावेज सभा-पटल पर रख दिया है । इसलिए अनुमति का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रखने से पहले उन्हें आपकी अनुमति लेनी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह रिकार्ड में शामिल किया जाये या नहीं, छापा जाये और उसकी प्रतियां परिचालित की जायें या नहीं इस बारे में मैं इस पत्र के रखे जाने के बाद निर्णय ले रहा हूं। पत्र सभा-पटल पर रखने के बाद आगे भी कार्यवाही करनी हैं और उस पर बाद में निर्णय लूंगा। पर यह दस्तावेज सभा-पटल पर रखा है और आप उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह दस्तावेज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें से उनका एक वाक्य उद्धृत करता हूं :

'अतः निम्नलिखित कदम जोकि भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार हैं, उठाये जा रहे हैं'; आदि।

गृह-मंत्री ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या ये हिदायतें दी गई थीं। उनमें से एक हिदायत यह थी कि यदि निजाम या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति चाहे तो यहां पर उल्लिखित पांच महलों से जाने वाले व्यक्तियों की पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी ली जानी चाहिए। मुझे बताया गया है कि लगाया गया आरोप, जिसे आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अनेक सदस्यों ने भी लगाया, यह है कि निजाम को दी गई इस शक्ति का कि वह महलों से जाने वाले किन लोगों की तलाशी कराये या नहीं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वहां से भारी मात्रा में सम्पत्ति, जवाहरात आदि को ले जाने के लिये उपयोग किया। यह अफवाह भी है कि इसमें से बहुत-सा सामान तुर्की आदि अन्य देशों को भेजा जा रहा है क्योंकि निजाम को राजनयिक छूट मिली हुई है। इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री यह क्यों कहते हैं कि जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि यह सच है तो मामला निश्चय ही गम्भीर है। इस पत्र के बारे में मैंने कहा है कि इस पर गौर करूंगा क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था। जब तक मैं इस दस्तावेज को नहीं देख लेता मैं हां और न नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा है कि आरोपों की जांच की गई थी, और उन्हें आधारहीन पाया गया। पर यदि आपके पास अधिक जानकारी और अधिक साक्ष्य मौजूद है तो मैं 'न' नहीं कह सकता और उस पर निश्चय ही गौर करूंगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : स्वर्गीय निजाम ने जो सम्पत्ति छोड़ी है वह अनुमानतः कुल कितनी है ? क्या सम्पत्ति कर सम्बन्धी कोई विवरण आपको दिया गया है और कितनी रकम बताई गई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे विचार से यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से किया जाना चाहिये।

Shri Rabi Ray: Mr. Speaker, will the Hon. Minister find out whether this property was not kept only in India but most of it was also removed to foreign countries and whether he would make any enquiry into this matter?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आरोप केवल भारत में रखी गई सम्पत्ति के बारे में था और

यह सम्पत्ति विदेशों में ले जाई जा रही है। क्या उनकी कोई सम्पत्ति विदेशों में भी है यह जानकारी मुझे नहीं है।

Shri Rabi Ray: Then please find out.

Shri Y. B. Chavan: Everything should be found out.

संस्कृत अनुसंधान परियोजना

*1095. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री 1 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष संस्कृत संबंधी अनुसंधान कार्य के लिये कितनी संस्थाओं को सरकार से अनुदान प्राप्त हुए थे; और

(ख) ऐसी संस्थाओं को कुल कितनी राशि के अनुदान दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). 'परम्परित संस्कृत पाठशालाओं को अनुसंधान-छात्रवृत्ति-पुरस्कार' संबंधी शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत 1966-67 के दौरान देश की 18 संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयी थीं। 1966-67 के दौरान छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का कुल धन केवल 1,58,969.00 रुपये है। यह धन शिक्षा मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चार संस्थाओं को दिए गए 2,13,000.00 रुपये के अनुदानों और 1966-67 के दौरान संस्कृत की विभिन्न अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दो संस्थाओं को दिए गए 1,15,000.00 रुपये के अनुदानों के अतिरिक्त है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये अनुदान भारत के अलग-अलग राज्यों में बांट दिये जाते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह राज्यवार आधार पर नहीं हैं वरन् यह देश में स्थित संस्थाओं के अनुसार दिये जाते हैं। चूंकि यह अनुदान संस्थाओं को दिये जाते हैं इसलिये इस सम्बन्ध में राज्यवार जानकारी देना सम्भव नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जिन संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं मैं उनके नाम जानना चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : इस समय देश में संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। इसके अलावा तिरुपति में एक संस्कृत संस्था है और दिल्ली में लालबहादुर शास्त्री संस्कृत संस्था है। ये मुख्य संस्थाएं हैं जिन्हें ये धनराशि देकर हम सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर छोटे-छोटे अनुदान दूसरी संस्थाओं को जहां संस्कृत पढ़ाई जाती है, दिये जाते हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : प्रत्येक ऐसी संस्थाओं को जो धनराशि दी गई मैं उसे ठीक-ठीक मालूम करना चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने बड़ी रकमें तो बता दीं, पर ब्योरे के लिए मुझे समय चाहिये।

श्री रा० कृ० सिंह : अयोध्या संस्कृत शिक्षा का महान केन्द्र है और वहां पर ऐसी अनेक संस्थायें हैं। क्या कोई छात्रवृत्ति अयोध्या को जोकि श्रीराम की जन्मभूमि है, दी जा रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं मानता हूं कि अयोध्या जो भगवान रामचन्द्र की जन्मभूमि है, शिक्षा का महान केन्द्र है, लेकिन जहां तक संस्कृत का सम्बन्ध है, वह वहां नहीं है।

Shri Meetha Lal: Mr. Speaker, may I know the names of institutions in Rajasthan and the amounts given to them during 1967-68 and the amounts allocated for them during 1968-69.

Shri Bhagwat Jha Azad: As I have stated I am not in a position now to tell the State-wise details of the amounts given.

श्री दी० चं० शर्मा : संस्कृत परियोजना के लिए किसी विश्वविद्यालय या संस्था को जो रकम दी जाती है सबसे अधिक और सबसे कम कितनी है ?

श्री भागवत झा आजाद : श्री सूपकार ने अपने एक प्रश्न में प्रत्येक संस्था के बारे में जानकारी पूछी थी। मैं इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे सकता हूं जिससे माननीय सदस्य के प्रश्न का भी कुछ उत्तर मिल सकता है। दक्षिण कालेज, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्था, पूना, को ऐतिहासिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में संस्कृत शब्दकोष के संकलन सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना के लिए 1966-67 में 1.50 लाख रुपये और 1968 में 2.30 लाख रुपये दिये गये, भण्डारकर प्राच्य अनुसंधान संस्था, पूना, को हरिवंश का आलोचना सहित संस्करण और महाभारत के आलोचना सहित संस्करण के अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए 1967 में 0.24 लाख रुपये और 1967-68 में 0.24 लाख रुपये दिये गये थे। इसी प्रकार कृष्णार्जुन का संकलन तैयार करने तथा उसके छपवाने आदि के लिए वैदिक संशोधन मण्डल, पूना को 1967 में 0.17 लाख रुपये और 1968 में 0.17 लाख रुपये दिये गये थे। सरकारी साहित्य कालिज, कलकत्ता, को 1967 में 0.15 लाख रुपये और 1968 में 0.67 लाख रुपये दिये गये थे।

श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब को कोई स्थान नहीं दिया गया।

श्री एस० कण्डप्पन : संस्कृत के विकास तथा अध्ययन का काम सारे देश में फैला हुआ है और कुछ विदेशों में जैसे कि बर्लिन तथा अमरीका में अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह काम किया जा रहा है। इस देश में एक स्वस्थ परम्परा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न स्थानों पर चल रहे कार्य को समेकित करने के लिए सरकार ने कोई विशद योजना बनाई है ताकि यह काम दुहरा न हो। अनेक पांडुलिपियां ऐसी हैं जिन तक प्रकाश भी नहीं पहुंचा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बानाई है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं कि संस्कृत का लम्बा चौड़ा इतिहास और उसकी दीर्घकालीन परम्परा है और उसका साहित्य भारत में ही नहीं वरन् संसार के अन्य भागों में भी फैला हुआ है जैसे कि बर्लिन आदि। अत: उस पर अधिक खर्चा करना चाहिये। संस्कृत अध्ययन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड इसकी देखभाल रखता है।

श्री एस० कण्डप्पन : इस कार्य के समन्वय के बारे में क्या स्थिति है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपसे सहमत हूं ।

Shri Nar Deo Snatak : May I know the amounts of financial assistance and the names of Sanskrit Scholars to whom such assistance was given ?

Shri Bhagwat Jha Azad: Now I am not in a position to state the names of such Sanskrit Scholars.

श्री स्वैल : ये संस्थाएं किस प्रकार का अनुसंधान कार्य कर रही हैं । विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि भाषा कठिनाई को दूर करने के लिए संस्कृत को राष्ट्रीय सरकारी भाषा बनाने की दृष्टि से क्या संस्कृत के आधुनिकीकरण की सम्भावनाओं का अनुसंधान करने को इन संस्थाओं से कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से शिक्षा मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे ।

श्री स्वैल : संस्कृत एक भाषा है ।

अध्यक्ष महोदय : पर शिक्षा मंत्री इसे सरकारी भाषा नहीं बना सकते ।

श्री स्वैल : लेकिन वह यह तो बतायें कि ये संस्थाएं क्या अनुसंधान कार्य कर रही हैं ।

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, Sanskrit had been the national language of India during Gupta dynasty. What is the policy of the Government in regard to Sanskrit, whether they will adopt the saying 'is the killed one named Aswathama a man or an elephant' or they will give some assistance for the promotion of Sanskrit.

Shri O. P. Tyagi: Whether attention of Government has been drawn to the fact that ancient scriptures like Vedas contain treasures of knowledge. On the one hand they contain points of social advancement, and on the other hand they also contain a lot of scientific knowledge. Whether Government have established any research centre or such an institute where the scholars knowing Science and Sanskrit both may conduct the research of these scriptures and may bring new things into light for Government ?

Shri Bhagwat Jha Azad: At present we are doing the work in the field of Sanskrit through various institutions in the country. In addition to the institutions mentioned by me just now there are other institutions also such as M. S. University, Baroda, which is publishing Gaekwarh Oriental Series, Varanasi Sanskrit University where research is being done in Yoga, Tantras, Political Science and Economics. I agree with you that we must make efforts to do research of these old books which are full of Scientific knowledge.

Shri O. P. Tyagi: I had asked whether the research was being done by Sanskrit Scholars only. I think that the Scholars in the field of Sanskrit and Science both should be appointed for this work.

Shri Yamuna Prasad Mandal: Whether the Hon. Minister is aware of the fact that much less financial assistance is being given to the famous institution named Kameshwar Singh Sanskrit University, Darbhanga, for research work. Whether he would consider to increase the amount. Sanskrit is popular in this region and there are many Sanskrit Pathsalas in important villages. Many persons who have studied philosophy etc. are working in this University.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Whether the Hon. Minister is aware of the fact that the old income resources of Sanskrit institutions whether old and newly established, have dried up after independence and as a result thereof they are facing critical situation? May I hope from the Government that they would take any special measures with a view to revive them and to make them financially strong.

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have already stated, at present we make these efforts through the Central Board of Sanskrit Studies in India. Wherever it is possible and necessary to extend Central Assistance, it is made available to all such pathshalas. Although it is correct that the amount of such assistance should be increased and more expenditure should be incurred on them, but at present we are spending as much as we can do so.

Shrimati Lakshmikantamma : Max-Muller has said that Sanskrit is the mother of all Indian languages and even foreigners want to study it. Whether Government would propagate it with the help of various institutions and vedic scholars?

Shri Bhagwat Jha Azad : I agree to it.

श्री जी० भा० कृपालानी : मंत्री महोदय ने कहा है कि योग के बारे में कुछ अनुसंधान कार्य वाराणसी में किया जा रहा है। क्या वह कुछ विद्यार्थियों को महेश योगी के पास जिनकी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है, योग सीखने के लिए भेजने पर विचार करेंगे ?

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि विभिन्न संस्थाएं, जिन्हें अनुदान मिल रहा है, संस्कृत के बारे में अनुसंधान कर रही हैं। मैं श्री स्वैल के द्वारा पूछे गये प्रश्न एक दूसरे रूप में पूछ रहा हूं । श्री पी० सी० राय द्वारा जो पहला अनुसंधान किया गया वह हिन्दू रसायन विज्ञान के बारे में था और उनकी पहली पुस्तक का नाम हिन्दू रसायन विज्ञान का इतिहास था जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली उसके बाद श्री जे० सी० बोस ने जो प्रसिद्ध अनुसंधान किया वह संस्कृत वाङ्मय से ही किया गया था और वह पौधों तथा वस्तुओं में प्राण होने के बारे में था जो उन्हें संस्कृत के दो कथनों से मालूम हुआ।

इस प्रकार, भारत में आधुनिक विज्ञान के महान प्रणेताओं को संस्कृत वाङ्मय से ही अपने अनुसंधान की कुंजी मिली थी। क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सिद्धान्तों पर ये अनुसंधान कार्य किये गये क्या उन्हीं पर अनुसंधान किया जा रहा है ताकि आधुनिक वैज्ञानिक जो आज आधुनिक अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं प्राचीन विद्वानों के और संस्कृत में सुरक्षित ज्ञान भण्डार का लाभ उठा सकें।

श्री भागवत झा आजाद : इस कार्य के गुणों का सदस्य महोदय ने जो उल्लेख किया उस पर मैं कुछ कहने में अक्षम हूं। वह संस्कृत साहित्य के बारे में बता सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम इसे संस्कृत अध्ययन सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड को विचारार्थ सौंप सकते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा की भारतीय पद्धति सम्बन्धी सभी साहित्य संस्कृत में लिखा हुआ है और क्या उसके बारे में अनुसंधान करने के लिये किसी संस्था से कोई प्रार्थनापत्र मिला है।

श्री भागवत झा आजाद : पहली बात से मैं सहमत हूं पर दूसरी बात के बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा।

हुगली नदी का तलकर्षण

*1098. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह के आस पास अधिक अच्छी जहाजरानी के लिए हुगली नदी पर काबू पाने का प्रयोग सफल रहा है तथा क्या ऐसी सम्भावना है कि कलकत्ता बन्दरगाह बारह महीने नौगम्य हो जायेगा ;

(ख) क्या तलकर्षण कार्य योजना के अनुसार चल रहा है ; और

(ग) तलकर्षण कार्य तथा कलकत्ता बन्दरगाह को नौगम्य बनाये रखने के लिये प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कलकत्ता पत्तन के लगभग निकट श्रेष्ठतर नौचालन के लिए प्रयोग और निर्माणकार्य प्रगति पर है और फरक्का बांध परियोजना के पूर्ण हो जाने पर ही सब निर्माणकार्य पूर्णतः क्रियान्वित किये जा सकेंगे। हुगली और फरक्का बांध परियोजना पर अवेक्षित सुधार-कार्यों के पूर्ण हो जाने पर कलकत्ता पत्तन 26 फीट डुबाव के पोतों के लिये वर्ष भर नौगमन योग्य हो जायेगा।

(ख) निकर्षण परिचालन योजना के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) पोतों के लिये नौगमन योग्य रखने की दृष्टि से हुगली नदी में निकर्षण परिचालन के लिये किया गया वार्षिक व्यय इस प्रकार है :

रुपये लाख में

वर्ष	नदी रख रखाव	पत्तन निकर्षण	नदी निकर्षण
1964-65	158.2	127.4	169.0
1965-66	179.3	143.8	186.1
1966-67	223.9	192.6	257.8

श्री स० चं० सामन्त : कलकत्ता बन्दरगाह के पास इस समय कितने तलकर्षक यंत्र हैं और उनमें से कुछ यंत्र अन्य बन्दरगाहों को उनके काम के लिए उधार दिये जाते हैं और इसलिए तलकर्षण के बारे में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस समय कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्तों के पास 6 तलकर्षक यंत्र हैं। किसी अन्य बन्दरगाह को ये यंत्र नहीं दिये गये हैं। इन में से मोहाना तलकर्षक यंत्र का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा जोकि 1965 में खरीदा गया था और यह विशालकाय मुहाना तलकर्षक यंत्र है जिसकी लागत 250 लाख रुपये है और इससे हुगली में तलकर्षण किया जाता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि हुगली में लगातार तलकर्षण के बावजूद भी आने तथा जाने वाले कुछ जहाज जमीन में फंस गये हैं और यदि हाँ, तो क्या इनके निकालने का कार्य करने का विचार है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे जमीन में किसी जहाज के फंस जाने का पता नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा हो जायेगा तो उन्हें निकालने का काम अवश्य किया जायेगा । जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है यह समस्या तब तक संतोषजनक ढंग से हल नहीं हो सकती जब तक कि फरक्का बांध परियोजना पूरी नहीं हो जाती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हुगली की नौगम्यता के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए प्राक्कलन समिति ने बहुत पहले यह सिफारिश की थी कि तलकर्षण पर आने वाले खर्चे को बन्दरगाह के आयुक्तों के सिर से हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार गम्भीरता से विचार करे और इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने ऊपर ले । पहली बात मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि इस सिफारिश पर अमल के लिए क्या किया गया है । दूसरे, क्या यह सच है कि अनेक तलकर्षक यंत्रों का उपयोग करने के बावजूद भी यह कार्य ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि नदी के तल से जो भी कीचड़ निकाली जाती है उसे पम्प द्वारा बाहर फेंकने के बजाय फिर नदी में ही डाल दिया जाता है ? तलकर्षण का पुराना तरीका जिसकी जगह अब नया तरीका निकल आया है अब भी अपनाया जा रहा है । यानी कीचड़ निकालकर नदी में किसी दूसरे स्थान पर फेंक दी जाती है और काफी इकट्ठा हो जाने पर उसे भी फिर निकाला जाता है । क्या तलकर्षण का आधुनिक तरीका अपनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कीचड़ को पम्प से बाहर फेंक दिया जाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : पहले प्रश्न के बारे में सरकार ने एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष श्री पी० सी० भट्टाचार्य, रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर हैं और सदस्य महोदय ने जो बात उठाई है उसके बारे में विशेष रूप से तथा कलकत्ता बन्दरगाहों के आयुक्तों की वित्तीय स्थिति की जांच करेगी । मुझे आशा है कि जैसे ही समिति की सिफारिशें मिल जायेंगी वैसे ही शीघ्र सरकार इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेगी । मुझे खेद है कि यह चीज पहली बार मेरी जानकारी में लाई गई है । मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा और देखूंगा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister just now stated that after the completion of Farraka Barrage more water will be available to flush out the silt. In view of the fact that water level is directly related to sea level, how will this constant flushing out of silt be possible from the Hooghly ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच करनी होगी । मैं तो यह समझ पाया हूं कि फरक्का परियोजना के पूरा होने के पश्चात मिट्टी रहित पानी भागीरथी में डाल दिया जायेगा और वह मिट्टी को निकाल सकेगा । नदी के किनारों पर

मिट्टी जमा होने की समस्या का समाधान करने के लिये हमने कलकत्ता से 60 मील नीचे की ओर हाल्दिया गोदी का कार्य आरम्भ कर दिया है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खुश्क मौसम में हुगली नदी के किनारों पर रेत जमा हो जाती है और वहां जहाजों का चलना कठिन हो जाता है । क्या सरकार का विचार हाल्दिया के स्थान पर एक छोटा बन्दरगाह बनाने का है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं पहले ही यह जानकारी सभा को दे चुका हूं कि हाल्दिया गोदी की न केवल योजना ही तैयार कर ली गई है, अपितु इसका निर्माण भी आरम्भ कर दिया गया है । कार्य योजना के अनुसार चल रहा है और आशा है कि यह गोदी मार्च, 1971 तक काम करना आरम्भ कर देगी ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि नदी की तह में से एक स्थान से निकाली हुई मिट्टी के दूसरे स्थान पर जम जाने की जानकारी उन्हें पहली बार दी गई है । किन्तु इस समस्या पर इस सभा में चर्चा हुई थी । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पूर्व अपने विभाग की पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे कर्तव्यों के बारे में मुझे बताने के लिये मैं अपने मित्र का बड़ा आभारी हूं ।

श्री रंगा : माननीय मंत्री के इस उत्तर पर मुझे आपत्ति है । हम यह आशा करते हैं कि प्रत्येक उत्तराधिकारी मंत्री अपने मंत्रालय की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखें । क्या मंत्री महोदय के लिये यह कहना उचित है कि वह अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते ? क्या यह एक उचित उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो यह कहा था कि वह आभारी हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं अपने अर्थशास्त्री मित्र प्रो० रंगा से कुछ सीखना चाहूंगा ।

श्री रंगा : इस पद को छोड़ने के बाद आप मुझसे अर्थशास्त्र के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि उस समय आप सीखने के लिये काफी विनम्र होंगे । इस पद पर रहते हुए आपको उचित व्यवहार करना चाहिए ।

Tutorial and Preceptorial Scheme

+

*1100. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme known as 'Tutorial and Preceptorial' has been introduced in Delhi University ;

(b) if so, the purpose thereof ;

(c) whether a similar scheme is proposed to be introduced in other Central or State Universities ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) संकल्पनीओं (प्रिसेप्टोरियलों) का उद्देश्य, बी०ए० (पास) और बी०एस-सी० पाठ्यक्रमों तथा आनर्स पाठ्यक्रमों के सहायक विषयों के लिए विचार-विमर्श और लिखित कार्य पर आधारित अतिरिक्त अध्ययन द्वारा व्याख्यानों की सामग्री को पूरा करना है। ट्यूटोरियल का उद्देश्य, संसाधनों के उपयोग में, अध्ययन कार्यक्रम के प्रकरण के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, सामग्री का अध्ययन और प्रस्तुतिकरण, स्वतंत्र चिंतन और सक्षम संचार द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचना है और उन्हें बी० ए०/बी० एस-सी० आनर्स और बी० काम० के मुख्य विषयों और एम० ए०/एम० एस-सी०/एम० काम० के लिये लागू किया गया है।

(ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा 38 राज्य विश्वविद्यालयों में पहले से ही ट्यूटोरियल योजना प्रचलित है। शीघ्र ही इसे विश्वभारती विश्वविद्यालय में भी लागू किये जाने की सम्भावना है।

Shri Molahu Prasad : Sir, in view of the fact that this Parliament gets its strength from the villages but the schemes emanating from here do not percolate into the rurul areas, do Government propose to reverse this process, i.e. to start schemes from the villages ? Even the rural universities are not opened in the villages. The schemes relating to the welfare of backward classes are started only in big cities.

डा० त्रिगुण सेन : ग्रामीण संस्थान अधिकांशतः गांवों में ही हैं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा गांवों में ही आरम्भ होती है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली में आरम्भ की गई प्रिसेप्टोरियल और ट्यूटोरियल कक्षाओं से है। यदि इसमें सफलता मिली तो इसे अन्य कालिजों में भी चालू किया जायेगा।

Shri Molahu Prasad : It was reported in the newspapers of 29th January, that the Municipal Corporation of Delhi has drawn a scheme under which it will be obligatory on the part of the parents to send their children of school going age to the schools. Do Government propose to implement this scheme at the national level ?

डा० त्रिगुण सेन : यह एक सांवैधानिक कर्तव्य है कि प्राथमिक शिक्षा न केवल निःशुल्क अपितु अनिवार्य होनी चाहिये। दुर्भाग्य से प्राथमिक शिक्षा को अभी सबके लिये निःशुल्क नहीं

बनाया गया है । ऐसा करने के पश्चात्, निश्चय ही इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिये जैसा कि दिल्ली में किया जा रहा है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इनमें तथा अधिकांश विश्वविद्यालयों में चालू ट्यूटोरियल्ज में क्या अन्तर है ? क्या इस योजना की क्रियान्विति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को कोई विशेष अनुदान दिया जाता है ?

डा० त्रिगुण सेन : 'प्रिसेप्टोरियल्ज' व्याख्यानों के पूरक हैं और इनके अन्तर्गत चर्चायें और लिखित कार्य होता है । इसे बी० ए० और बी० एस-सी० छात्रों के लिये चालू किया गया है । ट्यूटोरियल्ज का उद्देश्य अध्ययन कार्यक्रम के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है । 'प्रिसेप्टोरियल' और 'ट्यूटोरियल' कक्षाओं में बड़ा अन्तर है ।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिसेप्टोरियल कक्षाओं के चालू होने के बाद व्याख्यानों की घंटियां कम कर दी गई हैं और अध्यापकों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ा दी गई है ? क्या यह भी सच नहीं है कि इसका सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ा है ? क्या यह सच है कि अधिकांश कालिजों में बहुत कम लड़के प्रिसेप्टोरियल कक्षा में उपस्थित होते हैं और इस प्रकार यह केवल धन और समय को नष्ट करना ही है । इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या प्रिसेप्टोरियल पद्धति को समाप्त किया जायेगा और इसके स्थान पर ट्यूटोरियल पद्धति को जो अब तक अच्छा कार्य करती रही है, और मजबूत बनाया जायेगा ?

डा० त्रिगुण सेन : ट्यूटोरियल पद्धति तो काजिलों में है ही । पूरक पाठ्य सामग्री के लिये प्रिसेप्टोरियल पाठ्य-क्रम दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में चालू किया गया था । जब योजना तैयार की गई तो इरादा यह था कि एक प्राध्यापक के लेक्चर का समय कम करना होगा और इसके अतिरिक्त उन्हें अनुपूरक पाठ्य-सामग्री में लड़कों को पढ़ाना चाहिये । फिर, जहां तक मेरी जानकारी है जब उन्होंने योजना रखी तो उन्होंने हमें बताया कि अतिरिक्त अध्यापकों पर अधिक पैसा खर्च नहीं होगा ।

Shri Rabi Ray : Since the Delhi University is in the capital itself, most of the Central grants are given to this University. What is the difference between the tutorial, preceptorial and correspondence Courses ? Do Government propose to extend these schemes to other Universities as well ?

डा० त्रिगुण सेन : प्रत्येक विश्वविद्यालय को अध्ययन के तरीकों के सम्बन्ध में प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है । पत्राचार पाठ्य-क्रम में विद्यार्थी को कालिज में उपस्थित नहीं होना पड़ता । उसे प्रश्न भेजे जाते हैं और वह उत्तर देता है । अध्यापकों का एक निकाय इन उत्तरों में वृद्धि करता है । फिर विद्यार्थियों को अनुपूरक पाठ्य-सामग्री दी जाती है ।

श्री कार्तिक ओराओं : क्या भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के लिये सरकार की भिन्न-भिन्न नीतियां हैं या सब विश्वविद्यालयों के लिये एक ही नीति है ?

डा० त्रिगुण सेन : योजनाएं प्रत्येक स्थान पर एक ही हैं। यह विश्वविद्यालयों पर तथा प्राध्यापकों के कार्य पर निर्भर करता है।

श्री विक्रम चन्द महाजन : ट्यूटोरियल पद्धति से विश्वविद्यालयों से जो आप क्लर्क निकाल रहे हैं उनके स्तर में कितना सुधार होगा ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं नहीं समझता कि इससे क्लर्कों के स्तर में सुधार होगा, किन्तु ज्ञान तथा शिक्षा के स्तर में निश्चय ही सुधार होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : यह प्रिसेप्टोरियल पद्धति किस देश से लेकर अपनाई गई है और वहां पर यह पद्धति कैसी रही है ? मैं जानता हूं कि यह पद्धति आक्सफोर्ड और कैम्बरिज से ली गई है और हमारे देश में बहुत असंतोषजनक रही है।

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा मंत्रालय ने इसे नहीं लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में ये तजर्बे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा किये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि यह किस देश से ली गई है। मुझे इसकी जांच करनी होगी।

Use of English in Haryana

*1101. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Haryana Government are using only English for the official work of the State ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by the Central Government in this regard keeping in view the rights and interests of 99 percent Hindi speaking people of Haryana ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Hindi has already been declared as official language by the Government of Haryana. The date from which official work has to be transacted in Hindi has yet to be fixed. In the meantime, preparatory measures are being taken by the State Government.

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know the date from which Hindi is proposed to be used for official purposes in Haryana ?

Shri Vidya Charan Shukla : As stated in reply to the main question no date has been fixed for this purpose. I am sure, after the preliminary work is done by Haryana in this regard, it will embark upon this programme.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Which language is being used at present in the District offices, municipalities and other autonomous bodies in Haryana at present ?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as I know English is still being used in the District offices there. Some months back Haryana Government had written to the District offices to state about the difficulties felt in taking the preliminary steps and the remedies they suggest in that regard. These suggestions are under consideration of the Government.

प्रधान मंत्री के साथ मिजो पहाड़ी नेताओं की भेंट

*1102. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी नेताओं के उस प्रतिनिधि-मण्डल ने जो हाल में प्रधान मंत्री से मिला था, यह सुझाव दिया है कि मिजो पहाड़ी क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). 7 मार्च, 1968 को मिजो राष्ट्रीय संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधान मंत्री से मिला तथा मिजो जिले की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराने के पश्चात् यह निवेदन किया कि आसाम के पुनर्गठन की किसी योजना में उस जिले की विशेष आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर गौर किया जाय। उस प्रतिनिधिमण्डल को यह सूचित किया गया था कि सम्पूर्ण मामले पर अभी विचार किया जा रहा है तथा निर्णय लेते समय उनके विचार सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जायगा।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि मिजो पहाड़ी नेता यह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है और यह कि नियुक्तियों में उनको उचित स्थान नहीं दिया गया है और यही कारण है कि वे एक स्वतन्त्र राज चाहते हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मालूम होता है माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये सीमावर्ती राज्य हमारे देश तथा प्रतिरक्षा के लिये महत्वपूर्ण हैं, उनके सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय क्यों नहीं लिया गया है ? दूसरे, राज्य सरकार के दावों को सरकार प्राथमिकता क्यों देती है और तीसरे, वहां संघ राज्य क्षेत्रीय सरकार स्थापित करके केन्द्रीय सरकार अपना शासन क्यों नहीं जमाती है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन तीनों प्रश्नों से केवल समस्या के महत्व को ही बल मिलता है। हम इन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। फिर भी इस मामले में हमारा प्रयत्न बहुमत प्राप्त करने का होगा और इस मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार कछार जिले को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा देने के लिये तैयार है जैसा कि अन्य पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वह एक अन्य मांग उठा रही हैं मैं समझता हूं कि यह विषय सभा के सामने नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि मिजो पहाड़ी जिले के 700 गांवों में से, किसी पर भी भारतीय सिविल प्राधिकार लागू नहीं होता है, अपितु केवल मुख्यालयों तक ही सीमित है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसा अनुमान लगाना तो बागियों की वकालत करना है। ऐसी बात नहीं है। स्वभावतः कुछ कठिनाइयां हैं जैसे कि संचार सम्बन्धी कठिनाइयां। निश्चय ही बागी लोग क्षेत्र में अचानक सक्रिय होने का प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। यह मैं समझता हूं। किन्तु यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि नागरिक प्रशासन गांवों पर लागू नहीं होता है।

श्री हेम बरुआ : मैं बागियों के पक्ष की सफाई पेश नहीं कर रहा हूं। मैंने जो कुछ कहा है वह एक तथ्य है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं कठिनाई से पूरी तरह अवगत हूं।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि मिजो संघ के नेताओं ने मिजो पहाड़ियों में नागरिकों को हथियार देने की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई और यह मांग की कि उनकी सलाह से ही ऐसा किया जाना चाहिए ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब वे मुझसे मिले तो उन्होंने अनेक प्रशासनिक समस्याओं का उल्लेख किया था। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने इस पर प्रधान मन्त्री से विस्तार में चर्चा की या नहीं क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध उन नेताओं की प्रधान मन्त्री के साथ भेंट से है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन नेताओं को मनाने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं जो यह महसूस करते हैं कि यह सरकार उनकी भावनाओं की पूर्ती नहीं करती है क्योंकि उन्हें अधिक स्वयत्तता देने से इन्कार किया जा रहा है ? क्या पहाड़ी नेताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार कोई बीच का रास्ता स्वीकार करेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य शायद सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन के नेताओं की बातचीत का उल्लेख कर रहे हैं। मिजो लोगों के दो राजनीतिक उद्देश्य हैं : एक के अनुसार वे प्रभुता सम्पन्न राज्य चाहते हैं और दूसरे के अनुसार वे अपने जिले के लिये एक पृथक दर्जा चाहते हैं।

इसके साथ ही हम जानते हैं कि वहां पर सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी मत व्यक्त करना बहुत कठिन होगा। इस बीच हमारी कोशिश प्रभावशाली ढंग से नागरिक व्यवस्था स्थापित करने की होगी, और इसके साथ ही हम विकास कार्य द्वारा लोगों को अपनी ओर करने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Prem Chand Verma : The Hon. Minister just now stated the hill leaders had a dialogue with the Prime Minister and that he is not aware of the issues discussed by them. May I request the Hon. Prime Minister to enlighten us ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास इसका ब्योरा नहीं है। उन्होंने कुछ कठिन प्रश्न उठाये थे। जब वे मुझसे मिले, तो उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और मैंने उनके साथ इस मामले पर चर्चा की।

श्री बलराज मधोक : इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की समस्या बड़ी जटिल है और केन्द्र की एक विशेष जिम्मेदारी है। क्या सरकार इन छोटे-छोटे सीमावर्ती राज्यों को संघीय राज्य क्षेत्र बनाने पर विचार करेगी ताकि सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र सीधी और सक्रिय कार्यवाही कर सके ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक सुझाव है जिस पर सरकार विचार करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोयना तथा पूना में भूकम्प के झटके

*1078. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना और पूना में 5 मार्च, 1968 को पुन: भूकम्प आया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ हानि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक जीवन व सम्पत्ति की हानि की कोई सूचना नहीं मिली है।

कच्छ में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

*1080. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो 1960 में 'वीसा' लेकर कच्छ में आये थे, अपने 'वीसा' की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी वहां पर रुके हुए हैं और छिप गये हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें 'वीसा' किस प्रत्यक्ष प्रयोजन के लिये दिया गया था ; और

(ग) उनको वापिस लौटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उनकी संख्या केवल 51 थी। उन्हें अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिये 'वीसा' दिये गये थे।

(ग) इन 51 व्यक्तियों में से 34 को अब पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है, 4 ने भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए दीवानी मुकदमें दायर किये हैं तथा 9 महिलाएं हैं, जिन्होंने या तो भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया है अथवा बूढ़ी तथा कमजोर हैं और उन्हें

राज्य सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि वे भारत में लगातार रहने के लिये सुविधा प्रदान करने के लिये आवेदन करें। शेष 4 व्यक्तियों को, जो अभी तक भूमिगत हैं, ढूंढने के हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विमान सेवाओं को चलाने के लिये जम्बिया सरकार की प्रार्थना

*1081. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बिया सरकार ने उनकी विमान सेवाओं को अधिकार में लेने और चलाने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) क्या भारत द्वारा उस प्रार्थना के अस्वीकार किये जाने पर उन्होंने अपनी विमान सेवाओं को 'अलिटालिया' के अधिकार में दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को जाम्बिया सरकार की ओर से उनकी हवाई कंपनियां अपने अधिकार में ले लेने और परिचालित करने के लिये कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Use of Hindi in Allahabad High Court

*1082. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any communication from the Allahabad High Court seeking permission to conduct their work in Hindi ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :(a) After the use of Hindi for arguments in civil cases before the Allahabad High Court was authorised on 18th June, 1966 no further reference on the subject has been received.

(b) Does not arise.

माओ के चित्रों का वितरण

*1083. **श्री मयाबन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में माओ के चित्रों को भारी संख्या में बांटा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) माओ के चित्रों का कुछ स्थानों पर बांटा जाना तथा प्रदर्शित करना सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) वर्तमान कानून के अन्तर्गत माओ के चित्रों का केवल वितरण या प्रदर्शन दण्डनीय नहीं है, किन्तु जहां ऐसा वितरण या प्रदर्शन सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

*1084. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है जिससे स्पष्टत: यह पता लग सकेगा कि आगामी 25 वर्षों में देश में शिक्षा का भविष्य क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*1085. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली में विधि और व्यवस्था स्थिति नियन्त्रण में है । दिल्ली प्रशासन द्वारा इसका लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और समय-समय पर उपचारिक उपाय किए जाते हैं । अपराधों की जांच के लिये हाल में उन्नत संचार सुविधाएं तथा वैज्ञानिक उपकरण देने के लिए दिल्ली पुलिस को नवीनतम बनाने की अनेक योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

Seizure of Foreign-Made Weapons

*1086. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether foreign-made weapons were seized in Kashmir, Rajasthan, Assam, Bihar, Kerala and West Bengal during the last four months ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). A statement giving the required information in respect of Assam, and West Bengal and partial information in respect of Jammu and Kashmir is laid on the Table of the House.

[Placed in Labrary. See No. LT-767/68] Information in regard to Rajasthan, Bihar and Kerala and additional information from Jammu and Kashmir is awaited from the State Governments concerned and will be laid on the Table of the House on receipt.

नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के कर्मचारियों की शिकायतें

*1087. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नई दिल्ली में हौज खास में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन आया है;

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या मुख्य बातें कही गई हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रौद्योगिकीय संस्था, नई दिल्ली, के कर्मचारियों की शिकायतों के बिना हस्ताक्षर के साईक्लोस्टाईल किये गये ज्ञापन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। 325 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित मूल ज्ञापन संस्था के निदेशक को प्राप्त हुआ है।

(ख) मुख्य मांगें यह हैं : कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार, आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, जैसे कैम्पस में कम्युनिटी हाल, पूजा-पाठ के स्थान, दूकानें, स्कूल आदि।

(ग) संस्था के अधिकारी ज्ञापन का परीक्षण कर रहे हैं, और यथासम्भव शिकायतों को दूर किया जायेगा।

International Youth Conference to be held in Bulgaria

*1088. **Shri Shashi Bhushan Bajpai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any information about the International Youth Conference to be held in Sofia, Bulgaria ;

(b) whether Government propose to send Indian youngmen to participate in this Conference ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A general circular was received in 1967 to the effect that the 9th World Festival of Youth and Students for Solidarity, Peace and Friendship was scheduled to be held in Sofia in the summer of 1968.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Illegal Occupation of Government Land in Kumaon Division

*1089. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received information in regard to the illegal occupation of 5 lakh acres of Government land by people in Kumaon area in Uttar Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the steps being taken by Government to get the said land vacated ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government have no information about the illegal occupation of 5 lakh acres of Government land. The Government are, however, aware of some encroachment over lands belonging to the Forest department in certain forest areas of Naini Tal, Bijnor and Pauri-Garhwal districts.

(c) The local forest authorities with the help of the police got the illegal encroachments removed.

भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ विलय

*1090. **श्री श्रीधरन् :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ विलय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस निर्णय के परिणामस्वरूप कितने आई० ए० एस० अधिकारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को संघ राज्य क्षेत्र के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति के हेतु विचार किया गया था। भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा के अनेक अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में चयन के लिये स्वीकृति दी गई है। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति पर इसका प्रभाव भारतीय सीमा प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की संख्या तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनकी वरिष्ठता पर निर्भर होगा जो अन्ततः भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये जायेंगे।

जम्बो जैट विमान खरीदने के लिये ऋण

*1092. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 1 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो जैट विमान खरीदने के लिये ऋण के बारे में बातचीत को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं और एयर इंडिया उसका भुगतान किस प्रकार करेगी; और

(ग) जम्बो जैट विमान की यात्री तथा भाड़ा क्षमता क्या है और उसके चालन पर प्रति मील कितनी लागत आएगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यात्रियों की धारिता, सम्मिलित रूप से जैसे कि एयर इंडिया द्वारा प्रस्ताव किया गया है, लगभग 350 होगी, और भार की धारिता 6,190 घन फुट होगी । परिचालन लागत लगभग 75/- रुपया प्रति मील होने की आशा है ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा अधिकारियों का चयन

*1093. **श्री प्रताप सिंह :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र के लिये संयुक्त भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में नियुक्ति के लिये भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के अधिकारियों के चयन के मामले में किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया था;

(ख) इस प्रकार चुने गये भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है; उनके मूल संवर्ग में उनकी वरिष्ठता किस वर्ष से मानी जायेगी और नये संवर्ग में अलाटमेंट का प्रस्तावित वर्ष क्या है ;

(ग) अलाटमेंट का नया वर्ष निर्धारित करने का क्या आधार है ; और

(घ) इसका दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्ग (जो अब समाप्त हो चुका है) में पहले ही कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-768/68]**

ऋषिकेश में हिप्पी संगठन

*1094. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिप्पियों को ऋषिकेश में संगठन स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिप्पियों ने नेपाल सरकार से भी इसी तरह का अनुरोध किया था जिसे ठुकरा दिया गया है ; और

(ग) भारत सरकार ने किन कारणों से प्रेरित होकर यह अनुमति दी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Bihar Engineers

*1096. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3274 on the 8th March, 1968 regarding investigation against some Bihar engineers and state :

(a) whether the work regarding the auditing of accounts has since been completed by the Bihar Government ;

(b) if so, whether Government have initiated action regarding the inquiry by the C. B. I; and

(c) if not, the reasons therefor and the reply of Bihar Government in regard thereto ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). As was stated in reply to Unstarred Question No. 3274, it was felt that it would be desirable to await the results of store checking and audit before a criminal investigation is started. The Government of Bihar have reported that special audit is still in progress.

Non-Scientists in C. S. I. R.

*1097. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any improvement has been made in the situation arising out of recruitment of large number of non-scientists made in the C. S. I. R. recently ;

(b) whether any new scheme has been drawn up for the expansion of the important scientific activities of this council ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) (a) ; Instructions have been issued to the CSIR Laboratories/Institutes that in future no such appointments should be made. A Committee has also been appointed to review the past cases under a directive of the Governing Body.

(b) and (c). On the recommendations of the Fourth Plan Committee of the CSIR, the Governing Body of the CSIR has approved that the existing Laboratories/Institutes should be the first charge on the Fourth Plan provision in order to ensure that the substantial sums of

money already spent on establishing them produce fruitful results. Some of the other steps taken in this connection are :—

1. The Council's Laboratories have been advised to plan their programmes of research work for the next five years (1969-74) (i) in the context of the guidelines formulated by the Fourth Plan Committee ; and (ii) in consultation with related organisations and industry wherever necessary.

2. A Committee has been constituted to identify major projects on which National Laboratories should concentrate during the next three or four years.

3. A Committee consisting of representatives from Industry, National and Industrial Research Laboratories and Universities has been appointed to bring about close and continuous liaison between Research and Industry.

4. Series of discussions have been arranged with groups of individual industries like Chemical Industry, Pharmaceuticals and Drugs Industry, Instruments Industry, Electronics Industry and Non-ferrous Metals Industry for the purpose of establishing continuous dialogue and proper identification of problems.

विमान यात्रा के किराये में रियायत

*1099. **श्री स० कुण्डू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डमडम हवाई अड्डे से उत्तर बिहार, त्रिपुरा, आसाम, कचार, मनीपुर और उत्तर बंगाल के हवाई अड्डों की ओर इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के विमानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये में कोई रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रियायत दी जाती है; और

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों को जाने वाले विशेषकर अगरतला और इम्फाल जाने वाले यात्रियों को उड़ानों के दौरान नियमित रूप से भोजन के पैकेट नहीं दिये जाते ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). पूर्वी क्षेत्र में विमान किराये अन्य क्षेत्रों के किरायों से कम हैं। आई० ए० सी० कलकत्ता-अगरतला-खोवाई-कमालपुर-कैलाशहर की एक मितव्ययी विमान सेवा और भी कम किरायों पर चला रही है। दमदम से उत्तरी बिहार और उत्तरी बंगाल के विमान क्षेत्रों को यात्राओं के लिये कोई रियायत उपलब्ध नहीं है।

(ग) कलकत्ता और कैलाशहर के बीच अगरतला, खोवाई और कमालपुर से होकर चलने वाली मितव्ययी विमान सेवा पर केवल चाय काफी और बिस्कुट दिये जाते हैं। अन्य सेवाओं पर कारपोरेशन के खाने के समयों के अनुसार खाने (मील) या नाश्ते (एनेक्स) दिये जाते हैं।

मैक्सिको अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता

*1103. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको शहर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता सम्मेलन में

भाग लेने के लिये हमारे खिलाड़ी दलों को न भेजने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं । इस विषय में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास में बनी हिन्दी फिल्में

*1104. **श्री मधु लिमये :**

श्री कण्डप्पन :

डा० कर्णी सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1968 के इन्डियन एक्सप्रेस के बम्बई संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मद्रास में बनी हिन्दी फिल्म शिव सेना की अनुमति से छत्रछाया में दिखाई जा रही है ;

(ख) क्या इसी प्रकार मद्रास में हिन्दी फिल्में तमिलनाड मुक्ति मोर्चे की अनुमति से छत्रछाया में दिखाई जा रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार नागरिक स्वतन्त्रता पर लगे इन अवैध तथा अपमानजनक प्रतिबन्धों को समाप्त करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी थियेटरों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जहां मद्रास में बनी हिन्दी फिल्म दिखाई जा रही थी । मुख्य मंत्री ने ए० व्ही० एम० प्रोडक्शन्स, मद्रास के मालिक श्री मीयाप्पन को उनके चित्र के शान्तिपूर्ण ढंग से चलने में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न की जाय तो उन्हें पूरे संरक्षण का आश्वासन दिया था । मद्रास सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हरियाणा सरकार के कर्मचारी

*1105. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हरियाणा के राज्यपाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अन्तर्गत हड़ताल करने का अधिकार नहीं है और उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने 8 और 9 फरवरी, 1968 को हड़ताल की थी सेवा-विच्छेद सम्बन्धी कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हरियाना अधीनस्थ कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान और 5-2-1968 को अपने प्रसारण में भी हरियाना के राज्यपाल ने बताया था कि आचरण सम्बन्धी नियमों के अनुसार सिविल कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारियों ने 8 और 9 फरवरी, 1968 को हड़ताल की। यद्यपि नियमों के अनुसार, जानबूझ कर गैरहाजिर रहने पर सेवा भंग हो जाती है फिर भी यह फैसला किया गया है कि हड़ताल की अवधि को केवल वेतन और भत्तों के बिना छुट्टी माना जाये। जिन कर्मचारियों ने आचारण नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए हड़ताल की उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल भी किया गया है।

विज्ञान के विषयों में आनर्स की शिक्षा

*1106. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं जहां पर विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाओं में केवल आनर्स के विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि मुफस्सिल कालिजों में अनेक योग्य विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में आनर्स की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें नहीं मिलती हैं ;

(ग) क्या आनर्स की विशेष शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें बहुत सीमित हैं और वे भी कुछ बड़े-बड़े नगरीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या विशेष आनर्स के स्नातकों को कक्षाओं में पढ़ाने के लिये नहीं भेजा जाता है और न ही उनकी डिग्रियों को सामान्य आनर्स के स्नातकों के समान समझा जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी योग्य विद्यार्थियों को समान सुविधायें उपलब्ध हों ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दल-बदल सम्बन्धी संसदीय समिति

6429. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और संवैधानिक विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). लोक सभा के 8 दिसम्बर, 1967 के संकल्प के अनुसरण में, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों तथा कुछ विशिष्ट सार्वजनिक व्यक्तियों की एक समिति स्थापित की गई है ताकि विधायकों द्वारा निष्ठा एक दल से दूसरे दल में बदलने की समस्या तथा बार-बार दल-बदल के समूचे पहलुओं पर विचार किया जा सके तथा इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दे सके। समिति के सदस्यों के नामों को बताने वाला विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-769/68]**

(ग) कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है।

इन्जीनियर

6430. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्री, डा० कु० ला० राव ने अपनी निजी मुलाकात में सम्बन्धित सरकारी विभागों को इन्जीनियरों की दशा सुधारने के लिए कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने सही-सही क्या सिफारिशें की थीं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). इन्जीनियरों की संस्था (भारत) द्वारा आयोजित कुछ बैठकों में दिये गये अपने भाषण में और इन्जीनियरों में बेरोजगारी के विषय में केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ बातचीत के दौरान, डा० कु० ला० राव ने उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों की सेवाओं का प्रयोग करने के लिये कुछ सुझाव दिये थे। उन सुझावों में ये शामिल थे : तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश की संख्या कम करना, सरकारी विभागों और प्रतिरक्षा सेवाओं में रिक्त तकनीकी पदों पर तुरन्त नियुक्तियां करना, सिंचाई क्षमता के प्रयोग की गति बढ़ाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को सेवा में रखना, विभिन्न सिंचाई तथा विद्युत की परियोजनाओं सम्बन्धी छानबीन करना, ग्रामीण विकास और थर्मल विद्युत स्टेशनों को चलाने के लिए बृहत् योजनाएं तैयार करना। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिक्षुता योजनाएं लागू करने, इन्जीनियरों द्वारा निर्माण की फर्में स्थापित करना और इन्जीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा अधिकारियों द्वारा छोटे पैमाने के निर्माण एकक स्थापित करने सम्बन्धी सुझाव भी दिये हैं।

पुस्तक विक्रेताओं को सहायता

6432. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक शिक्षा साहित्य और नवसाक्षरों के साहित्य के क्षेत्र में उड़ीसा में प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक बिक्रेताओं को 1967-68 में कितनी सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : नव-साक्षरों के लिए समाज शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के लिए, प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक विक्रेताओं को सहायता देने हेतु, सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। किन्तु मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में नव-साक्षरों तथा नये पाठकों के लिए प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार देने की योजनाएं हैं। 1967-68 के दौरान, सभी प्रादेशिक भाषाओं की 18 पुस्तकों में से एक उड़िया पुस्तक पर 1000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। 1968-69 के दौरान इसकी लगभग 1200 प्रतियां खरीदी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इसके पहले की प्रतियोगिता में पुरस्कृत उड़िया की दो पुस्तकों की 1500-1500 प्रतियां, कुल 2,175 रुपये पर खरीदी गई हैं।

भुवनेश्वर में उड्डयन क्लब

6433. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967-68 में भुवनेश्वर में उड्डयन क्लब स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने उड़ीसा को 1967-68 में नयी फ्लाइंग-क्लब चालू करने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया है। परन्तु, मौजूदा उड़ीसा फ्लाइंग क्लब को 1967-68 में निम्नलिखित उपदान एवं आर्थिक सहायता दी गयी :

उपदान	40,000 रुपये
आर्थिक सहायता	70,995 रुपये
योग :	1,10,995 रुपये

उपदान सीधा फ्लाइंग क्लब को दिया जाता है, तथा वह उपदान योजना में विहित सामान्य मान-क्रम के अनुसार है।

पुरी में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान

6434. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की पुरी शाखा ने उड़ीसा में राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 31 जनवरी, 1968 तक कितने मामलों की जांच आरम्भ की थी ; और

(ख) उस अवधि में कितने मामलों की जांच पूरी हो गयी थी तथा दण्ड दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1-1-1966 से 31-1-1968 की अवधि में 226 मामले पंजीकृत किये गए। 188 मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है तथा 38 मामलों में जांच की जा रही है। 23 मामलों में दण्ड दिये गए हैं।

कनिष्ठ तकनीकी स्कूल

6435. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में उड़ीसा में कोई कनिष्ठ तकनीकी स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में प्रदर्शन कक्ष (आडोटोरियम)

6436. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न स्कूलों तथा कालेजों में प्रदर्शन कक्षों के निर्माण के लिये 1967-68 में वास्तव में केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई ; और

(ख) 1968-69 में इस प्रयोजन के लिये राज्य को कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 2,479.00 रुपये।

(ख) चार विद्यमान परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तें पूरी हो जाने पर किस्तों में 20,624.00 रुपये अदा किये जाने शेष हैं।

अमृतसर सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

6437. **श्री रा० रा० सिंह देव** :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सीमा सुरक्षा सेना के लगभग 50 व्यक्तियों ने 15 मार्च, 1968 को अमृतसर सीमा के पास भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई सरकारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी यह सूचित किया गया है कि कुछ पाकिस्तानी रेन्जर्स 7 मार्च, 1968 को पुल्कान्जरी के सामने पाकिस्तानी क्षेत्र में खोदते देखे गये । स्थानीय सीमा सुरक्षा दल कमान्डर को, जिसने उसके समकक्ष पाक अधिकारी से सम्पर्क किया था, सूचित किया गया कि वे तस्करी वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं जिनका सन्देह है कि वे पाकिस्तानी तस्करों द्वारा उस क्षेत्र में छुपा दी गई हैं । पाकिस्तानी रेन्जर्स कुछ समय बाद उस क्षेत्र से चले गए ।

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

6439. **श्री किरुतिनन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाड में राजनैतिक पीड़ितों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता अथवा रियायत दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है और कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1967-68 में गृह मंत्री के स्वेच्छानुदान से मद्रास राज्य के तीस राजनीतिक पीड़ितों को 8,950 रुपये नकद अनुदान में दिये गये ।

Tarcha-Samana Road in Meerut (U. P.)

6440. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the earth work of Tarcha–Samana road on the borders of Meerut and Bulandshahr Districts of Uttar Pradesh have been completed and level of the road raised by the people of the villages nearby through **Shramdan** ;

(b) whether it is also a fact that the people have sent a memoranda for metalling the said road ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The Tarcha (which should really be Jarcha)—Samana road is a Zila Parishad road in Uttar Pradesh and its construction is, therefore, the responsibility of the Zila Parishad concerned or the State Government of U. P. It is understood that a memorandum has been received by the State Government for metalling this road, but they have not included it in their Fourth Five Year Plan proposals, as the Zila Parishad concerned has not assigned any priority to this work.

कोकण स्टीमशिप सेवा

6441. **श्री नाथ पाई** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकण स्टीमशिप सेवा के किराये के ढांचे के प्रश्न की जांच करने के लिये स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने यात्री भाड़े में 7 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है।

(ग) इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की सलाह से विचार किया जा रहा है। उनके विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर

6442. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के सेक्टर 8 अथवा सेक्टर 9 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर की एक शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद

6443. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के बीच सीमा सम्बन्धी कुछ विवाद अभी अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारों के बीच एक सीमावर्ती भूखण्ड के क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर एक विवाद है, जिसे उड़ीसा सरकार उड़ीसा के कोरापुट जिले का तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का भाग होने का दावा करती है। इस प्रश्न पर, कि इस क्षेत्र पर किस राज्य का क्षेत्राधिकार हो, परीक्षा की जा रही है।

विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया व्यय

6444. **श्री किरुतिनन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय ने 1967-68 के शिक्षा सत्र में कुल कितना व्यय किया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन

6445. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का एक सुन्दर पर्यटक स्थान/केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये यातायात पर लगाई गई पाबन्दियों को, जो अब भी विद्यमान हैं, दृष्टि में रखते हुए पर्यटन स्थलों के रूप में इन स्थानों की संभाव्यता सीमित है। फिर भी, आवास तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था के प्रयोजन से अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा के मसौदे में 8.2 लाख रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बड़े बन्दरगाह का विकास

6446. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक बड़ी बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता तथा व्यवहार्यता पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). अन्दमान और निकोबार द्वीपों में एक बड़ा पत्तन विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी घाट के निकट तक 30 फीट डुबाव के वाणिज्यिक पोतों को अन्दमान और निकोबार द्वीपों में आने के लिये पोर्ट ब्लेयर में 600 फीट के घाट की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है। 190.20 लाख रुपये की लागत के प्राक्कलित घाट का निर्माण शुरू किया जा चुका है और उसके 1971 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

6447. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण इस समिति की नियुक्ति की गई और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) यह समिति अपना काम सम्भवतः कब तक पूरा कर लेगी और उसके विचारणीय विषय क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के अनुसार समिति नियुक्त की गई है ।

समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०**-770/68]

समिति द्वारा कार्य पूरा किये जाने की कोई विशेष सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु समिति द्वारा लगभग छह मास में अपनी रिपोर्ट पेश किये जाने की आशा है ।

दिल्ली नगर निगम

6448. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली नगर निगम अपना घाटा पूरा करने के लिये कुछ नये कर लगाने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम को वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम ने इस वर्ष आमदनी के आधार पर सम्पत्ति कर लगाया है तथा इसके परिणामस्वरूप उच्चतर कर-योग्य मूल्यों के खण्डों पर कर-वृद्धि हो जायेगी तथा निगम की आय बढ़ जायगी ।

(ख) सरकार दिल्ली नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष में मोरारका आयोग के, जिसका अन्तरिम प्रतिवेदन अगले दो महीने में प्राप्त होने की सम्भावना है, निष्कर्षों को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता देगी । सरकार दिल्ली नगर निगम को फिलहाल कुछ अन्तरिम भुगतान के रूप में सहायता देने के लिये विचार कर रही है ।

पिस्तौल बनाने वाला बिना लाइसेंस प्राप्त कारखाना

6449. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक ऐसे कारखाने का पता लगा है जिसमें बिना लाइसेंस के पिस्तौल बनाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली में कार चोरों की गिरफ्तारी

6450. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने 23 मार्च, 1968 को कार चोरों के एक संगठित गिरोह के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों ने उनके द्वारा तथा उनके गिरोह द्वारा की गई अन्य चोरियों का कोई सुराग दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस द्वारा 23-3-1968 को कोई व्यक्ति कारों की चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर भी 4 मार्च, 1968 को तीन व्यक्तियों के एक गिरोह द्वारा चोरी की हुई एक कार को ले जाते हुए पीछा किया गया तथा ड्राइवर, जिसको बलपूर्वक काबू में कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अन्य दो व्यक्ति भाग निकले, उनमें से एक बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये मामले की जांच की जा रही है। उनके द्वारा दिये गये सुरागों के परिणामस्वरूप अभी तक 3 कारें और 4 स्कूटर बरामद किये गये हैं।

केन्द्रीय सूची में प्राथमिक शिक्षा

6451. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा को एक केन्द्रीय विषय बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अभी ऐसे किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का निधन

6452. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शव मिलने से कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के कुछ समाचारों की जानकारी सरकार को है कि शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि वह जानता था कि जनसंघ से कैसे निपटा जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि करांची तथा ढाका से साथ-साथ प्रकाशित होने वाले 'दि मौर्निंग न्यूज' के 4 फरवरी, 1968 के समाचार-पत्र में जनसंघ पर 'भारत में 670 से अधिक मुसलमानों का बध' करने का आरोप लगाया गया था । उसके लिये उसने 'विषैले तथा द्वेषपूर्ण उपाध्याय' को उत्तरदायी माना था ; और

(ग) उपरोक्त समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस बारे में दिनांक 25 फरवरी, 1968 के 'और्गनाइजर' में प्रकाशित एक समाचार देखा है ।

(ख) जहां तक सरकार को ज्ञात है ढाका तथा करांची के दिनांक 4 फरवरी, 1968 के "मार्निंग न्यूज" के अंकों में प्रकाशित ऐसा कोई समाचार नहीं था ।

(ग) श्री उपाध्याय की मृत्यु से सम्बन्धित मामले की जांच जारी है ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में संशोधन

6453. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में यह संशोधन करके सरकार को धोखा देने वाले ठेकेदारों को दण्ड देने का उपबन्ध किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कृपया विधि आयोग का उन्नीसवां प्रतिवेदन देखें जिसकी प्रति भवन के सभा-पटल पर 22 फरवरी, 1968 को रख दी गई है।

(ग) यह विषय विचाराधीन है।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के लिये उड़ीसा को सहायता

6454. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों समेत राजनीतिक पीड़ितों को राहत देना तथा पुनर्वास करना मूल रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है जिनकी इस बारे में अपनी-अपनी योजनाएं हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को इस हेतु कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है। आर्थिक संकट के व्यक्तिगत मामलों में भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों समेत राजनीतिक पीड़ितों को गृह मंत्री के स्वेच्छानुदान से अनावर्तक रोकड़ अनुदानों के रूप में सहायता दी जाती है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के प्रशासनिक कर्त्तव्य

6455. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय पश्चिम बंगाल विधान सभा के सचिव द्वारा राज्य विधान सभा के अध्यक्ष के प्रशासनिक कर्त्तव्यों के बारे में हाल में पश्चिम बंगाल सरकार को भेजे गये पत्र में उठाई गई बातों पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में उनके मंत्रालय की उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अध्यक्ष के अधिकार तथा कर्त्तव्य संविधान के अनुच्छेद 208 तथा 187 (3) के अधीन निर्मित नियमों से सम्बन्धित हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सलाह दी है कि उस अवधि में जब अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा लागू है तथा विधान सभा भंग कर दी गई है तब संविधान के अनुच्छेद 208 के अधीन बनाये गये नियमों को लागू करने का अवसर पैदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधान सभा के सचिवालयी स्टाफ के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 187 (3) के अधीन निर्मित नियम, जहां तक उनका सम्बन्ध अध्यक्ष द्वारा किसी अधिकार को काम में लाने अथवा किसी कर्त्तव्य को निभाने से है, उपयुक्त रूप में संशोधित किये जा सकते हैं।

पांडिचेरी में औरोविल्ले

6456. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से एक "औरोविल्ले" की नींव डाली गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विदेशी मुल्कों ने इसमें सहयोग दिया है तथा प्रत्येक ने कितना धन दिया है ; और

(ग) इस "औरोविल्ले" के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) श्री अरबिन्द सोसायटी, पाण्डिचेरी ने अरविल्ले नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर की स्थापना की है। अरविल्ले का नींव पत्थर 28 फरवरी, 1968 को रखा गया था ।

(ख) श्री अरबिन्द सोसायटी से सूचना मांगी गई है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) श्री अरबिन्द सोसायटी, अरविल्ले के अनुसार, जिसमें अन्ततः आवासीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी क्षेत्र होंगे, नगर का उद्देश्य एक ऐसे सर्वव्यापी नगर की स्थापना से है जहां सभी देशों के पुरुष और स्त्रियां जात-पात, राजनीति अथवा राष्ट्रीयता पर ध्यान दिये बगैर शान्तिपूर्वक तथा मित्र-भावना से रह सकें । सोसायटी ने बताया है कि अरविल्ले का उद्देश्य विश्व के सभी भागों से उन व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति देना है जो श्री अरविन्द के आदर्शों के अनुसार रहने को तैयार हों ।

त्रिपुरा में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां

6457. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष : **श्री नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात की स्थिति समाप्त किये जाने के पश्चात् त्रिपुरा में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 33 व्यक्ति ।

(ख) उन्हें लोक व्यवस्था को बनाये रखने तथा सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बनाये रखने के विरुद्ध कार्यवाही से रोकने की दृष्टि से नजरबन्द किया गया था ।

Road Between Bulandshahr and Aurangabad

6458. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the road between Bulandshahr and Aurangabad has been completed upto 5 miles and the remaining portion of 8 miles has not been constructed for the last 15 years; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh, and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Retirement Age of Refugee Teachers

6459. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the retirement age of such refugee teachers as had come before 1952 has been extended upto 60 years;

(b) whether it is also a fact that this Ministry had issued orders on the 20th November, 1955 in this regard;

(c) if so, whether the said order would be applicable to the refugee teachers from East Pakistan numbering about 10-15; and

(d) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). In supersession of all previous orders the Government of India issued orders on 22nd November, 1955, that:—

(i) displaced persons employed in Government schools may be allowed, on compassionate grounds, to continue in service till the age of 60, on a year to year basis, after examining each case on merits;

(ii) on the same basis, displaced teachers in privately managed recognised schools may be retained in service upto 60 years of age.

(c) Yes. This is a general order covering all displaced teachers.

(d) Does not arise.

दिल्ली में शिक्षकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य का लाभ देना

6461. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शिक्षकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या सरकारी, गैर-सरकारी अथवा पब्लिक स्कूलों, सभी के शिक्षकों को इसका लाभ दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता ।

महर्षि महेश योगी का ऋषिकेश में स्थित आश्रम

6462. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को लगभग 28,000 डालर की विदेशी मुद्रा उन व्यक्तियों से मिली है जो महर्षि महेश योगी के ऋषिकेश में स्थित आश्रम में अनुभवातीत समाधि (ट्रांसीडैंटल मैडिटेशन) लगाने का प्रशिक्षण लेने विदेशों से आ रहे हैं ; और

(ख) क्या वहां आये हुये विदेशियों के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऋषिकेश स्थित आश्रम में आने वाले यात्रियों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु इस आय के पर्याप्त प्रचुर होने की आशा है ।

(ख) इन सीमाओं के अन्तर्गत कि विदेशी यात्री योग-ध्यान के लिये उपयुक्ततम परम्परागत विधि के अनुरूप ही रहना पसंद करते हैं , पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

ग्वालपाड़ा में पाकिस्तानी घुसपैठ

6463. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1968 को सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठिये पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए ग्वालपारा जिले में घुस आये थे और उन्होंने अनेक भारतीय ग्रामीणों को मार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) मारे गये तथा पकड़े गये पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) आसाम में सुरक्षा दल को मजबूत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1 मार्च, 1968 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई । फिर भी 28 और 29 फरवरी, 1968 के बीच की रात को जिला ग्वालपारा में एक गांव के निवासियों के साथ मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी डाकू मारे गये थे ।

(घ) स्थिति के अनुसार जो भी उपाय आवश्यक समझे जाते हैं, जैसे सीमा पर बाहरी चौकियों को मजबूत करना तथा गश्त को तीव्र करना, किये जाते हैं ।

Popularisation of Use of Ganja and Charas

6464. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that some of the so-called sadhus of India are popularising Ganja, Charas etc. in foreign countries with the help of Hippies and Beatles and when they come to India they openly consume them and also propagate its consumption ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to stop such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Governments of Gujarat, Haryana, West Bengal, Mysore, Punjab, Kerala and all Union Territories except Himachal Pradesh and Pondicherry have intimated that they have no information about sadhus popularising Ganja, Charas etc. with the help of hippies and beatles.

In Delhi, however, since 1967, 26 hippies were arrested under the Excise Act for being in possession of charas. A special drive was also carried out in Delhi to check the papers etc. of tourists particularly "Hippies" who were suspected to be indulging in such activities. A general watch is also being maintained on such activities.

The information from the remaining States, and the Union Territories of Himachal Pradesh and Pondicherry is being collected and will be placed on the Table of the House.

Arrest of "Hippies" and "Beatles"

6465. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreigner Hippies and Beatles arrested on the charge of using charas and Ganja so far ;

(b) whether the Governments of the countries to which they belong have been informed about their having been arrested ; and

(c) the action being taken by Government to check such activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 22.

(b) No, Sir.

(c) Vigilance against undesirable activities has been intensified and suitable action under the appropriate laws will be taken as and when necessary.

अश्लील साहित्य

6466. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अश्लील साहित्य और चित्रों का परिचालन वृद्धि पर है ;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अश्लील साहित्य और चित्रों के परिचालन के विरुद्ध कितने मामले दायर किये गये हैं ; और

(ग) क्या अश्लील साहित्य के परिचालन के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित कानूनों पर पुनर्विचार करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक पांच राज्यों तथा आठ संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है तथा संलग्न विवरण में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-771/68**] शेष राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह मामला पहले ही भारत सरकार के विचाराधीन है ।

Persons of Other States Settled in U. P.

6467. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons belonging to other States who settled in Uttar Pradesh during the period from 1954 to 1967 and the names of Districts in which they were resettled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : As the data on migration is collected through decennial Censuses, the information regarding the number of persons belonging to other States who settled in Uttar Pradesh during the period from 1954 to 1967 is not available. However, according to the 1961 Census 1,105,961 persons born in other States of India were enumerated in Uttar Pradesh. Their district-wise distribution is shown in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-772/68]**

Appeals Pending in Supreme Court

6468. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of appeals pending in the Supreme Court ;

(b) the number of those out of them pending for the last three years ; and

(c) the steps being taken by Government for the expeditious disposal thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of cases pending on 1st February, 1968, was 5,526.

(b) 152 on 1st February, 1968.

(c) Out of the pending cases, only 1,790 matters were ready for hearing. Considering the overall position of pending cases, special Benches are constituted in the Supreme Court off

and on during each term to dispose of ready cases of various categories and every effort is made to reduce pendency. The Supreme Court has also amended its rules in March, 1966, with a view to expediting disposal of cases.

गांवों में साक्षरता आन्दोलन

6469. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में साक्षरता आन्दोलन को तेज करने की भी सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). शिक्षा चूंकि राज्य का विषय है अत: निरक्षरता का निवारण करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार केवल सहायक सेवाओं की व्यवस्था करती है और अग्रिम परियोजनाओं का संचालन करती है जो समूचे रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के लिये महत्व रखती हैं। केन्द्रीय सरकार का 1968-69 में विभिन्न राज्यों में 15 लाख रुपये की अनुमित लागत से प्रौढ़ साक्षरता सम्बन्धी 20 अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है। उसका दस राज्यों के दस जिलों में फंक्शनल लिट्रेसी सेन्टर भी आरम्भ करने का विचार है। देश के तीन राज्यों के तीन जिलों में ऐसे कार्यक्रम आरम्भ भी किए जा चुके हैं। यह परियोजना शिक्षा मन्त्रालय द्वारा राज्यों के सहयोग से किसान शिक्षा तथा फ़ंक्शनल लिट्रेसी के उस समेकित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जायेगी जो खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी विशिष्ट एजेंसियों—एफ० ए० ओ० और यूनेस्को—के सहयोग से ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है।

उच्च न्यायालय में अनिर्णीत मामले

6470. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को विभिन्न न्यायालयों में दो वर्ष से अधिक समय के कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) उनको निपटाने के लिये की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-773/68**]

(ख) राज्य प्राधिकारियों को कार्यान्वय के लिये निम्नलिखित उपाय का सुझाव दिया गया है :

(i) कार्य की मात्रा के अनुसार यदि औचित्य हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाय।

(ii) न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियां अविलम्ब भरी जाय ।

(iii) जब कभी कोई सेवायुक्त न्यायाधीश की जांच आयोग आदि जैसे अन्य कार्यों पर छः मास से अधिक की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति की जाय तो स्थानपूर्ति करने के लिये एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाय ।

(iv) जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त न्यायालय आवास की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाय ।

Import of Diesel Engines for Ships

6471. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of diesel engines for ships imported in 1966-67 and the nature thereof ;

(b) the names of the countries from which they have been imported ; and

(c) the number of such engines proposed to be imported during 1967-68 and the value thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (**Dr. V. K. R. V. Rao**) (a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

6472. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री अनिरुद्धन** :
श्री उमानाथ : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समन्वय समिति ने 24 फरवरी, 1968 को विरोध प्रकट करने के लिये 24 घंटे की भूख-हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं ; और

(ग) उनके विवाद को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 24 फरवरी, 1968 को 25 कर्मचारियों ने 24 घण्टे की भूख-हड़ताल की । उनकी मुख्य मांगे थीं कि चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता पुनः स्थापित किया जाय तथा उन्हें रिहायशी आवास दिया जाय । उनके विभागों के अध्यक्ष इस मामले में सरकार से बातचीत कर रहे हैं ।

Civil and Criminal Cases pending in Delhi Courts

6473. **Shri Bharat Singh Chauhan** : **Shri Shri Gopal Saboo** :
Shri R. S. Vidyarthi : **Shri Kanwar Lal Gupta** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of civil and criminal cases pending in Delhi Court at present ;

(b) the number of those out of them pending for more than three years ; and

(c) the steps taken for an early disposal of these cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

	Civil	Criminal
(a)	29997	1156 (in the Courts of Additional/ Assistant Sessions Judges.
	..	16,336 (in the Courts of Magistrates)
(b)	1913	35 (in the courts of Additional/
	..	Assistant Sessions Judges)
		46 (in the courts of Magistrates).

(c) : Special attention is paid to old cases for their disposal. The progress made in the disposal of these cases is reviewed at the end of the month by the District Magistrate who issues suitable instructions to the Magistrates, Police etc. The position is reviewed also by the L. G. every month.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

6474. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 के पहले तीन महीनों में राजधानी में घातक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है,

(ख) यदि हां, तो 1967 की प्रत्येक तिमाही तथा 1968 की प्रथम तिमाही में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनमें मरने और घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितनी तुलनात्मक वृद्धि हुई हैं,

(ग) क्या अब भी दिल्ली परिवहन की बसों की दुर्घटना में सबसे अधिक मृत्यु हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन की बसों की दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भारतीय निर्यातकों के लिये भाड़े की दरों में रियायत

6476. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य मंडल ने भारतीय

निर्यातकों द्वारा अन्य विकसित देशों, जैसे जापान की तुलना में दिये जाने वाले अधिक समुद्री भाड़े के लिये भारतीय निर्यातकों को प्रतिकर देने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) भारतीय निर्यातकों को जापान, ब्रिटेन और अमेरीका के निर्यातकों की तुलना में कितनी अधिक भाड़े की दरें देनी पड़ती है ;

(ग) भाड़े की दरों में इस अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) कुछ चुनी हुई वस्तुओं के भारतीय निर्यातकों के सम्बन्ध में भाड़े के इस अधिक भुगतान के लिये प्रतिकर देने के प्रश्न पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । मंडल ने वाणिज्य मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है जिसमें उसने एक ठोस मामले का उल्लेख किया है और कहा है कि इस्पात की नालियों के लिये भारत से आस्ट्रेलिया ले जाने के लिये भाड़े की दरें जापान से आस्ट्रेलिया ले जाने की दरों से ऊंची थीं । फिर भी छानबीन करने के बाद ज्ञात हुआ है कि यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है क्योंकि जापान-आस्ट्रेलिया की दर यद्यपि प्रकटतः कम मालूम होती है, परन्तु भार या आयतन के आधार पर जिससे अधिक प्राप्ति हो, से हिसाब करने पर बहुत ऊंची पड़ती है जब कि भारत-आस्ट्रेलिया दर के तल भार के आधार पर ही ली जाती है आयतन के आधार पर नहीं ।

(ख) प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि वस्तु और गंतव्य स्थान सूचित नहीं होते हैं ।

(ग) अन्तर का मुख्य कारण यह है कि विश्व का लाइन व्यापार केवल एक ही एजेन्सी द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि कई अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय जहाजी सम्मेलन द्वारा होता है । प्रत्येक सम्मेलन अपने रास्ते के लिये दर निश्चित करता है जिसमें वह इन संबद्ध बातों का ख्याल रखता है—उपलब्ध पत्तन सुविधाएं, जहाजों के लौटने की सामान्य अवधि, वस्तु का प्रकार, इत्यादि । चूंकि ये बातें एक रास्ते से दूसरे रास्ते में भिन्न होती हैं अतः भाड़े की दरों में भी अंतर होता है ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है ।

इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश

6477. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश सीमित करने के लिये राज्य सरकारों से सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में क्या पाबन्दियां लगाई गई हैं ;

(ग) क्या देश में वर्तमान इंजीनियरी कालेजों से निकलने वाले इंजीनियरों को 1968-69 के लिये वार्षिक योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होने की संभावना नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं से प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसर वास्तविक आवश्यकता से कितने कम रहने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रवेश कम करने की विस्तृत योजना अभी तैयार नहीं हुई है ।

(ग) और (घ). वार्षिक योजना की अवधि इतनी कम है कि इसमें रोजगार क्षमता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । जहां तक चौथी योजना का सवाल है कुल परिव्यय और नियोजन के ढांचे के बारे में इस अवस्था में जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु ऐसी आशा नहीं है कि चौथी योजना के लिये तकनीकी कर्मचारियों की कमी होगी ।

कानपुर में पर्यटकों के अभिरुचि वाले स्थान

6478. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कानपुर और बिठूर (कानपुर) में 1857 के ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थानों का विकास करने का विचार है ;

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार की कानपुर और बिठूर के पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रहार

6479. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रवि राय :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर किये गये प्रहार के बारे में अग्रेतर जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पायें, इसके लिये क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपराधी का चालान किया गया है तथा मामला 29-3-68 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

(ग) जबकि सुरक्षा प्रबन्धों के ब्योरों की परीक्षा की जा रही है, वर्तमान सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त रूप में बढ़ा दी गई है।

केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47

6480. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री विश्वम्भरन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 को सुधारने के बारे में केरल सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और कौन-कौन से प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया है ; और

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव भारत सरकार के पास कितने समय से अनिर्णीत पड़ा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). केरल सरकार से संलग्न सूची में दिये गये 22 प्रस्ताव विभिन्न तारीखों को प्राप्त हुए। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-774/68**] इस समय इनमें से वास्तव में केवल दो प्रस्तावों पर अभी अन्तिम निपटान निलंबित है। अन्य प्रस्ताव धनाभाव के कारण मंजूर न किये जा सके और इसकी सूचना राज्य सरकार को दी जा चुकी है।

Pakistani Nationals Granted Indian Citizenship

6481. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals who have been granted Indian citizenship since November, 1961 so far ;

(b) the number of Pakistani nationals whose applications for the grant of Indian citizenship are still under consideration of various State Governments ;

(c) whether it is a fact that a large number of pending applications are those of such Pakistani nationals who are old and invalid or of such women Pakistani nationals who have been divorced by their husbands in Pakistan and whose parents or other relatives are in India ; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 1,31,035 persons of Indian origin who have migrated from Pakistan for permanent settlement in India and 754 Pakistani women married to Indian citizens have been registered as Indian citizens since November, 1961.

(b) to (d). The information is being collected from the various State Governments and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Arrests on Indo-Pak Border

6482. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shri Chand Goel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Border Security Police had arrested certain persons while they were entering into Pakistan territory from Lakhpati in the first fortnight of March, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that some important documents were also recovered from the persons arrested ; and

(c) if so, the nationality of the arrested persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Increments for Training in Hindi

6483. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :
Shri Shri Chand Goel :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees who passed one or more prescribed Hindi examinations under the Hindi Training Scheme, Ministry of Home Affairs since 1964 to date, year-wise ;

(b) the number of employees given increments and the amount of cash prizes given annually to the employees who passed the examinations ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to give more incentives to the Central Government employees to learn Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-775/68]**

(b) All non-gazetted employees who pass the Pragya examination or the Hindi Typewriting or Hindi Stenography examination are sanctioned increments (personal pay) by the respective Ministries/Departments/Offices concerned. The labour involved in collecting the information may not be commensurate with the results to be achieved.

The amounts of cash awards which have been sanctioned by the Ministry of Home Affairs is as under :—

1964-65	Rs. 94,150
1965-66	Rs. 1,88,400
1966-67	Rs. 1,68,750
1967-68	Rs. 1,46,050

(c) The question is under examination.

.Arrest of A Pak Spy in Bihar

6484. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police arrested a Pakistani spy in Alamganj Mohalla in Bihar Shariff in the first fortnight of March, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that some important documents were recovered from the arrested Pakistani spy ; and

(c) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

दिल्ली की हरिजन बस्ती

6485. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की हरिजन बस्ती में जिसमें महात्मा गांधी रहा करते थे, बहुत गन्दगी है और यह बस्ती पूर्णतया उपेक्षित है ;

(ख) क्या इस बस्ती में झुग्गियों को गिराया जायगा ; और

(ग) इस बस्ती की हालत सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नगर पालिका क्षेत्र, हरिजन बस्ती में बनाई गई अनधिकृत झुग्गियों को, बस्ती में कुछ सुधार करने की दृष्टि से, अगस्त, 1967 में गिराया गया था । बस्ती के निकट खुले मैदान पर अनधिकृत झुग्गियां हैं ।

(ग) किये गये उपायों में पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक नल, एक औषधालय, प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार नियोजन केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, एक सार्वजनिक उद्यान, बालगृह, नर्सरी कक्षाएं, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं, सिलाई कक्षाएं तथा प्राथमिक स्कूल हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियों का दिया जाना

6486. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर बनाये गये सेवा नियमों अर्थात् मूलभूत नियम, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम आदि में यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी वार्षिक वृद्धि सम्बन्धी परीक्षा में पास नहीं होता है, तो निर्धारित अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना उसकी वार्षिक वृद्धि रोकी जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धियां इस प्रकार रोक ली गई हैं, उन कर्मचारियों को लेने वाली हानि को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि वृद्धियों को रोकना, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अधीन मामूली दण्ड है, उक्त नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी की सेवा, जिससे वह सम्बन्धित है या उसके पद जिस पर वह है नियन्त्रित करने वाले नियमों, या आदेशों अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा के पास न कर सकने पर रोकी गई वेतन वृद्धियां दण्ड नहीं माना जायगा। अतः ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना आवश्यक नहीं है।

(ख) जहां स्वयं सरकारी कर्मचारी की, उसकी सेवा या उसके पद, जिस पर वह है, को नियंत्रित करने वाले नियमों या आदेशों अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, निर्धारित विभागीय परीक्षा पास न कर सकने के कारण वृद्धियां रोकी जाती हैं, उसको होने वाली हानि को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कालेज शिक्षा

6487. **श्री नायनार** : **श्री चक्रपाणि** :
श्री उमानाथ : **श्री प० गोपालन** :

क्या **शिक्षा** मंत्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज शिक्षा में सुधार के लिये उपाय सुझाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई सिफारिश पर शिक्षा आयोग ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). कालेज शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करते समय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखा था।

Recognition to National Youth Organisation

6488. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of Indian National Youth Organisations which have been granted recognition by Government so far;

(b) whether Government have conducted any enquiry to find out whether these organisations are doing work on a national scale anywhere; and

(c) if so, the dates when such enquiries were held and the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (c). "The required information is being collected and will be laid on the Table of the House."

International Youth Conference

6489. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convene an International Youth Conference in India like other countries; and

(b) if so, the probable date thereof?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Moral Education

6490. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make moral education compulsory in order to raise the moral standard and to build the character of students; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). Education being a 'State' subject, the question of making moral education compulsory is to be decided by the State Governments within the ambit of Article 28 (i), (ii) and (iii) of the Constitution of India.

कालिकट हवाई अड्डा

6491. **श्री श्रीधरन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि निःशुल्क भूमि मिलने पर ही कालिकट हवाई अड्डे का निर्माण किया जायेगा;

(ख) क्या इससे पहले भी किसी अवसर पर हवाई अड्डों के निर्माण से पूर्व ऐसी शर्त रखी गई थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो कालिकट हवाई अड्डे के मामले में यह शर्त रखने के क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। हवाई अड्डे के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि के अभिग्रहन के लिये केरल सरकार को एक इस आशय का प्रस्ताव दिया गया है कि जब भी भारत सरकार हवाई अड्डा बनाने का फैसला करती है वह भूमि अपने अधिकार में ले लेगी और राज्य सरकार को अभिग्रहण की कीमत दे देगी। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि वे बिना मूल्य के भूमि भारत सरकार को देते हैं तो इससे हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य और भी शीघ्रतापूर्वक करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत सरकार उस धन को जो उपलब्ध सीमित साधनों में से हवाई अड्डे के लिये नियत किया जायेगा सीधा निर्माण कार्य पर लगा सकेगी बजाय इसके कि उस धन को भूमि पर खर्च कर दिया जाय और फिर निर्माण के लिये अगले वर्षों में और धन के नियतन की प्रतीक्षा की जाय, वह राज्य सरकार के विचारार्थ है।

(ख) जी, नहीं, परन्तु ऐसी मिसालें विद्यमान हैं जिनमें कई राज्य सरकारों ने हवाई अड्डों के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि बिना मूल्य के दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस मामले में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगायी गयी है।

पश्चिम बंगाल में नजरबन्द लोगों को रिहा करना

6492. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में अनेक नजरबन्द लोगों को रिहा कर दिया गया है और लोगों की रिहाई पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नजरबन्द लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुले आम हिंसात्मक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो कितने नजरबन्द लोगों को रिहा किया गया है, कितने व्यक्तियों को रिहा किये जाने की सम्भावना है और कितने व्यक्तियों को नजरबन्द रखा जायेगा; और

(घ) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि हिंसात्मक तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले नजरबन्द लोगों को रिहा न किया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कुछ व्यक्तियों को सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के लिये नजरबन्द किया गया था।

(ग) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय से 103 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नजरबन्दी से मुक्त किया गया है। 42 अभी नजरबन्द हैं।

(घ) नजरबन्दी के आदेश रद्द करते समय राज्य सरकार उन कारणों की जिसके लिये पूर्वादेश दिये गये थे, तथा सभी अन्य सम्बद्ध परिस्थितियों की भलीभांति परीक्षा करती है।

बस्तर का भूतपूर्व नरेश

6493. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर के भूतपूर्व नरेश स्वर्गीय महाराजा प्रवीन चन्द्र भंजदेव की मृत्यु के कारणों की जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो जांच का स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जगदलपुर (1966) जांच (पाण्डे आयोग) आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के दिनांक 22-3-1967 के संकल्प के पैरा 17 (iii) के अनुसरण में राज्य सरकार ने अपने अधीन सेवायुक्त अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया है :

(i) पाण्डे आयोग द्वारा बताये गये अधिकारियों द्वारा साक्ष को तोड़-मरोड़ करने के बारे में तथा सरकार को मामले में की जाने वाली कार्यवाही पर सलाह देने के लिये;

(ii) यह पता लगाने तथा रिपोर्ट करने के लिये कि किसके आदेशों से अथवा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसके कहने पर साक्ष को तोड़ा-मरोड़ा गया था, तथा

(iii) यह पता लगाने के लिये कि श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव किस तरह मारे गये थे तथा उनकी मृत्यु के लिये कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह उत्तरदायी है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

Border Security Force

6494. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is resentment among our soldiers, officers and personnel of the Border Security Force deployed in Mizo hills and Nagaland areas on Tripura border as the Central Government have not provided them with full facilities; and

(b) if so, the special facilities proposed to be given to them by Government?

The Minister of State, in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Border Security Force

6495. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some complaints have been received that Pakistani intruders and Indian citizens engaged in hostile activities, who were arrested by the Border Security Force were later released on the intervention of the local political leaders ;

(b) if so, the number of Pakistanis and rebel Indian citizens who have so far been arrested by the Border Security Force and released afterwards ; and

(c) whether Government have issued any directions to the Border Security Force in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

Jawans of PAC of U. P. Killed in Tripura

6496. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 6 jawans of P. A. C. Batttalion of Uttar Pradesh deployed in Tripura were killed during November or December, 1967 ;

(b) if so, the details of the financial and other assistance given by the Central and State Governments separately, to the families of the victims ; and

(c) whether Government propose to grant pension as admissible under the Central Government Pension Rules to the families of the victims ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 7 persons belonging to P. A. C. Battalion from Uttar Pradesh were killed in Tripura on the 16th November, 1967.

(b) Government of India have sanctioned a sum of Rs. 500/- to the family of each deceased jawan. Inspector General of Police, Uttar Pradesh, has sanctioned a total of Rs. 7,750/- as financial assistance to the families of the deceased ; and

(c) Pension and gratuity are proposed to be given to the dependents by the Government of U. P. under the Uttar Pradesh Extra-Ordinary Pension Rules, 1961.

Bridge set on Fire in Tripura

6497. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a very important bridge on Tripura border, where the rebels of Mizo hills are gaining strength, was set on fire some-time in November or December, 1967 while the Inspector-General of Police, Tripura was crossing this bridge ; and

(b) if so, the arrangements made by Government for the safety of such bridges or for protection of high ranking officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) On the night of November 19, 1967, some unknown miscreants set fire to a temporary bridge on Kanchanpur-Kumarghat road located at Dhupehara which was slightly damaged. At that time the Inspector General of Police, Tripura was camping at Kanchanpur and not crossing that bridge. The bridge was repaired within a few days.

(b) Arrangement for guarding important bridges has been made. Special Security arrangement is made for protection of high ranking officers.

गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों को पढ़ाना

6498. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूलों के विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ाने तथा सितम्बर, 1968 में उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिये शिक्षकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियुक्त किया गया है; और

(घ) क्या मंत्रालय से अतिरिक्त धन देने के लिये कहा गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह निर्णय उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए किया गया है जो पढ़ाई में कमजोर हैं । कमजोर विद्यार्थियों को सितम्बर, 1968 के दौरान परीक्षा लेने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

Overtime Allowance to I. A. C. Employees

6499. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical employees of the Indian Airlines Corporation at Safdarjung and at other places receive Overtime Allowance amounting to one and half times of their salary ;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to conduct judicial inquiry in regard thereto ; and

(c) the salary and the amount of Overtime Allowance per month, paid to each Technical Officer employee of Indian Airlines Corporation during the last three years and the amount of overtime allowance paid to non-technical employees during the said period ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a): and (c). It is not possible to collect information about the overtime allowance drawn by each technical employee every month over the last three years except with an effort which is incommensurate with the results thereof. Government are, however, collecting information on a consolidated

basis in regard to the overtime allowances paid to all technical officers during each of the three years from 1964-65 to 1966-67. This information will be placed on the Table of the House as soon as it is available.

(b) Staff has to be detailed for overtime duty due to exigencies of service and other operational reasons. The Indian Airlines are, however, conscious of the need to bring down the overtime bill and are actively considering steps in that direction in consultation with the employees' Associations/Unions. Government do not consider it necessary to have any judicial enquiry in the matter.

Promotion of Class IV Employees to Class III

6500. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Matriculate class IV employees who have put in more than 10 years of service are not being promoted to Class III posts ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of those Matriculate employees in various Ministries and independent offices who have completed 10 years of service and have not been promoted ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). There is a scheme in operation in the Ministry of Railways, P & T Department, and Indian Audit and Accounts Department under which Class IV employees whether they are Matriculate or not, are promoted to class III posts under them on the basis of a test.

Since the nature of duties of Class III posts is quite different from that of Class IV, the latter have not so far been considered eligible for promotion to Class III. In order, however, to provide opportunities to qualified Class IV employees to improve their prospects, a scheme has now been evolved under which 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks in the Central Secretariat and the participating offices would be made available for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment) in these offices subject to the following conditions :—

(i) selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications **viz**, matriculation or equivalent ;

(ii) the maximum age for this examination would be 40 years (45 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees) ;

(iii) at least 5 years of service in class IV would be essential ;

(iv) the maximum number of promotees by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year ; unfilled vacancies would not be carried over to the next year.

It has also been decided to extend the principles of the scheme mentioned above for filling LDC's posts in non-participating offices outside the Central Secretariat Clerical Service.

(c) The question does not arise in regard to the Ministries of the Government of India. As regards independent offices information is not readily available.

दिल्ली के अध्यापकों को वेतनों का भुगतान न होना

6501. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के अध्यापकों को फरवरी, 1968 का वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अध्यापकों के फरवरी, 1968 के वेतनों के बिल पास तो हो गये हैं किन्तु वेतन अध्यापकों को नहीं दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो वेतन के शीघ्र भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ग). दिल्ली के स्कूलों के सभी अध्यापकों को वेतनों की अदायगी करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने 23-3-1968 को आदेश जारी कर दिए हैं।

(ख) प्रत्येक अध्यापक के बारे में सूचना दिल्ली प्रशासन के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Technical Teachers' Training Programme

6502. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of candidates selected by Government under the Technical Teachers' Training Programme from each of the Universities in various States during 1967 ;

(b) the terms and conditions required to be fulfilled by the candidates while appearing for the selection ; and

(c) the amount of stipend or pay paid to the said candidates during the period of their training ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :

(a) **Andhra Pradesh**

1. Andhra University.	9
2. Osmania University.	3
3. Sri Venkateswara University.	2
Bihar	
4. Patna University.	1
Delhi	
5. Delhi University.	4
6. Indian Institute of Technology, Delhi.	1
Kerala	
7. Kerala University.	1

Madhya Pradesh	
8. Indore University.	5
9. Jabalpur University.	9
10. Jiwaji University.	1
11. Ravi Shankar University.	2
12. Vikram University.	2
Madras	
13. Annamalai University.	10
14. Indian Institute of Technology, Madras.	7
15. Madras University.	16
16. Madurai University.	4
Maharashtra	
17. Marathwada University.	2
18. Nagpur University.	2
19. Poona University.	1
Mysore	
20. Indian Institute of Science, Bangalore.	4
21. Mysore University.	4
Orissa	
22. Utkal University.	1
Punjab	
23. Punjab University.	6
Rajasthan	
24. Birla Institute of Tech. and Science, Pilani.	1
25. Jodhpur University.	2
Uttar Pradesh	
26. Agra University.	1
27. Allahabad University.	5
28. Banaras Hindu University.	1
29. Indian Institute of Technology, Kanpur.	2
30. Roorkee University.	9
31. U. P. Agricultural University.	1
West Bengal	
32. Calcutta University.	16
33. Indian Institute of Technology, Kharagpur.	5
34. Jadavpur University.	26

(b) The candidates must have passed a degree or equivalent examination in Engineering/Technology with a Ist Class or 60% marks and, must not have been more than 27 years of age on 1st August, 1967.

(c) Stipend Rupees 400/- per month to those possessing bachelor's degree and Rs. 440/- per month to those possessing Masters degree in Engineering/Technology.

पश्चिम बंगाल में गदुआर क्षेत्र में इश्तहार

6503. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के दुआर क्षेत्र में कई स्थानों पर इश्तहार लगे हैं जिनमें 'किसानों को मध्यावधि चुनाव के बजाय बन्दूकें' नारा उद्धृत है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के चाय के बगीचे के मजदूरों को जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हासिल करने के लिए संगठित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संगठन का स्वरूप तथा आकार क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). नक्सलबाड़ी दल के कुछ नेताओं ने जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट क्षेत्र के चाय बगीचे के मजदूरों को भड़काने का प्रयत्न किया है ।

Jobs to Engineers

6504. **Shri Bhogendra Jha :** **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri Deiveekan : **Shri Deorao Patil :**
Shri Anbuchezhian : **Shri Beni Shanker Sharma :**
Shri D. N. Patodia : **Shri C. Chittybabu :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 510 on the 8th March, 1968 and state:

(a) whether consultation with different Ministries in regard to providing jobs to the Engineers have since been completed and if so, the outcome thereof;

(b) whether any comprehensive scheme has been drawn up for providing jobs to the engineers; and

(c) if so, the broad details thereof and the time likely to be taken for implementing the same?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). The Planning Commission has completed consultation with different Ministries and formulated recommendations for the consideration of the Government. Schemes for implementing the recommendations will be drawn up as soon as the Government has accepted them.

भारत में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की सेवा शर्तें

6505. **श्री स० कुण्डू :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघ फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से भेंट करके उनके साथ उसकी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्कूल-अध्यापकों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). शिक्षा आयोग ने इस संबंध में बहुत सी सिफारिशें की हैं और इन्हें राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है जो इससे मुख्यतः संबंधित हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे इस समस्या पर जोर दें ।

ओरिएन्टल पुस्तकालय, रामपुर

6506. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुर (उत्तर प्रदेश) में सबसे बड़ा 'ओरिएन्टल' पुस्तकालय है जिसे रजा पुस्तकालय कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सरकार से कोई अनुदान मिलता है और यदि हां, तो कितना;

(ग) सहायक अनुदान के रूप में उसे केन्द्रीय सरकार कितनी राशि देती है; और

(घ) क्या इस पुस्तकालय को अपने हाथ में लेने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). रामपुर में रजा पुस्तकालय नामक एक ओरिएन्टल पुस्तकालय है । किन्तु भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि यह सबसे बड़ा ओरिएन्टल पुस्तकालय है । दुर्लभ पाण्डुलिपियों और पाण्डुलिपियों की सूचियों के प्रकाशन के लिये पुस्तकालय को गत-वर्षों में निम्नलिखित अनावर्ती तदर्थ आधार पर दिये गये हैं :

वर्ष	रकम (रुपए)
1961-62	10,000
1962-63	8,000
1964-65	7,030
1965-66	2,612
1966-67	5,482

एक सुझाव यह है कि खुदाबख्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना को जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार ने लिया था, उसी प्रकार रजा पुस्तकालय को भी केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले । इस प्रयोजन के लिए हाल ही में स्थापित विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए सुझाव

पर विचार किया जायेगा और जिन मापदंडों को किसी पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने से पहले उस पुस्तकालय को पूरा करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस संबंध में परामर्श किया जायेगा ।

Holiday Excursion Ticket of D. T. U.

6507. **Shri Raghubir Singh Shastri**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that holiday excursion tickets issued by the Delhi Transport Undertaking under the scheme of 'Travel as you please' are printed and issued in English only;

(b) whether Government are aware that this causes difficulty to thousands of those who are ignorant of this foreign language; and

(c) if so, whether Government would make arrangements for printing and issue of these tickets in Hindi?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There are three columns on each ticket for indicating the name, age and signature of the person who would make use of the ticket. Since these tickets are not transferable, the official detailed for the issue of the same has to fill in the columns of name and age of the purchaser before issuing the same. He also indicates to the purchaser the appropriate place for appending signature in his presence. The tickets are also punched for date and month before issue. In view of the above, there is nothing left for the passenger to fill in or to understand out of these tickets and consequently the question of passengers being put to any inconvenience on account of the tickets being printed in English does not arise. However, the possibility of getting these tickets printed in Hindi also will be examined by the Delhi Transport Undertaking.

Private Higher Secondary Schools in Delhi

6508. **Shri Raghubir Singh Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of such private Higher Secondary School in Delhi which have been recognised by the Delhi Education Directorate and the Central Secondary Education Board, but do not receive financial grants from the Delhi Administration or the Central Government;

(b) the names of the Higher Secondary Schools, from among them, the total emoluments of those teachers are less than the total emoluments of teachers in other private Higher Secondary Schools, which have been recognised and are receiving grants and also those of Government Higher Secondary Schools;

(c) whether Government are aware that there is great discontentment among the teachers of such schools because of this;

(d) whether fees charged in these schools are very high and also large amounts are charged for other funds; and

(e) the action proposed to be taken to remove the disparity in the pay scales of teachers of these schools?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (e). The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Facilities to Delhi Teachers

6509. **Shri Raghubir Singh Shastri**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question of providing medical and housing facilities to the Delhi Teachers after they called off their strike;

(b) the details of the proposals received from Delhi Administration in this connection; and

(c) the decision taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). The question of providing medical and housing facilities to teachers had been under the consideration of Delhi Administration even before the strike. The possibility of providing medical facilities under the Central Government Health Scheme is being explored by the Delhi Administration; and, they have drawn up a housing scheme for teachers for which Government is trying to find necessary funds.

(c) Does not arise.

कच्छ में पाकिस्तानी लोग

6510. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ में छिपे हुए पाकिस्तानियों की संख्या अब भी बहुत है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा कितने व्यक्ति फरार हैं;

(ग) उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या उनका पता लगाने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र से तेहायता मांगी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम

6511. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दी जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बारे में कोई उत्तर दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक आदेश जारी किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : जी, नहीं। इस विषय पर राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

नेफा में विमानों द्वारा अनाज भेजे जाने के लिये मालवाही जहाज निगम

6512. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में विमानों द्वारा माल के परिवहन तथा खाद्य के पहुंचाये जाने के कार्य के लिये इण्डियन एयरलाइन्स के समान एक मालवाही जहाज निगम स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है, क्योंकि जिस गैर-सरकारी फर्म को यह काम सौंपा गया था उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब तक काम करना आरम्भ कर देगा तथा योजना का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। नेफा क्षेत्र में रसद गिराने का काम भारतीय वायु सेना द्वारा ले लिया गया है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए एक अलग फ्रेटर कारपोरेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में पाकिस्तानी नागरिक

6513. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से अब तक वीसा लेकर कितने पाकिस्तानी भारत आये हैं;

(ख) वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद कितने पाकिस्तान वापस चले गये हैं और कितने वैध वीसा के बिना भारत में ठहरे हुए हैं ; और

(ग) उनका पता लगाने तथा उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

संविधान का अनुच्छेद संख्या 356

6514. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के बारे में बिना वहां मंत्रिमंडल के समाप्त किये, संसद् द्वारा विधायी कृत्य अपने हाथ में लिये जाने संबंधी संविधान के अनुच्छेद संख्या 356 के केवल एक भाग को लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के बारे में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव विचाराधीन था;

(ग) क्या इस 'नयी' प्रक्रिया को लागू करने से पहिले अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की राय ली जायेगी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विशेष निर्देश न करने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुच्छेद 356 के किसी भाग को पंजाब पर लागू करने के प्रश्न पर बिलकुल विचार नहीं किया गया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल में विधान सभा के अध्यक्ष के आदेश के पश्चात् की स्थिति के संबंध में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि अनुच्छेद 356 के खण्ड (ख) के अधीन उद्घोषणा जारी करने पर संसद् को ऐसे उपयुक्त उपाय करने का अधिकार होगा जिससे विधान-सभा फिर से कार्य करना प्रारम्भ कर सके ।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय ली जानी आवश्यक नहीं समझी जाती है ।

Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932

6515. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statements made by prominent Congress leaders before Independence against Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932;

(b) whether Government are aware that British Government had given an assurance at that time that the provisions of that Section would not be used against the trade union movement;

(c) if so, whether Government are also aware that this law is being used to suppress the trade union movement at present ; and

(d) if so, whether Government would issue instructions to the State Governments not to use the provisions of this Act for suppressing legitimate and legal trade union movement ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Government are generally aware of the opposition voiced against certain provisions of the Act during the course of our national struggle for Independence, but specific statements or assurances would require to be verified with reference to historical records.

(c) Information is being collected from the State Governments.

(d) The matter can be examined only after State Governments have furnished the information.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री

6516. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के अथवा निकोबार द्वीपसमूह का व्यापार अपने हाथ में लेने के प्रयोजन के लिये बनाये गये एक नये सहकारी भण्डार ने 1 अप्रैल, 1967 से निकोबार द्वीपसमूह में लोगों को बेचने के लिये 1967 में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं तथा अन्य सामान का आयात किया था;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा अन्तिम समय पर अन्दमान प्रशासन को दी गई हिदायतों के परिणामस्वरूप ये वस्तुएं अन्ततोगत्वा निकोबार द्वीपसमूह में नहीं ले जाई गई थीं अपितु भारी हानि उठाकर अन्दमान द्वीप में व्यापारियों को बेचनी पड़ी थीं; और यदि नहीं, तो इस मामले की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रकार आयात की गई वस्तुओं का मूल्य कितना था और अन्दमान द्वीपसमूह में उनकी बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). निकोबार में गैर-आदिम जातियों के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के अनुसरण में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने विभागीय भण्डारों द्वारा कार निकोबार में विक्री के लिए 57,934 रुपये की लागत की विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी थीं। 48,557 रुपये के मूल्य की खरीद मैसर्स हौअर ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता के माध्यम से तथा शेष रकम की खरीद पोर्ट ब्लेयर के अन्य थोक विक्रेताओं के माध्यम से की गई थी। फिर भी बाद में यह निर्णय किया गया कि वर्तमान गैर-आदिम जाति की फर्म के लाइसेंस तीन महीने तक के लिए बढ़ा दिए जाएं ताकि उस समय तक निकोबारी व्यक्ति व्यापार को स्वयं अपने हाथ में लेने योग्य हो जायं। अतः सामान और बीजक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, पोर्ट ब्लेयर को हस्तान्तरित कर दिए गए जिसने माल देने वालों के बिलों का सीधा भुगतान किया। इस सौदे में सरकार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी क्योंकि 57,934 रुपये की कुछ रकम अन्ततः उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा भुगताई गई।

कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी और नानकाबरी ट्रेडिंग कम्पनी

6517. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात में संतुष्ट है कि कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा नानकाबरी ट्रेडिंग कम्पनी को, जिनके पास क्रमशः कार निकोबार द्वीप तथा नानकाबरी द्वीप-समूह में एकाधिकार व्यापार का लाइसेंस है और जिनमें निकोबार द्वीपसमूह के आदिम-जातीय लोगों

का 50 प्रतिशत हिस्सा है, उनके द्वारा मुख्य भूमि भारत की मण्डियों में जहाजों द्वारा भेजे जाने वाले खोपरे तथा सुपारी के विद्यमान विक्रेता अभिकरण से पूरे दाम मिल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसे उपाय सोचे हैं, जिनसे इन फर्मों को तथा इनके माध्यम से आदिम जातीय लोगों को, मुख्य भूमि की मण्डियों में बिक्री के लिये भेजे गये खोपरे तथा सुपारी के पूरे दाम मिल सकें ; और

(ग) जहाज से खोपरा तथा सुपारी उतारने तथा उनकी बिक्री और पहुंचाने तक होने वाले सभी खर्चों को काट कर 1966-67 में इन फर्मों को प्रति क्विंटल खोपरे तथा सुपारी का कितना शुद्ध मूल्य प्राप्त हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी कार निकोबार में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये अन्तरिम निषेधाज्ञा के कारण कार्य कर रही है हांलाकि उनका लाईसेंस 30-6-1967 को समाप्त हो गया था। फिर भी, 1-7-1967 से वे खोपरे और सुपारी में व्यापार नहीं कर रहे हैं। एक पूर्णतः आदिम जाति कम्पनी नामतः निकोबारीज कमरशियल कम्पनी ने 1-7-1967 से कार निकोबार में कार्य आरम्भ किया और अण्दमान तथा निकोबार आईलैण्ड (आदिवासी जातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 के अन्तर्गत आदिम जातियों की इस कम्पनी को कोई लाईसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं थी। नानकाबरी में, नानकाबरी ट्रेडिंग कम्पनी का लाईसेन्स 30-9-1967 को समाप्त हो गया था, किन्तु उन्होंने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली और इस निषेधाज्ञा से वे अपना व्यापार तथा व्यवसाय चला रहे हैं।

मामला न्यायाधीन है और 1966-67 में फर्म द्वारा प्राप्त किए गए मूल्यों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Advance Increments for Training in Hindi Typewriting

6518. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government grant one or two advance increments to such non-Hindi speaking Government employees, as undergo Typing and Shorthand training in Hindi under the Hindi Training Scheme ;

(b) whether it is a fact that such advance increments are not granted to the Hindi-speaking employees ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether the Director, Secretariat Training School has recommended to Government to stop such discrimination and made some suggestions in that regard ; and

(e) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). All non-gazetted Central Government employees who pass the Hindi

Type-writing examination under the Hindi Teaching Scheme are sanctioned personal pay, equal in amount to one increment, for a period of 12 months. On passing the Hindi Stenography examination such employees whose mother-tongue is Hindi are sanctioned personal pay equal in amount to one increment and those whose mother-tongue is other than Hindi are sanctioned personal pay, equal in amount to two increments.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

कलकत्ता के जहाजी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6519. **श्री रवि राय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 4000 जहाजी कर्मचारियों ने, कलकत्ता में एक जहाजी कर्मचारी को अस्थायी तौर पर मुअत्तल किये जाने के विरोध में, 12 मार्च, 1968 को बारह घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप जहाजों का आवागमन पूर्णतया ठप्प हो गया था, और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के लगभग 150 समुद्री कर्मचारियों ने एक ड्राइवर के विपरीत, तथाकथित हमला करने के एक मामले में जांच पड़ताल होने तक उसे निलंबित किये जाने के विरोध में 12 मार्च, 1968 को हड़ताल कर दी।

(ख) जी, हां।

(ग) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर द्वारा आश्वासन दिये जाने पर कि इस मामले में तुरंत जांच पड़ताल की जायेगी और 15 दिनों के अन्दर पूर्ण समाप्त कर दी जायेगी, कर्मचारी काम पर जाने लगे।

Institutions Deemed to be Universities

6520. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Kashi Vidyapeeth, Varanasi, Jamia Millia, Delhi and Gujarat Vidyapeeth have been given the status of national universities by Government;

(b) if so, the nature of assistance being provided to them ;

(c) the amount provided to each of the said universities as aid per annum from 1962 to-date ; and

(d) the details about the schemes under consideration for providing them with more aid in future ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (d). A statement is attached. **[Placed in Library. See. No. LT-767/68]**

Renaming of Patna Junction and Patna City Railway Stations

6521. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is necessary to obtain the permission of his Ministry for changing the name of any Railway Station ;

(b) whether the Bihar Government have made a recommendation to rename Patna Junction and Patna City Railway Stations as Patliputra and Patna Sahib respectively.

(c) whether the above recommendation is under consideration of the Ministry of Home Affairs ; and

(d) if so, the time likely to be taken by Government in arriving at a decision in regard thereto and the reasons for the delay in this respect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (c) . Yes, Sir.

(d) In a matter like this various authorities have to be consulted before arriving at a decision and such consultations do take some time. It is, therefore, not possible to give any precise indication of the time by which the decision may be taken.

चण्डीगढ़ में दुकानों को गिराया जाना

6522. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन ने पटेल, जनता एवं रंधावा मार्किटों को बुलडोजरों से गिरा दिया है और दुकानदारों को बलपूर्वक निकाल दिया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उन दुकानदारों को निकालने से पहले उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम, 1911 की धारा 173 के अधीन आवश्यक नोटिस देने के उपरान्त चण्डीगढ़ प्रशासन ने पटेल, जनता तथा रंधावा मार्किटों के क्रमशः लगभग 145,70 तथा 68 अनधिकृत व्यक्तियों (दुकानदारों) को हटाया । अनधिकृत दुकानदारों ने नोटिस का पालन किया तथा स्थान खाली कर दिया । अतिक्रमण करने वालों द्वारा स्थान खाली किये जाने पर मैदान को आगे उपयोग के योग्य बनाने के हेतु समतल करने के लिये एक बुलडोजर प्रयोग में लाया गया था ।

गैर-सरकारी प्रबन्धाधीन स्कूलों/कालेजों के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमान

6523. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से चंडीगढ़ के गैर-सरकारी प्रबन्धाधीन कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनक्रम दिये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारत का भाषा संबंधी सर्वेक्षण

6524. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत का भाषा संबंधी नया सर्वेक्षण कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस समय देश में मैथिली भाषा भाषी लोगों की संख्या कितनी है तथा बिहार के किन जिलों में वे बहुसंख्या में हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 49,84,811 व्यक्तियों ने मैथिली को मातृ भाषा घोषित किया । मैथिली भाषा भाषी लोगों का बिहार के दरभंगा तथा सहारसा जिलों में बाहुल्य है, जहां उनकी संख्या वहां की कुल जनसंख्या के 65 प्रतिशत से अधिक है ।

आसाम की लचित सेना के साथ फिजो का सम्पर्क

6525. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री फिजो का आसाम में लचित सेना के साथ सम्पर्क है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

गोहाटी के उपद्रवों में प्रयुक्त विस्फोटक

6526. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि गोहाटी में गणतन्त्र दिवस को हुए उपद्रवों में आग लगाये जाने के मामलों में कुछ दुर्लभ विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था ;

(ख) क्या उपद्रवों के दौरान जला दिये गये एक कारखाने की ईंटें पिघल कर शीशे जैसी वस्तु बन गई थीं जो कि 1000° सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में ही सम्भव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में पुलिस-कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना

6527. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूरबस्ती की एक नाबालिग लड़की के इस आशय के बयान के परिणामस्वरूप कि जब वह पुलिस जांच के सम्बन्ध में पुलिस चौकी में गई थी तो दो पुलिस मैनों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, 11 मार्च, 1968 को दिल्ली में शकूर बस्ती पुलिस चौकी के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक हैड कांस्टेबल को मुअत्तिल कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दोनों व्यक्ति 11-3-1968 से निलंबित कर दिये गये हैं और आगे जांच पड़ताल की जा रही है ।

कलकत्ता में सायरन

6528. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 मार्च, 1968 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में सभी सायरन जो प्रत्येक शनिवार को प्रातः 8 बजे परीक्षण के तौर पर बजाये जाते थे पूर्ण तरह से बेकार साबित हुए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना को न होने देने के लिये सरकार का आवश्यकतानुसार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). विफलता के कारणों की जांच की गई है तथा दोष सुधार दिये हैं । पिछली पद्धति के अनुसार सप्ताह में केवल एक बार सायरनों के परीक्षण के स्थान पर अब हर रोज प्रातः 9 बजे सभी सायरनों का परीक्षण किया जाता है ताकि यदि कोई दोष हो तो उसका पता चल सके तथा तुरन्त सुधारा जा सके ।

केन्द्रीय स्कूल, एरणाकुलम

6529. **श्री विश्वनाथ मेनन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एरणाकुलम (केरल) स्थित केन्द्रीय स्कूल में केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी पढ़ाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्कूल में प्रादेशिक भाषा मलयालम क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्कूल के पाठ्यक्रम में मलयालम को भी स्थान देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एरणाकुलम केन्द्रीय विद्यालय समेत सभी केन्द्रीय विद्यालयों में केवल यही दो आधुनिक भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं।

(ख) देश के सभी भागों में केन्द्रीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या समान ही है ताकि केन्द्रीय सरकार के चल कर्मचारियों के पात्र बच्चे जिनके लिये मुख्यत: ये स्कूल स्थापित किये गए हैं, शिक्षा में अव्यवस्था के लिये कठिनाई महसूस न करें। प्रादेशिक भाषा, शिक्षण, पाठ्यक्रम का अंग नहीं है।

(ग) जी नहीं, यद्यपि संगठन ने अनुदेश जारी किये हैं जिनके अन्तर्गत स्कूलों को स्कूल समय-सारिणी और पाठ्यक्रमों से अलग इस आधार पर प्रादेशिक भाषा के शिक्षण के प्रबन्ध की अनुमति दी गई है कि अशंकालिक अध्यापक को दिये जाने वाले भत्ते में संगठन तथा हिताधिकारियों का बराबर-बराबर हिस्सा हो।

Kothari Commission Recommendations

6530. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state the action proposed to be taken by the Central Government in regard to private educational institutions on the basis of the recommendations made by the Kothari Commission ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : The recommendations made by the Education Commission in regard to private educational institutions have been brought to the notice of State Governments. It is for the State Governments themselves to decide what action they should take with respect to each recommendation.

Publicity for the Development of Tourism

6531. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken to launch publicity campaigns in foreign countries with a view to attract foreign tourists ;

(b) whether some delegations are proposed to be sent abroad for making publicity in this connection ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Department of Tourism, through its overseas Tourist Offices, have been in the last few years undertaking publicity campaigns in various parts of the world. Such campaigns will be further intensified during the next financieal year in collaboration with Air-India who have a number of offices abroad. It is proposed to spend Rs. 66·00 lakhs on advertising, allied publicity public relations in overseas countries.

Publicity campaigns have three facets : (i) advertising through institutional media such as newspapers, magazines etc. (ii) allied publicity such as participation in the exhibitions, fairs, arranging window displays, film shows, participation in Indian cultural events and other promotional events and (iii) public relations, including inviting to India, as the guest of the Department of Tourism, travel writers and leading members of the travel trade.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Development of Tourism

6532. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Committees of Government of India constituted for the development of Tourism ; and

(b) the names of members of those Committees and since when they are Members ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The following two committees have been constituted by the Government of India for the development of tourism :—

(i) Tourist Development Council

(ii) Hotel Review and Survey Committee

(b) Copies of the resolutions constituting the Tourist Development Council and the Hotel Review and Survey Committee are enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-776/68]** The Tourist Development Council is being reconstituted on the expiry of its term on 31-3-1968.

Ahom Tai Mongolia State Council, Assam

6533. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ahom Tai Mongolia State Council of Assam have placed before Government a demand for a separate Ahom Mongol state ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affaies (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). In the context of proposed reorganisation of Assam, the Ahom Tai Mongoliya Rajya Parishad (State Council) of Assam has represented to the Government that the two upper Assam districts of Sibsagar and Lakhimpur should be constituted into a separate State or into a separate federating unit if the federal scheme is adopted. Government are not in favour of this demand.

Kidnapping Case in R. K. Puram, New Delhi

6534. **Shri Bal Raj Madhok**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a minor kidnapped girl of Rama-Krishnapuram named Arti, has given to the Police the information about a gang which kidnap girls in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the number of incidents of kidnapping minor girls has been on the increase in Delhi for the last many months; and

(c) the steps taken by Government to prevent such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Whenever kidnapping cases are reported, the particulars of the missing persons are published in the Criminal Intelligence Gazette and are circulated to all Police Stations and States. A missing persons squad has also been set up to investigate such incidents.

कृत्रिम वर्षा का प्रयोग

6536. **श्री गिरिराज शरण सिंह :** **श्री लोबो प्रभु :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री गाडिलिंगन गौड :**
श्री पीलु मोडी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम वर्षा के लिये अब तक किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, विशेषकर मैसूर राज्य में, ऐसे प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कृषि के लिये इसके महत्व को देखते हुए इन प्रयोगों को तेज न करने तथा अन्य क्षेत्रों में न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अब तक किये गये प्रयोगों से 500 वर्ग किलोमीटर के लक्ष्य-क्षेत्र में सामान्य रूप से वर्षा में औसतन 20% तक की वृद्धि का पता चला है । परन्तु कुछ प्रयोगों के परिणाम नकारात्मक हुए हैं ।

(ख) कृत्रिम वर्षा विषयक प्रयोगों ने अभी यहां तक उन्नति नहीं की है कि उनका किसी ऐसे प्रदेश में जहां वर्षाभाव के स्थल विद्यमान हैं परीक्षण किया जा सके ।

(ग) जब तक विचाराधीन प्रदेशों में किये गये परीक्षणात्मक प्रयोग कम से कम पांच बरसातों तक लगातार आशाप्रद परिणाम नहीं दिखाते कृत्रिम वर्षण विशाल परिमाण पर चालू नहीं किया जा सकता है ।

रेड फ्लैग पार्टी की गतिविधियां

6537. **श्री मयाबन :**
श्री कमलनाथन् :
श्री दीवीकन :
श्री दुरायरासु :
श्री सुब्रावेलू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंसात्मक आन्दोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से दक्षिण भारत में रेड फ्लैग पार्टी नामक एक पार्टी बनी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पार्टी की गतिविधियों को दबाने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिंसात्मक आन्दोलन का प्रचार करने के लिये ननजिल सलवान द्वारा मद्रास में एक "रेड फ्लैग मुवमैंट" आरम्भ की गई है ।

(ख) सरकार इस आन्दोलन की गतिविधियों पर सावधानी से निगरानी कर रही है ।

Grants to Educational Institutions, Maharashtra

6538. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of the educational institutions of Maharashtra, which have been given grants by the Central Government during 1966 and 1967 under the Campus Scheme as also the amount of the grant given to each institution ;

(b) whether Government propose to increase the amount of grant to be given to the educational institutions there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-777/68]**

(b) and (c). It is not possible to increase the amount of grant due to financial stringency.

Accommodation for Tourists Visiting Maharashtra

6539. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tourists visiting historical places in Maharashtra experience a good deal of difficulty for want of proper accommodation ;

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ;

(c) the number of hotels being run by Government in Maharashtra State for the tourists and the location thereof; and

(d) the conditions laid down for giving financial assistance to the organisations and individuals for the construction of lodging-houses and hotels?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr: Karan Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The India Tourism Development Corporation, a Public Sector Undertaking, has plans to construct a hotel at Juhu Beach. The places of tourist interest where accommodation has been provided under Plan schemes and is intended to be provided in the Fourth Five Year plan jointly with the State Government are listed in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-778/68]**

(c) The Ministry of Railways run the Aurangabad Hotel at Aurangabad.

(d) At present financial assistance to the hotel industry is available from the State Finance Corporations or the Industrial Finance Corporation which advance loans to the industry generally to the extent of 50% of the capital cost of the project. Financial assistance in the shape of interest bearing loans will also be available from the Hotel Development Fund set up by the Government to approved hotel projects undertaken by public or private limited companies located in areas of tourist importance. The quantum of loans will be up to two-thirds of the value of the fixed assets i. e. land, building and other immovable assets in the case of new constructions, repayable in nine years. In the case of approved hotel projects undertaking expansion/renovation, the quantum of loan will be up to 50% of the cost to be incurred, repayable in 7½ years. The rate of interest payable on these loans will be the same as that charged by the Government to Industrial undertakings i. e. 7% per annum.

बोडो भाषा-भाषी लोग

6540. **श्री बे० कु० दासचौधरी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली जनगणना में आसाम के बोडो भाषा-भाषी लोगों को असमियां भाषी लोगों में शामिल किया गया है ;

(ख) आसाम में असमियां भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है और बोडो भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है ; और

(ग) आसाम में असमियां तक बोडो भाषाओं के अतिरिक्त और कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार आसाम में असमियां तथा बोडो बोरो मातृ-भाषा वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 6,784,271 तथा 2,80,343 है ।

(ग) 1961 की जनगणना में आसाम में की गई जनगणना के अनुसार असमियां तथा बोडो बोरो के अतिरिक्त 190 भाषायें मातृ-भाषा के रूप में ज्ञात हुई थीं ।

Sale of Obscene Books in Delhi

6541. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some ladies of Delhi have recently submitted a Memorandum to Govern-

ment to ban the sale of the obscene literature; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Sale etc. of obscene books and publications is punishable under sections 292 and 293 of the Indian Penal Code. For putting a check on the production, sale and circulation of obscene publications, the State Governments and Union Territory Administrations have been requested to strengthen the administrative arrangements for detection and scrutiny of obscene material, particularly at the district level, so that more effective use is made of the provisions of law. They have also been advised to organise frequent raids on bookstalls etc. which come to notice for stocking obscene publications.

Political Sufferers

6542. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of political sufferers in different States who were given financial help from the Political Sufferers' Fund during the last ten years;

(b) the number of recipients of such financial help, State-wise;

(c) whether such financial help has been given to the political sufferers belonging to parties besides the Congress;

(d) if so, the number of such political sufferers, party-wise;

(e) whether any scheme for their rehabilitation is under consideration of Government; and

(f) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-779/68]**

(c) and (d). Financial assistance is given from the Home Minister's Discretionary Grant to political sufferers in indigent circumstances irrespective of their political affiliations.

(e) and (f). Relief and rehabilitation of political sufferers is the responsibility of the State Governments and they have formulated their own schemes of relief in the form of cash grants, pensions, land grants, refund of fines, loans and educational facilities to their children etc. Small cash grants are also given from the Home Minister's Discretionary Grant in individuals cases of hardship. No further scheme is under the consideration of the Government of India in this regard.

जहाज निर्माण और पत्तनों तथा बन्दरगाहों का निर्माण

6543. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्डिक (नार्वे आदि) देशों से अनुरोध किया गया है कि जहाज-निर्माण और पत्तनों तथा बन्दरगाहों के निर्माण के लिये भारत को सहयोग दें ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा०वी०के०आर०वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में एक लड़की की हत्या

6544. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मार्च, 1968 को दिल्ली में गोल्फ लिंक में एक व्यक्ति ने, जो अपने होश हवास खो बैठा था, एक जवान लड़की की हत्या कर दी और दो आदमियों को जख्मी कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). यह सूचित किया गया है कि एक पारिवारिक झगड़े के परिणामस्वरूप एक जवान लड़की को गोल्फ लिंक्स में 15-3-1968 को एक व्यक्ति द्वारा तथाकथित छूरा घोंप कर मार डाला गया था। यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने लड़की के भाई तथा पिता पर भी आक्रमण किया था। दिल्ली पुलिस ने इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 203/307 के अधीन एक मामला दर्ज किया है। संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है।

(घ) जांच की जा रही है। जब भी शान्ति को खतरा होता है या अपराध किया जाता है तो पुलिस द्वारा कानून के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत निरोध कार्यवाही की जाती है।

समाचारपत्रों में रिक्त स्थानों का विज्ञापन

6545. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक केन्द्रीय सरकारी संगठन समाचारपत्रों में कुछ रिक्त स्थानों का विज्ञापन देकर और प्रार्थना-पत्र के साथ एक निश्चित राशि मांग कर भारी धनराशि वसूल कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये संगठन देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि यह सच नहीं है। तथापि यदि संगठनों के नाम दिये जायं तो मामले की जांच की जायेगी।

पास्सी-बदरपुर सड़क (आसाम)

6546. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पास्सी-बदरदुर सड़क को बारह महीने चलने वाली पक्की सड़क बनाया गया है और उस पर तारकोल का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या पास्सी-बदरपुर सड़क पर "बारक" नदी पर सड़क पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस काम में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) बदरपुर में बारक नदी तथा लुबा नदी पर पुलों के अलावा अब यह सड़क सब ऋतुओं में व्यवहृत किये जाने योग्य है, किन्तु अभी तक उसे काली सतही नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार से मील 49 से मील 118 तक काली सतह करने सहित सड़क के सुधार के लिये तीन प्राक्कलन प्राप्त हुये हैं और उनकी परीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। पुल के निर्माण के लिये प्राक्कलन मंजूर किये जा चुके हैं, और पुल के लिये प्राप्त निविदाओं पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद उस पर कार्य शुरू किया जायेगा।

दक्षिण भारत में 'सो-ए-लुमियेर' प्रदर्शन
(ध्वनि-प्रकाश दर्शन)

6547. **श्री नारायणन** : **श्री मयाबन** :
श्री सुब्रावेलू : **श्री दीवीकन** :
श्री दंडपाणि :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में 'सो-ए-लुमियेर' के शो (ध्वनि-प्रकाश दर्शन) दिखाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). मीनाक्षी मन्दिर, मदुराई में मद्रास सरकार और मीनाक्षी मन्दिर के अधिकारियों के सहयोग से एक साँन-एट-लुमियर (ध्वनि तथा प्रकाश) प्रदर्शन के आयोजन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। प्रदर्शन की लागत अनुमानत: 20 लाख रुपया होगी जिसमें से साँन-एट-लुमियर उपस्कर के आयात करने तथा तकनीशियनों की फीस देने, इत्यादि, के लिये विदेशी मुद्रा का अंश 4 लाख रुपया होगा।

विदेश सहायता से चलने वाली उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थायें

6548. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये पश्चिम जर्मनी और जापान की सरकारों से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थायें स्थापित करने के मामले में सोवियत संघ के सहयोग प्राप्त करने की वरीयता दिये जाने के क्या विशेष कारण हैं ; और

(घ) भारत में उच्च प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के लिये भारत रूस सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). किसी भी नये तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिये जर्मनी संघीय गणराज्य से सहायता के लिये कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

कुछ विशेष तकनीकी शिक्षा प्रयोजनाओं के लिये जापानी सहायता मांगने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ग) तकनीकी शिक्षा प्रायोजनाओं के लिये सोवियत संघ की सहायता प्राप्त करने को वरीयता देने के कोई विशेष कारण नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार की नीति है कि हमारी प्रायोजनाओं के लिये आवश्यक सहायता विकसित देशों से जहां कहीं भी उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जाये ।

(घ) दिसम्बर, 1966 में हस्ताक्षर किये गये करारनामे के अन्तर्गत सोवियत संघ सरकार वैमानिकी, भूभौतिकी, पदार्थविज्ञान और उपकरण विनियोग तथा स्वचालन के क्षेत्र में उच्चस्तरीय केन्द्र स्थापित करने की प्रायोजना के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु दीर्घावधि ऋण देगी । ऋण भारत द्वारा 12 वार्षिक किस्तों में 2.5 प्रतिशत ब्याज सहित भारतीय रुपये में लौटाया जायेगा ।

बंगाल में बम विस्फोट की घटनायें

6549. **श्री समरगुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 से 31 मार्च, 1968 की अवधि में पश्चिम बंगाल में बम फेंकने की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) इन हिंसक गतिविधियों के कारण कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की थी कि ये बम किस प्रकार के थे और कहां बने थे ;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) बम फेंकने की इन घटनाओं के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ है और ऐसा किन उद्देश्यों से किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली-मास्को विमान सेवा करार

6550. **श्री रा० बरुआ :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दामानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई वार्ता के परिणामस्वरूप एयर इण्डिया और एयरोफ्लोट के बीच संयुक्त प्रबन्ध के बारे में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां । इस पर सहमति हो गयी थी कि एयरोफ्लोट और एयर इण्डिया अपने सामूहिक प्रबन्ध (पूल रिलेशन्ज) मास्को/दिल्ली/मास्को मार्ग पर जो कि अप्रैल, 1965 से बन्द कर दिये गये थे । 1 अप्रैल, 1968 से पुनः आरम्भ करेंगे । इस बात पर भी सहमति हो गई थी कि एयर इण्डिया और एयरोफ्लोट के मास्को/दिल्ली/मास्को मार्ग पर परिचालनों से अर्जित आय दोनों एयरलाइनों में बराबर-बराबर बांट दी जायेगी और यह शर्त लगाई कि इस बात का निश्चय करने की दृष्टि से कि यह प्रबन्ध सुचारु रूप से चल रहा है इसका हर छः महीने बाद पुनरालोकन किया जायेगा ।

Disparity in Pay Scales of Teachers in Punjab, Haryana and Delhi.

6551. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is much disparity in the pay scales of the teachers of Punjab, Haryana and Delhi;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the date from which the revised pay scales were given effect to in Punjab and Haryana and the amount sanctioned by the Central Government to the State Governments in this regard ;

(d) whether the revised pay scales in Punjab and Haryana are according to the recommendations of the Kothari Commission ; and

(e) if so, the reasons for not implementing the same pay scales in Delhi also ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (e). A statement is attached from which it will be seen that there is not much disparity between the revised emoluments of teachers of Punjab, Haryana and Delhi and that in all the three cases the emoluments generally exceed those recommended by the Kothari Commission. **[Placed in Library. See No. LT-780/68]**

(c) The scales of pay have been revised by the Punjab Government and the Haryana Government from 1-11-1966 and 1-12-1967, respectively, without any assistance from the Central Government.

Hindi Training Scheme

6552. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of teachers working under the Hindi Training Scheme of the Ministry of Home Affairs;

(b) the number of teachers who have been working for 10 years or more but have not been declared permanent so far : and

(c) the number of teachers who have ever been sent to the non-Hindi speaking areas or for a period of less than one year so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) 201.

(b) 111. 100 posts have now been made permanent and action to confirm teachers against these posts is in hand.

(c) Hindi Teaching Centres are spread all over India including the non-Hindi speaking areas. The posts of Hindi Teacher carry the liability of transfer to any part of the country. The Government policy is that teachers who have been working in State other than their own for periods in excess of 4 years should be gradually replaced by teachers who have worked nearer home for long periods. The labour involved in collecting the information may not be commensurate with the result to be achieved.

पोर्ट ब्लेयर की जिला जेल में गले में फंदा डालकर मारने के मामले

6553. **श्री गणेश :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 के मध्य में अन्दमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर की जिला जेल में गले में फंदा डालकर मरने के किसी मामले की सूचना मिली थी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को इस कथित घटना की सूचना कब दी गई थी ; और

(घ) वह पहली बार जेल में कब गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मृत व्यक्ति 8 जनवरी, 1968 को पोर्ट ब्लेयर डिस्ट्रिक्ट जेल में पोर्ट ब्लेयर के न्यायाधीश श्रेणी-II के न्यायालय के वारन्ट पर 1876 के विनियम 3 के खण्ड 32 (शराब का अवैध रूप से रखना) के अधीन न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जांच अधीन बंदी के रूप में दाखिल किया गया था। उसे 15-1-68 को रात के लगभग 10.45 बजे अपने कक्ष में सामान्य दशा में जीवित देखा गया था। 15-1-68 को 11 बजे वार्डरों द्वारा वह अपने कक्ष में रोशन-दान के लोहे की सलाख से गले में फंदा डाले मृत पाया गया। पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच की गई। यह आत्म-हत्या का मामला पाया गया है।

(ग) 16 जनवरी, 1968 को रात्रि के 1 बजकर 20 मिनट पर।

(घ) 16 जनवरी, 1968 को लगभग प्रात: 9 बजे। फिर भी 16 जनवरी, 1968 को जेलर रात्रि के 1 बजकर 42 मिनट पर पहले ही जेल में हो आये थे।

विशाखापत्तनम में दूसरा पत्तन

6554. **श्री को० सूर्य नारायण : क्या परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी पत्तन सर्वेक्षण विशेषज्ञों ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें विशाखापत्तनम में एक और पत्तन के निर्माण की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में उनकी उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विशाखापत्तनम पर या उसके निकट बैलादिल्ला धातुक के लिये दूसरे पत्तन निगम द्वारा की स्थापना से सम्बद्ध परियोजना का पूर्व निवेशित सर्वेक्षण करने के लिये जो जापानी सरकार पत्तन सर्वेक्षण दल अभी हाल ही में भारत आया था उसने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विभिन्न वैकल्पिक विन्यासों की परीक्षा करने के बाद दल सिद्धान्तरूप में अस्थायी तौर पर सहमत हो गया है कि थोड़ी लम्बी पनकट दीवार सहित विशाखापत्तनम में एक घिरे हुए सुरक्षित पत्तन की स्थापना तथा मौजूदा स्टाक पाइल प्रबंध सर्वोत्तम है।

दल की अन्तिम रिपोर्ट की लगभग तीन महीनों में मिल जाने की आशा है। सलाहकारों से शक्यता रिपोर्ट और दल की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर परियोजना पर भारत सरकार अन्तिम निर्णय लेगी।

अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भाखड़ा को सुन्दर बनाना

6555. **श्री हेमराज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु भाखड़ा को सुन्दर बनाने के लिये एक योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार का विचार इसे क्रियान्वित करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयोजन से भाखड़ा की शोभावृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के उप-राज्यपाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, भारत सरकार का गोविन्दसागर में 7 लाख रुपये की लागत से एक कैफेटीरिया बनाने का प्रस्ताव है, और साथ ही 3 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से नौका-विहार की सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं भी हैं।

Sheikh Abdullah's Talk with the Leaders of Muslim League

6556. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 16th February, 1968 Sheikh Abdullah held some secret talks with the leaders of Muslim League in Delhi ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministy of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). It is understood that Sheikh Abdullah met some muslim league leaders in Delhi on 16th February, 1968. They have not reported to Government what they discussed. So the question of Government's reaction does not arise.

Registration of Houses in Delhi

6557. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaints regarding the evasion of income-tax and stamp fee in the registration of houses in Delhi ; and

(b) if so, the action which Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Complaints of this nature are received from time to time. Investigation invariably takes place under the Indian Stamp Act and cases are either compounded on payment of composition fees or prosecuted in Courts of Law.

केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था

6558. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्था की स्थापना किसी अन्य देश के सहयोग से की जा रही है ;

(ग) इस संस्था की स्थापना कहां होने की सम्भावना है ; और

(घ) यह संस्था वर्तमान प्रशिक्षण स्कूलों से किस रूप में भिन्न होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली प्रशासन

6559. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के प्रत्येक विभाग में निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) निरीक्षक कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में उनके विभागों के अध्यक्षों (विभाग-वार) तथा दिल्ली प्रशासन के पास निलम्बित उनके अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनके सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में निरीक्षक कर्मचारियों के कितने मामले विभाग-वार न्यायालयों में विचाराधीन हैं ; और

(घ) क्या उनके मामलों को समझौते द्वारा निपटाया जा सकता है और क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-781/68]

प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट तथा हैदराबाद

6560. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशालाओं, जोरहाट और हैदराबाद ने क्रमशः अपनी स्थापना से लेकर अब तक कौन-कौन से आविष्कार/नये तरीकों की खोज की हैं ;

(ख) सरकार ने खोज निकाले गये आविष्कारों/नये तरीकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-782/68]

(ख) आविष्कारों/नये तरीकों की खोज के संवर्धन के लिए उठाये गये मुख्य कदमों का ब्योरा इस प्रकार है :

1. विकसित प्रक्रियाओं के गैर-तकनीकी नोट प्रकाशित करके और उनके व्यापक परिचालन द्वारा ।

2. व्यावहारिक प्रदर्शन और अग्रिम प्लाट की छानबीन करके ।

3. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा और महत्वपूर्ण लोक संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेकर ।

4. राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली, द्वारा वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पेटेंट की गई प्रक्रियाएं उपलब्ध करके ।

5. प्रक्रियाओं विशेषकर पेटेंट न की गई प्रक्रियाओं सम्बन्धी जानकारी सम्बद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा सीधे उद्योग को उपलब्ध करके ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

6562. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के लगभग 4,000 कर्मचारियों ने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपनी मांगें मनवाने के लिये 2 अप्रैल, 1968 से नियमानुकूल काम करने का आन्दोलन तथा कलम तथा औजार रोक हड़ताल शुरू करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कुछ मांगों वाला एक पत्र अम्बाला के पोस्ट मास्टर जनरल तथा दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत किया गया । उनकी मुख्य मांगें चण्डीगढ़ प्रतिकर भत्ता के पुन: स्थापना तथा सरकारी आवास की व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित हैं । 2 अप्रैल, 1968 से नियमानुकूल काम करने के आन्दोलन को स्थगित करने का निर्णय पोस्ट मास्टर जनरल के इस आश्वासन पर किया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार से उनके मामले में बातचीत करेंगे । चण्डीगढ़ के लिए विशेष प्रतिकर भत्ते के पुन: स्थापन को स्वीकृत करना सम्भव नहीं है । अन्य मांग निर्माण तथा आवास मंत्रालय को विचारार्थ भेज दी गई है ।

पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को अनुदान

6563. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्यटन के विकास के लिये राज्यों को दिये गये अनुदानों के बारे में उनको कोई अनुदेश नहीं देती है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने उनको मिलने वाले अनुदानों की राशि को केवल एक अथवा दो विशिष्ट क्षेत्रों में ही व्यय किया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में पर्यटकों के आकर्षण के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा किये जाने के कारणों का पता लगाया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकारों के द्वारा तैयार की गई अलग-अलग स्कीमों की योजनाओं और प्राक्कलनों का पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद ही सहायता-अनुदान दिये जाते हैं।

(ख) पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए राजस्थान सरकार को जिन स्कीमों के लिए सहायता-अनुदान दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी**-783/68]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में पाकिस्तानी डकैत

6564. **श्री महंत दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में मानुलापारा क्षेत्र में एक मुठभेड़ में नौ पाकिस्तानी डकैत मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जब मुठभेड़ आरम्भ हुई उस समय सुरक्षा पुलिस का कोई भी व्यक्ति आसपास नहीं था ;

(ग) रक्षा के लिये ग्रामीणों ने जो वीरता दिखाई है, क्या सरकार उसके लिये उनको कोई प्रोत्साहन दे रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 28 तथा 29 फरवरी, 1968 के बीच की रात को थाना दक्षिण सलमारा, जिला ग्वालपारा, आसाम के मानुलापारा गांव के निवासियों के साथ मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी डाकू मारे गए थे।

(ख) स्थानीय पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी मुठभेड़ के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे जो निकटतम भारतीय सीमा पर बाहरी चौकी से लगभग तीन मील है।

(ग) और (घ). मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

उर्दू दैनिक समाचार-पत्र "अलजमायत"

6565. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3/4 मार्च, 1968 को उर्दू दैनिक समाचार-पत्र "अलजमायत" में प्रकाशित हुए सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें हिन्दुओं की भावना को ठेस पहुंचाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकाशनों को बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने "अलज-मायत" के 3 तथा 4 मार्च, 1968 के अंकों में प्रकाशित सम्पादकीय लेखों को देखा है। उनमें हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रूस से भारत को तकनीकी सहायता

6566. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 16 मार्च, 1968 को रूस तथा भारत के बीच जो करार किये गये हैं जिनके अन्तर्गत सोवियत विशेषज्ञ विभिन्न तकनीकी संस्थाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा तकनीकी स्कूल स्थापित करने में भारत को तकनीकी सहायता देंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और वे कौन-कौन से उद्योगों के लिये होंगे ; और

(ग) ये तकनीकी केन्द्र किन-किन तकनीकी संस्थाओं के साथ सम्बन्धित होंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). भारत सरकार और सोवियत गणराज्य की सरकार के बीच 10 दिसम्बर, 1966 को हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत, रूस निम्नलिखित तकनीकी शिक्षा की निर्माण योजनाओं में भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है :

(क) अग्रिम प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के चार केन्द्रों को स्थापित करना :

(1) वैमानिक इन्जीनियरी	–	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई।
(2) धातु विज्ञान	–	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर।
(3) भूभौतिकी	–	उसमानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
(4) स्वचालन तथा संगणक	–	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

(ख) उद्योगों के सहयोग से तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए चार तकनीकी स्कूलों का स्थापित करना :

(1) धातु विज्ञान	—	भिलाई में
(2) भारी इन्जीनियरी	—	रांची में
(3) विद्युत मशीन भवन	—	हरिद्वार में
(4) तेल तथा गैस उद्योग	—	बड़ौदा में

16 मार्च, 1968 को हस्ताक्षरित करार उन रूसी विशेषज्ञों की भारत में, प्रतिनियुक्ति के लिए हैं जो भारतीय विशेषज्ञों के परामर्श से निर्माण योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे।

राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें

6567. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निश्चित समय के अन्दर सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिये राजस्थान सरकार की क्षमता के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां। जब यह काम शुरू किया गया था तब राजस्थान की सरकार ने राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षमता का अभिनिर्धारण किया था और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वे इस कार्यक्रम को समय की उचित अवधि के भीतर समाप्त कर सकेंगे। भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया था क्योंकि यह विचार किया गया कि परियोजना के लिये भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कार्यकारी संगठन का गठन करना अधिक समय लेगा। यही स्थिति अब भी है।

"शिकार" यात्राएं

6568. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानियों का एक दल अपने देशवासियों के लिये "शिकार" यात्राएं आयोजित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये भारत आया हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दल को ऐसी शिकार यात्राएं आयोजित करने की स्वीकृत दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई जापानी दल केवल मात्र उनके देश द्वारा शिकार यात्राएं आयोजित करने की संभावनाओं की जांच करने के उद्देश्य से भारत आया है। परन्तु जापानी यात्रियों का एक दल महाराजा बूंदी द्वारा कोटा में वाणिज्यिक आधार पर आयोजित शिकार में भाग लेने के लिये 27 फरवरी से 9 मार्च, 1968 तक भारत आया। यह शिकार यात्रा वाणिज्यिक रूप से संगठित की गयी थी, परन्तु यह संभव है कि इसे इस तरह की भविष्य में और यात्राओं को संगठित करने की सम्भावनाओं के अनुसंधान की दृष्टि से आयोजित किया गया हो।

(ख) इस दल और भारत सरकार के बीच भविष्य में इस प्रकार की यात्राओं को संगठित करने की संभावनाओं के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। परन्तु भारत सरकार जिम्मेवार पक्षों द्वारा आयोजित इस प्रकार की यात्राओं का स्वागत करेगी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित करने के लिये सरकार से सहायता

6569. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में होटल बनाने हेतु छोटे व्यापारियों को ऋण देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने पर्यटन रुचि के चुने हुए स्थानों पर होटल बनाने के लिए भावी होटल व्यवसायियों को ऋण देने के लिए एक होटल विकास निधि की स्थापना की है। सरकारी या निजी लिमिटेड कम्पनियों द्वारा आरम्भ की जाने वाली अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं को होटल विकास निधि से उनकी नियत परिसम्पत्ति, अर्थात् नये निर्माण-कार्यों के मामले में भूमि, इमारत और अन्य अचल सम्पत्ति के मूल्य के दो तिहाई तक की राशि का ऋण मिल सकेगा, जिसका वापस भुगतान 9 वर्षों में करना होगा। विस्तार नवीकरण करने वाली अनुमोदित होटल प्रायोजनाओं के मामले में ऋण की राशि खर्च की जाने वाली राशि की 50% होगी और उसका $7\frac{1}{2}$ वर्षों में वापस भुगतान करना होगा। इन ऋणों पर दी जाने वाली ब्याज की दर वही 7% वार्षिक होगी जो सरकार औद्योगिक उद्यमों से लेती है।

प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के लिये मध्य प्रदेश को सहायता

6571. **श्री नाथूराम अहिरवार :**
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री लखन लाल गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य में सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था करने हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को मंजूर कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) "त्रिभाषा फारमूला के अन्तर्गत हिन्दी भाषी राज्यों में अहिन्दी भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति" की योजना को क्रियान्वित करने के लिए 1968-69 के हेतु पूर्वानुमानित 3.40 लाख रुपये के व्यय को चौथी योजना की शेष तीन वर्षों के लिए बढ़ाकर 10 लाख करके शत प्रतिशत वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से फरवरी, 1968 में प्राप्त हुआ था ।

(ख) से (घ). उक्त योजना राज्य-क्षेत्र में होने के कारण उसके हेतु केन्द्र द्वारा 100% वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

Publication of Hindi Books

6572. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number and names of Hindi books, the publication of which was undertaken by the Central Hindi Directorate since 1953 to date ; and

(b) the number out of them which have been published so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b). The required information is being compiled and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

Gorakhpur on Air Map

6573. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited towards the need of placing Gorakhpur, a prominent city of Eastern U. P., on the air map of India ; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). An air service to Gorakhpur was operated during the period April to September 1965 but it was discontinued due to poor traffic. Latest studies made by the Indian Airlines Corporation show that the traffic potential of Gorakhpur is still expected to be poor. Therefore, the Corporation have no plans to introduce air service to Gorakhpur for the present. However, the matter will be kept under review.

मंत्रालयों में फालतू कर्मचारी

6574. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कर्मचारी जांच एकक के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको किस तारीख से लागू किया गया है ;

(ग) क्या इसकी क्रियान्विति के फलस्वरूप कुछ कर्मचारी फालतू घोषित किये गये हैं ; और यदि हां, तो (ग्रेड तथा पदनामवार) उनका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रतिवेदन को कार्यान्वित करते समय अपर डिवीजन क्लर्कों तथा अनुभाग अधिकारियों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट के क्रियान्वयन का काम राजपत्रित अधिकारियों के मामले में 3-1-1968 को और अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में 1-3-1968 को पूरा हुआ था ।

(ग) जी हां, चार अनुभाग अधिकारी और पांच प्रवर श्रेणी लिपिक फालतू हुए थे ।

(घ) और (ङ). जो अनुभाग अधिकारी और प्रवर श्रेणी लिपिक फालतू हुए थे उन्हें अन्यत्र खपाने के लिये गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था । इसके अलावा नौ प्रवर श्रेणी लिपिक जो अपने पदों पर स्थानापन्न आधार पर थे उन्हें नियमानुसार पदावनति करके अपर श्रेणी लिपिक बना दिया गया था ।

आई० सी० एस० अधिकारियों की सेवा निवृत्ति

6575. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ आई० सी० एस० सचिव इस वर्ष के अन्त तक सेवा-निवृत्त हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके स्थान पर नियुक्तियां करने हेतु व्यक्तियों को ढूंढने में सरकार को कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या इन पदों को केवल आई० सी० एस० अधिकारियों के लिये ही आरक्षित रखा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन पदों पर आई० ए० एस० अधिकारियों को नियुक्ति किया जायगा ;

(ङ) क्या इन रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिये राज्यों से आई० सी० एस० अधिकारियों को बुलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) से (च). भारत सरकार के सचिव के पदों पर भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों समेत विभिन्न अधिकारियों के, चाहे वे भारत सरकार में अथवा राज्यों में सेवा कर रहे हों, दावों पर विचार करने के पश्चात केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं।

देश में पर्यटक आकर्षित करने की सम्भावना के लिए परामर्श देने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का दल

6576. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटकों को आकर्षित करने की सम्भावना का अनुमान लगाने और इसके बारे में परामर्श देने के लिये क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). देश की पर्यटन विषयक सम्भावनाओं के अध्ययन एवं सरकार को पर्यटन के विकास के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान के लिये विशेषज्ञों के एक अन्तर्राष्ट्रीय दल को आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Bridge over Narmada River at Onkareshwar

6577. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for financial assistance from the Central Government for constructing a bridge over Narmada river at Onkareshwar ; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Not so far, Sir.

(b) Does not arise.

Tourist Places in Madhya Pradesh

6578. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the caves of Udaigiri and Bagh in Madhya Pradesh are important tourist centres ; and

(b) if so, whether Government propose to develop them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The caves of Udaigiri and Bagh in Madhya Pradesh are of archaeological interest, but are not at present considered to be of primary importance as Tourist Centres.

(b) In view of the limited resources available there is no proposal at present to develop these places.

Scheduled Tribes in Madhya Pradesh

6579. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of the Scheduled Tribes in Madhya Pradesh and the Districts inhabited by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): According to the 1961 census the total number of Scheduled Tribes in Madhya Pradesh is 58. All the districts of Madhya Pradesh, except Sagar and Damoh Districts, are inhabited by one or more of these tribes.

Tourist Places in Madhya Pradesh

6580. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the total amount allotted by the Central Government to provide transport and other facilities at places of tourist interest in Madhya Pradesh during the current year;

(b) the details of schemes prepared for the construction of tourist hotels in Madhya Pradesh and the names of places where such hotels are proposed to be constructed; and

(c) the amount sanctioned this year by the Central Government to provide tourist facilities at Mandavgarh?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) A provision of Rs. 1 lakh has been made in the budget proposals for 1968-69 of the Department of Tourism for the development of facilities at Khajuraho. In addition a provision of Rs. 1.5 lakhs to be matched by a similar amount from the State Government has been made for providing tourist facilities at selected places of tourist interest. This provision does not include expenditure on transport facilities, which is the responsibility of the State Government.

(b) There is no proposal for construction of Tourist Hotels in Madhya Pradesh.

(c) No provision has been made for this purpose.

Air Services in Madhya Pradesh

6581. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the amount allotted for the expansion of air services in Madhya Pradesh during the current year;

(b) whether Government have any proposal to start air service between Delhi and Indore as there is one between Bombay and Indore;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the names of such important cities of Madhya Pradesh as are proposed to be brought on the air map of the country this year?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a), (b) and (d). The Indian Airlines do not make Statewise allocation of funds for development of air services. In 1968-69 the only plan they have for Madhya Pradesh is to connect Indore with Delhi with effect from 15th April. Besides, they hope to replace Dakota by HS 748 or F-27 aircraft on their service to Khajuraho from October, 1968.

(c) Does not arise.

कोहेनूर हीरा

6582. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस ऐतिहासिक कोहेनूर हीरे के लिये जिसे अंग्रेज शासक यहां से ले गये थे और जो अब ब्रिटेन की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है, कभी अपना दावा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीकी गुप्तचर अभिकरण द्वारा शिक्षा संगठनों को दिया गया धन

6583. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश विभाग ने यह घोषणा की है कि अमरीकी गुप्तचर अभिकरण विदेशों में ऐसी गतिविधियों में लगे हुए कुछ शिक्षा संगठनों को सहायता देता रहेगा, जो अमरीका के राष्ट्रीय हितों के लिये लाभदायक समझे जाते हैं ; और

(ख) भारत में ऐसी सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षा संगठनों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को ऐसी किसी घोषणा की सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुकी मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहरण

6584. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुकी मिजो विद्रोहियों ने 16 मार्च, 1968 को इम्फाल—तामेंगलोंग सड़क के निकट कौतलेन गांव की निकटवर्ती चौकी पर भारी गोलाबारी की थी, जिससे ग्राम सेवक दल के कुछ व्यक्ति मारे गये तथा वे अन्य व्यक्तियों का अपहरण कर ले गये ;

(ख) यदि हां, तो विद्रोही मिजो द्वारा मारे गये तथा अपहृत किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) अपहृत व्यक्तियों को वापिस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) स्वयंसेवक दल के चार सदस्य मारे गये तथा तीन अन्य घायल हुए थे जिनमें से दो बाद में मर गये । किसी व्यक्ति का अपहरण नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तानी महिलाओं की हाकी टीम का भारत में आगमन

6585. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किनेर्ड कालेज (लाहौर) की महिलाओं की एक हाकी टीम हाल ही में मुख्य रूप से इन्द्रप्रस्थ कालेज तथा मिरांडा कालेज के साथ हाकी मैच खेलने के लिये नई दिल्ली आई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मैच खेले ही नहीं गये और इसकी बजाय कुछ रुचि रखने वाले पक्षों ने एक नियत मैच और एक नुमायशी मैच का आयोजन किया और पाकिस्तानी टीम के ठहरने की व्यवस्था मीरांडा हाउस के बजाय, जैसा कि पहले निश्चित किया गया था, एक होटल में की गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी टीम की सदस्याएं पाकिस्तानी राष्ट्रजन नहीं थीं बल्कि लाहौर कालेज में पढ़ रही अन्य देशों की छात्राएं थीं ; और

(घ) क्या मिरांडा हाउस तथा इन्द्रप्रस्थ कालेज की प्रधानाचार्यों ने पाकिस्तान से महिलाओं की हाकी टीम के आने से सम्बन्धित समूचे मामले के बारे में जांच कराने के लिए सरकार से निवेदन किया है ; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). किनेर्ड महिला कालिज, लाहौर ने एक साथ आल इण्डिया वीमन्स हाकी एसोशियेशन, मिरांडा हाउस और इन्द्रप्रस्थ कालिज को उनकी टीम के साथ हाकी के खेलों की व्यवस्था करने के लिए लिखा था किन्तु अन्त में आल इण्डिया वीमन्स हाकी एसोशियेशन द्वारा टीम के अतिथ्य करने का निश्चय किया गया । टीम 8 से 11 मार्च, 1968 तक नई दिल्ली में रही । उसने दो खेल खेले—एक 10 मार्च को लेडी हार्डिग ग्राउन्ड में और दूसरा 11 मार्च को लेडी इर्विन कालिज में । अतिथि टीम के लिये पूरी व्यवस्था आल इण्डिया वीमन्स हाकी एसोशिएशन द्वारा की गई ।

(ग) जी हां, वे ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाली पूर्वी अफ्रीका की एशियाई महिलाएं थीं ।

(घ) जी नहीं ।

अन्दमान के लिये जहाज "केविन दर्जे" का किराया

6586. **श्री गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप-मुख्य भूमि जहाजों के लिये "केविन दर्जे" का किराया 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1966 और 1967 में "केबिन दर्जे" में कितने यात्रियों ने यात्रा की थी ; और

(घ) ऐसे यात्रियों की संख्या क्या है जिन्होंने सरकारी खर्चे पर यात्रा की थी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । किराया 1-4-1968 से बढ़ाया गया है ।

(ख) अन्य सेवाओं की तुलना में किराया संरचना कम है और इसके फलस्वरूप सेवाएं घाटे में चल रही हैं । फिर भी निम्नतर दर्जों (बंकर दर्जा) में निम्न कारणों से सरकार ने वृद्धि नहीं की है :

(1) इन द्वीपों तक सेवाएं चलाना सरकार की जिम्मेदारी है चाहे वह लाभ या घाटे पर चल रही हैं ;

(2) अन्दमान पिछड़ा इलाका है और उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है ; और

(3) द्वीपों को विकसित करना है और इस प्रयोजन के लिये परिवहन सुविधाएं, विशेष रूप से मजदूरों के लिये, भरसक सस्ती होनी चाहिए ।

परन्तु हानि का कुछ अंश पूरा करने के लिये सैलून दर्जे के किरायों में वृद्धि करनी पड़ी ।

(ग) और (घ) सैलून दर्जे में मुख्य भूमि से अन्दमान जाने वाले यात्रियों की संख्या नीचे दी जा रही है :

	1966	1967
कुल संख्या	1319	1417
उक्त संख्या में से सरकारी खर्चे में जाने वालों की संख्या	867	952

उक्त दो वर्षों में सैलून दर्जे में अन्दमान से मुख्य भूमि को आने वाले यात्रियों की संख्या उपलब्ध नहीं है और इन आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

गुरद्वारे से ग्रन्थ साहिब का हटाया जाना

6587. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांसी जिले के बलियाली ग्राम के गुरुद्वारे से पवित्र गुरुग्रन्थ साहिब को कुछ लोगों ने 13 फरवरी, 1968 को हटा दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हीं शरारती लोगों ने गुरुद्वारे के धार्मिक झण्डे को जला-कर राख कर दिया था ;

(ग) इस घटना के बारे में हिसार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने इन शरारती लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) दोनों सम्प्रदायों में विधि व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ उपद्रवियों द्वारा गुरुद्वारे का धार्मिक झण्डा हटाया और जलाया गया है ।

(ग) पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था । पुलिस ने कार्यवाही की तथा दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया तथा उनका चालान किया ।

(घ) विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये एक हैड कांस्टेबल तथा चार कास्टेबलों का एक रक्षक-दल तैनात किया गया था । दोनों सम्प्रदायों में समझौता हो गया है ।

कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को अन्तिम चेतावनी

6588. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कालेज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की एसोसियेशन ने राज्यपाल को अन्तिम चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संकट को टालने के लिये राज्यपाल ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल 11 मार्च, 1968 को राज्यपाल से मिला ; उसने अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और उनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए निवेदन किया । संघ द्वारा ऐसा कोई अल्टिमेटम नहीं दिया गया था ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय

6589. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की बहुमुखी समस्याओं तथा इसकी विशालता के कारण उसके प्रशासन का स्तर काफी गिर गया है ;

(ख) क्या यह सच कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की समुचित देखभाल करना इस विश्वविद्यालय के लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय के मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने की दृष्टि से सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) शिक्षा आयोग द्वारा मामले की जांच की गई है और उसकी सिफारिशों का विवरण संलग्न है, प्रस्ताव विचाराधीन है ।

विवरण

"कलकत्ता विश्वविद्यालय :

कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और जिसने देश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विशेषकर स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में गत वर्षों में बहुमूल्य सेवा की है, का उदाहरण दिया जाये । निस्सन्देह विश्वविद्यालय में अवर-स्नातक छात्रों की संख्या बहुत बढ़ रही है । कलकत्ता नगर में छः कालेजों में लगभग 50,000 अवर-स्नातक छात्र हैं । इनमें से अधिकांश के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं—जैसे पर्याप्त अध्यापक, निवास-स्थान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं । कभी-कभी एक ही भवन में दो कालेज चलते हैं, उनके लिए उपकरण वही होते हैं, अलग-अलग पारियां होती हैं, उनके शासी निकाय अलग होते हैं परन्तु प्रबन्धक एक ही होते हैं । अध्यापन और अध्ययन प्रायः कारखाने के समान वातावरण में होता है जहां अध्यापकों और छात्रों में कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता । विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी निकायों में जो व्यक्ति हैं वे किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं हैं । परीक्षा और उसके परिणाम में बहुत समय का अन्तर रहता है । विश्वविद्यालय के पूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता है । पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के मामले में कुछ प्रमुख कालेजों को स्वायत्तता दी जा सकती है । कालेजों की समस्यायों को हल करने के लिए सम्बद्ध कालेजों की एक परिषद् स्थापित करना लाभप्रद होगा । वर्तमान गतिरोध का निवारण करने के लिये राज्य सरकार को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विश्वविद्यालयों के कार्यों की जांच कराये ।"

उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को स्थगित किया जाना

6590. **श्री अ० कु० किस्कु** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय ने 1967-68 में विभिन्न परीक्षाओं को चार बार स्थगित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आयु में कुछ रियायत देने की सिफारिश करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० **त्रिगुण सेन**) : (क) 1967 में होने वाली केवल भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और भूगोल में एम० ए० और एम० एस० सी० की परीक्षाएं चार बार स्थगित की गई थीं ।

(ख) दो बार विद्यार्थियों की मांग पर तथा एक-एक बार विद्यार्थियों के धरना देने और एक असाधारण परिस्थिति के कारण स्थगन हुआ था ।

(ग) राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Hotel at Khajuraho

6591. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a contract has been awarded to M/s Chanda and Company for the setting up of a hotel at Khajuraho ;

(b) whether it is a fact that some money has been advanced to the said Company for this purpose ; and

(c) the date when the contract was awarded and the area of land allotted to the firm for this purpose ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. No such contract has been awarded by the Government of India.

(b) and (c). Do not arise.

Sculptures Stolen from Khajuraho

6592. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of sculptures stolen from Khajuraho from 1st April, 1967 to 31st January, 1968 ;

(b) the date-wise details in regard to these thefts ;

(c) whether it is a fact that locks were broken and sculptures were stolen despite five watchmen being on duty in one such incident ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Two bracket figures.

(b) Both the thefts took place from Devi Jagdamba Temple, Khajuraho, on the night of 22/23 September, 1967.

(c) It is true that the figures were stolen after the thieves had broken the lock of the main door of the temple. One watchman was on duty (on a rotation basis) at the time.

(d) The theft was immediately reported to the police who are investigating into the matter. The watchman concerned was discharged from service. Watch and ward have since been strengthened to prevent as far as possible recurrence of such incidents. Other protective measures such as extra fencing, provision of more lighting in the area, have also been taken.

मनीपुर के कर्मचारियों द्वारा भेजी गई अपील याचिकायें

6593. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से फरवरी, 1968 तक केन्द्रीय असैनिक सेवा नियम, 1965 के अन्तर्गत मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कितनी अपील याचिकायें भेजी गईं ; और

(ख) इस अवधि में मनीपुर को सरकार द्वारा ऐसी कितनी अपील याचिकायें रोक ली गईं और अपील याचिकाओं को रोकने के कारणों सहित इन याचिकाओं का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1964 से फरवरी 1968 तक की अवधि में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों, 1965 के अधीन तथा भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित केवल 3 अपील याचिकाएं मनीपुर सरकार को प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से केवल एक अपील/याचिका रोकी गई थी। यह अपील जनवरी, 1968 में श्री बी० आई० शर्मा, मनीपुर सरकार के एक अवर सचिव, द्वारा मनीपुर सरकार के अधीन, सचिव (वित्त) के पद पर उन्हें पदोन्नत न करने के निर्णय के विरोध में प्रस्तुत की गई थी। मनीपुर सरकार द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के परामर्श से इस पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था तथा श्री बी० आई० शर्मा समेत कोई अवर सचिव उस पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया। अतः उस पद पर नियुक्ति भारत सरकार के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की गई। इसको दृष्टि में रखते हुए मनीपुर सरकार ने श्री बी० आई० शर्मा द्वारा भेजी गई अपील में कोई सार नहीं पाया और वह रोक ली गई।

संसदीय हिन्दी परिषद्

6594. **श्री एंथनी रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय हिन्दी परिषद् के उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) क्या उनका मंत्रालय इस परिषद् को अपना कार्य चलाने के लिये कोई धनराशि दे रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) संसदीय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली (संसद् की हिन्दी संस्था) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एक संगठन है। इसकी सदस्यता केवल संसद् सदस्यों तक ही सीमित है। इसका मुख्य उद्देश्य संसद् सदस्यों के बीच हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार करना और शिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा संसदीय कार्य आदि के संबंध में सहायता देना है।

(ख) जी हां । 1967-68 के दौरान परिषद् को 14,175.00 रुपए का अनुदान मुख्यतः अहिन्दी भाषी संसद् सदस्यों को हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी की कक्षाएं चलाने के लिए दिया गया था ।

Test Match in New Zealand

6595. **Shri Chandra Shekhar Singh:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India won the rubber in New Zealand for the first time in the Cricket History of India (108 Tests); and

(b) if so, whether Government propose to honour the team which won the rubber on its arrival in India?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) Government have no such proposal under consideration. The team has already returned to India.

Highway Robberies in Delhi

6597. **Shri Chandra Shekhar Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the incidents of highway robbery are on the increase in Delhi;

(b) if so, how the said incidents compared with those in 1966 and 1967;

(c) the number of cases in which the police could apprehend the offenders; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to check or reduce the number of said incidents?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). 27 cases of highway robberies were reported in Delhi during the year 1966 and in 13 cases persons were apprehended. The number of such cases reported during the year 1967 was 19 and in 7 cases persons were apprehended.

(d) Patrolling is intensified, whenever necessary, in the areas affected. Strict surveillance is maintained on the known criminals and bad characters.

राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार

6598. **श्री अजमल खां :** **श्री शिवप्पा :**
श्री गाडलिंगन गौड़ : **श्री मीठा लाल मीना :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कहा है कि वह राज्य सरकार को हिन्दी में लिखे गये पत्रों को संघ सरकार को वापस भेज देंगे;

(ख) क्या उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद केरल सरकार को संघ सरकार से हिन्दी में दो पत्र प्राप्त हुए और क्या इन पत्रों को बिना उन पर कोई कार्यवाही किये वापस भेज दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । वे दो पत्र उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए थे ।

(ग) राज्य सरकार के साथ पत्राचार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संशोधित राज भाषा अधिनियम की धारा 3 (1) के उपबन्ध के अनुसार करना होता है ।

Murder of A Student in Delhi

6599. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a student, Shri Surinder Kumar, was murdered in Model Town, Delhi on Holi ;

(b) if so, the action taken by Government against the persons responsible therefor; and

(c) the steps taken by Government to avoid the recurrence of such day-light murders ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Two persons have been arrested by the Delhi Police, in this connection. The cases registered against them are under investigation.

(c) The alleged murder was unpremeditated and was due to a sudden quarrel over throwing of coloured water on the Holi day. There was no record of any previous enmity between the concerned parties. However, whenever breach of the peace is apprehended, action is taken under preventive sections of the law. Known bad characters are kept under surveillance and patrolling is intensified if any area is particularly affected.

भारत में जर्मन छात्र

6600. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत हाल में भारत आये कुछ जर्मन छात्रों को दाखिला देने में कठिनाई हो रही है और उन्हें दिया गया धन निर्धारित राशि से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छात्रवृतियां प्राप्त कर विदेशों में गये अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के विद्यार्थी

6601. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की छात्रवृत्तियां लेकर पिछले 20 वर्षों में कितने भारतीय विद्यार्थी विदेशों में गये उनके नाम क्या हैं तथा वे किस-किस विषय की शिक्षा के लिये गये हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं और उनके नाम क्या हैं तथा वे किस-किस विषय की शिक्षा के लिये गये हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं; और

(ग) इन विद्यार्थियों को चुनने की कसौटी क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय के प्रशासन में केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के सम्बन्ध में पिछले 5 वर्षों की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-784/68] चूंकि उससे पहले के रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं अतः अब जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(ग) चयन पात्र उम्मीदवारों में से उस प्रयोजनार्थ विधिवत् रूप से गठित एक चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता है।

Roads in Meerut District

6602. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road going upto Gulaoti **via** Dhaulana-Sapnavat in Meerut District Uttar Pradesh has not been metalled so far ;

(b) whether it is also a fact that no attention has been paid towards this road during the last three Five Year Plans even though many big towns and Colleges of this area are situated along it ; and

(c) the time by which Government propose to take up the construction work of this road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). The road link to Gulaoti **via** Dhaulana-Sapnavat is a part of the Dasna-Dhaulana-Gulaoti Road. It is a State road ; and its construction is, therefore, the concern of the Government of Uttar Pradesh. It is understood that they have included this road project in their proposals for the Fourth Five Year Plan. However, a decision regarding the construction work may be taken only after the allocations under the new Fourth Five Year Plan have been finalised.

आसाम की स्थिति

6603. **श्री रा० बरुआ : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 मार्च, 1968 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'गेदरिंग कराइसिस इन आसाम' (आसाम में संकट की स्थिति) शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या अनुमान तथा निष्कर्ष निकाले गये हैं जोकि सरकारी अनुमानों से मेल नहीं खाते हैं;

(ग) क्या सरकार तथा राज्य के गुप्तचर अभिकरणों ने इन विघटनकारी तत्वों का सुराग लगाने में अपनी असमर्थता दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुप्तचर विभाग को सक्रिय बनाने, उसमें समन्वय करने और उसमें तत्काल कार्य करने की भावना उत्पन्न करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). लेख के लेखक ने आसाम की स्थिति के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है । कुछ सीमा तक स्थानीय गुप्तचर विभाग असफल रहा क्योंकि वह 26 जनवरी, 1968 को गौहाटी में होने वाली घटनाओं का उपयुक्त रूप में मूल्यांकन तथा अनुमान नहीं कर सका था । यह नहीं कहा जा सकता है कि गुप्तचर विभाग पूर्णतः असफल हुआ था । सरकार पूर्वी क्षेत्र में समस्या की गम्भीरता के प्रति सजग है और वहां की स्थिति पर सावधानी से निगरानी कर रही है ।

विदेशी लेखकों तथा प्रकाशकों को स्वामित्व

6604. **श्री जुगल मंडल : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत आयातित पुस्तकों पर विदेशी लेखकों तथा प्रकाशकों को 30 से 40 प्रतिशत तक स्वामित्व देने की सरकार की अनुमति है;

(ख) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में किन-किन विदेशी लेखकों तथा प्रकाशकों को स्वामित्व दिया गया;

(ग) क्या विदेशी लेखकों तथा प्रकाशकों को दिये जाने वाले स्वामित्व की दर कम करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या देश में प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराने के लिये सरकार भारतीय लेखकों तथा प्रकाशकों को भी पर्याप्त राजसहायता देती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (घ) जी नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए इण्डो-अमेरिका मानक-ग्रंथ कार्यक्रम के अंतर्गत देय अधिकतम रायल्टी मूल संयुक्त राज्य अमेरिका संस्करण की कीमत की 10 प्रतिशत है। इस पर भारतीय कर भी देना होता है। क्योंकि ये पुस्तकें बढ़ी हुई कीमत पर प्रकाशित की जाती हैं अत: रायल्टी को भारतीय विक्रय मूल्य से संबद्ध करना व्यावहारिक नहीं होगा।

(ख) इस सूचना को एकत्र करने के लिये समय और श्रम अपेक्षित हैं और उससे प्राप्त परिणाम अधिक लाभकर सिद्ध नहीं होंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) दो प्रकाशनों के लिए पहले ही सहायता दी जा चुकी है। कुछ अन्य प्रकाशन विचाराधीन हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पुस्तक विक्रेताओं को सहायता

6605. **श्री जुगल मंडल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सामाजिक शिक्षा संबंधी साहित्य सृजन के क्षेत्र में तथा नव साहित्यानुरागियों के लिये पश्चिम बंगाल के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) क्या उक्त अवधि में इस प्रयोजन के हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) नव-साक्षरों के लिये समाज शिक्षा संबंधी साहित्य के लिये, प्रकाशकों, मुद्रकों और पुस्तक-विक्रेताओं को सहायता देने के लिए, सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। किन्तु मान्यता-प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में नव-साक्षरों तथा नये-पाठकों के लिये प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार देने की योजनाएं हैं, जिनके अन्तर्गत प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की 1500 प्रतियां, सरकार द्वारा खरीदी जाती हैं।

पिछले दो वर्षों में, बंगला की 5 पुरस्कृत पुस्तकों में से प्रत्येक की 1500-1500 प्रतियां कुल 8,400 रुपये में खरीदी गई थीं।

(ख) जी नहीं।

विदेशों में भेजे गये छात्रवृत्तिधारी

6606. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये 1966-67 में विदेशों में भेजे गये छात्रवृत्तिधारियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रवृत्तिधारियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी छात्रवृत्ति दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 94; उनके नाम विवरण में दिये गये हैं (परिशिष्ट क) जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-785/68**]।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) छात्रवृत्ति की राशि में योजनानुसार अन्तर होता है जैसा कि सभा-पटल पर रखे विवरण (परिशिष्ट ख) में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-785/68**]

उत्तर प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकें

6607. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल की सरकार ने मिडल और प्राइमरी कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में यह संशोधन किया है कि विदेशियों ने भारत पर 200 वर्ष तक नहीं जैसा कि सामान्यतया बताया जाता है अपितु 700 वर्ष तक शासन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार के लिये पाठ्य-पुस्तकों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे परिवर्तनों को जिनका हमारे छोटे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ने की संभावना हो, रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) कोई भी अपेक्षित कार्यवाई मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगी।

दिल्ली में अस्थायी अध्यापकों की भर्ती

6608. **श्री अंबचेजियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला करने के लिये दिल्ली में नये अध्यापकों की भर्ती की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अध्यापकों की नियुक्तियां अन्य सरकारी पदों की भांति अस्थायी आधार पर की गई थीं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन अध्यापकों की सेवाएं शीघ्रतापूर्वक समाप्त की जा रही हैं; और

(घ) क्या इन अध्यापकों को उनके वर्तमान पदों पर बनाये रखने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। उन्हें दैनिक मजदूरी और केवल तदर्थ आधार पर ही नियुक्त किया गया था।

(ग) नियमित अध्यापकों के अपनी-अपनी ड्यूटी पर आ जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।

(घ) जी नहीं।

'अल्जमियत' में जगद्-गुरु शंकराचार्य के विरुद्ध आरोप

6609. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1968 के 'अल्जमियत' दैनिक पत्र के सम्पादकीय लेख की ओर आकर्षित किया गया है; जिसमें पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य के विरुद्ध यह आरोप लगाये थे कि उन्होंने मेरठ में अत्यधिक मुसलमान विरोधी भाषण किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सम्पादकीय लेख में सरकार पर मुसलमान-विरोधी होने का दोषारोपण भी किया गया है और यह कहा गया है कि भारत में मुसलमानों की हत्या की जाती है तो सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने 23 मार्च, 1968 के 'अल्जमियत' में सम्पादकीय लेख देखा है तथा उनका विचार है कि इसमें अभिव्यक्त कुछ विचार किसी तथ्य पर आधारित नहीं हैं।

भारतीय समुद्र सीमा में चीनी नौका

6610. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका के पूर्वी तट पर एक चीनी नौका देखी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह नौका भारतीय समुद्र सीमा के अन्दर भी आई थी और उसने केरल में साम्यवादियों से सम्पर्क स्थापित किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर दी जायगी ।

भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीप नौवहन सम्मेलन

6611. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीप नौवहन सम्मेलन की हाल में लन्दन में जो बैठक हुई थी उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) भारत ने उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये जिन्हें इस सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारत-पाकिस्तान-यू०के० महाद्वीप जहाजी सम्मेलन अंतर्सरकारी संस्था नहीं है बल्कि यह निजी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सम्मेलन है जिसमें भारत के अतिरिक्त कई देशों जैसे यू० के०, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, पाकिस्तान इत्यादि के जहाजी हित हैं । यह जहाजी सम्मेलन आवधिक बैठकें करता है जिससे वह अपना आंतरिक कार्यचालन का तथा भाड़े की दरों, जहाजी सेवाओं, इत्यादि से संबंधित वाणिज्यिक प्रश्नों का पुनर्विलोकन कर सके । इसके विचार-विमर्श तथा निषकर्ष गोपनीय समझे जाते हैं और सम्मेलन की लोक संपर्क समिति ही उनको बता सकती है और अलग-अलग सदस्य लाइनें नहीं बता सकती हैं । इस दृष्टि से भारत सरकार मांगी गई जानकारी देने की स्थिति में नहीं है । फिर भी यह बता दें कि सम्मेलन की हाल की बैठक में एक निर्णय यह किया गया, जो सर्व साधारण को बता दिया गया है, कि 1 मई, 1968 से टैरिफ स्टर्लिंग आधार से डालर आधार में बदल दिया जायगा ।

भारतीय प्रशासन सेवा

6612. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन 1955 की क्रियान्वित के लिये जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो 1962 से अब तक कितनी बार सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य चयन समिति की सिफारिशों में परिवर्तन करना पड़ा है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1962 से अब तक राज्य असैनिक सेवा में शत-प्रतिशत सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों के स्थान पर अन्य अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विनियमों में क्या उपबन्ध निर्धारित किये गये हैं जिससे ऐसे सभी मामलों में योग्यता, उपयुक्तता और वरिष्ठता का ठीक निर्धारण हो सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955 जो राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये चयन को नियमित करते हैं, भारत सरकार द्वारा बनाये गये है। किन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये अधिकारियों का वास्तविक चयन इन विनियमों में निर्धारित रीति के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिये गठित चयन समिति को सौंपा जाता है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। 1962 से तैयार की गई चयन सूचियों में शामिल 36 अधिकारियों में से 16 राज्य सिविल सेवा में सीधी भर्ती किये गये अधिकारी हैं। चयन में 99 अधिकारयों का अतिक्रमण हुआ है, जिनमें से 45 व्यक्ति सीधी भर्ती किये गये राज्य सिविल सेवा अधिकारी थे।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये चयन सूची में शामिल होने के लिये चयन, योग्यता तथा सब प्रकार से वरिष्ठता सम्बन्धी उपयुक्तता पर आधारित है। यदि चयन समिति इन आधारों के अनुसार विचार करती है कि कुछ अधिकारी चयन सूची में शामिल किये जाने के उपयुक्त नहीं हैं, तो उनका अतिक्रमण किया जाता है।

(ङ) चयन समिति में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या जहां अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हों, आयोग का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका कोई अन्य सदस्य, भारत सरकार का नामांकित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव से कम के पद का न हो (21 जुलाई, 1967 से पश्चिम बंगाल के लिये) तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा राजस्व बोर्ड के सदस्य या डिवीजन के आयुक्त के समान वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उनके द्वारा तैयार की गई चयन सूची, चयन सूची में सम्मिलित राज्य सिविल सेवा के सभी सदस्यों के रिकार्ड, सूची में की गई सिफारिशों के द्वारा अतिक्रमण किये जाने के लिये प्रस्तावित राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के रिकार्ड, प्रस्तावित अतिक्रमणों के लिये समिति द्वारा रिकार्ड किये गये कारण तथा समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचारों के साथ राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाती है। आयोग राज्य सरकारों से प्राप्त अभिलेखों के साथ इस सूची पर विचार करता है और सूची को स्वीकृत करता है। चयन की यह प्रक्रिया विनियमों में निर्धारित की गई है ताकि वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए चयन, योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जा सके।

Raghubar Dayal Commission

6613. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Raghubar Dayal Commission appointed to hold an enquiry regarding the communal riots has decided to hold their meeting in camera;

(b) whether it is also a fact that the Commission has also decided to deprive individuals and organisations of their right to engage the services of Advocates for presentation of their cases; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) According to rule 5 of the Central Commission of Inquiry (Procedure) Rules, 1960 the Central Government, every person into whose conduct inquiry is being made under rule 4 of the aforesaid rules and with the permission of the Commission any other person whose evidence is recorded under rule 3 thereof may be represented before the Commission by a legal practitioner. There is no right of individuals and organizations to engage the services of advocates, and therefore the question of deprivation of such rights does not arise.

(c) A request was made by the Central Government under rule 1 (a) of the Central Commission of Inquiry (Procedure) Rules that it would be in public interest if the Commission sat in private. The Commission accepted the request of the Central Government and decided to sit in private for recording evidence.

दिल्ली की प्रशासनिक सेवाएं

6614. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं में आमूल परिवर्तन करने के बारे में सोच विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कोई बड़ा आमूल परिवर्तन विचाराधीन नहीं है। 1-1-1968 से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पहले से चले आ रहे सिविल/पुलिस सेवा संवर्गों के अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्गों का निर्माण किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्गों के लिए अधिकारियों का चयन किया जा रहा है। संवर्गों में अधिकारियों की सामान्य नियुक्तियां तथा स्थानान्तरण विचाराधीन हैं।

विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियां

6615. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो लैण्ड-त्रिपुरा सीमा के साथ-साथ हाल के महीनों में विद्रोही मिजो लोगों की विध्वंसक गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या 5 मार्च, 1968 को 50 सशस्त्र विद्रोही मिजो लोगों ने त्रिपुरा सीमा पर तावल जयपाड़ा क्षेत्र में आक्रमण किया था और उन्होंने उस क्षेत्र के विद्रोही मिजो लोगों का राज्यक्षेत्र होने का दावा जता कर उनके द्वारा लगाया गया लगान बलपूर्वक वसूल किया था ;

(ग) क्या 11 मार्च, 1968 को 150 मिजो लोगों ने चमनू बाजार क्षेत्र पर धावा मारने का प्रयास किया था और वे इस क्षेत्र में नवीन धावे मारने की योजना बना रहे हैं ;

(घ) क्या मिजो लोगों द्वारा बार-बार मारे जाने वाले इस प्रकार के धावों से त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है तथा इन क्षेत्रों में त्रिपुरा के लोगों में असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी, असम के मिजो पहाड़ी जिला के निकट त्रिपुरा के सीमाक्षेत्र में विद्रोही तत्वों की कुछ गतिविधियां ध्यान में आई हैं।

(ख) 6 मार्च, 1968 को या उसके आस पास ताबल जयपाड़ा के 60 संदिग्ध लुशाई व्यक्तियों के एक गिरोह द्वारा बलपूर्वक चन्दा लेने की सरकार को सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

(घ) प्रभावित गांवों के निवासियों में आरम्भ में कुछ अशान्ति थी, किन्तु अब उस क्षेत्र के व्यक्तियों का मनोबल ऊंचा है।

(ङ) उस क्षेत्र में कुछ सशस्त्र पुलिस कैम्प तथा सिविल पुलिस बाहरी चौकियां स्थापित की गई हैं और सुरक्षा दलों के गश्त मजबूत कर दिये गये हैं।

लड़कियों की शिक्षा

6616. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कम है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्कूलों में दाखिल हुए बच्चों में कितने प्रतिशत लड़के थे तथा कितने प्रतिशत लड़कियां थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1965 से 1967 तक कुछ राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए नियत धनराशि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) तीसरी आयोजना के अन्त तक, लड़के तथा लड़कियों के दाखिले की प्रतिशतता इस प्रकार थी :

आयुवर्ग	दाखिले की प्रतिशतता	
	लड़के	लड़कियां
6-11	99.6	58.5
11-14	44.4	17.2
14-17	25.8	8.0

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास

6617. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास लिखने का कार्य बहुत वर्षों से चल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक केवल एक खण्ड ही प्रकाशित किया गया है जिसकी सुयोग्य इतिहासकारों ने बड़ी कटु आलोचना की है ; और

(ग) यदि हां, तो शिक्षा मंत्रालय की अन्य तथा अधिक आवश्यक परियोजनाओं के लिये धन की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अब तक दो खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें से दूसरा 15 अगस्त, 1967 को प्रकाशित किया गया है। पहले खण्ड की समाचार-पत्रों में आलोचना हुई है, किन्तु शिक्षित जनता की इसके बारे में प्रतिक्रिया सामान्यतया अनुकूल रही है। पहले खण्ड की सभी प्रतियां बिक चुकी हैं और इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किया जा चुका है।

इतिहास वेत्ताओं को दूसरे खण्ड के बारे में प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना अभी समय से पहले होगा।

तिब्बती शरणार्थियों के लिए अमरीकी आपात समिति

6617-क **श्री देवेन सेन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के लिये अमरीकी आपात समिति और कलकत्ता में लैमबैक लिटरेरी फंड के प्रत्यय पत्रों की इस दृष्टि से जांच की है कि क्या वे सेन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेन्सी के लिये काम कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास प्रश्न के भाग (क) के अन्तिम भाग में उल्लिखित जैसी कोई सूचना नहीं है।

Central Road Fund

6617-B. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the amount allocated to various States under the Central Road Fund for 1965-66 and 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-786/68]**

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES
सम्माननीय (डा०) मार्टिन लूथर किंग

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : डा० मार्टिन लूथर किंग की हत्या का समाचार सुनकर हमारे मन को काफी धक्का लगा है। यह समाचार सुनकर हमें गांधीजी की याद आती है। एक बार फिर एक धर्मान्ध और क्रूर व्यक्ति के हाथों ने शान्ति के एक दूत के जीवन का अन्त कर दिया है। उन्होंने गांधीजी से प्रेरणा ली थी और जीवन भर उनका अनुसरण किया था। इस पर हमें क्रोध ही नहीं अपितु अपार दुःख भी है।

(डा०) मार्टिन लूथर किंग एक महान अमरीकी थे वह मानवता के एक उज्जवल रत्न थे। हमारी उनके प्रति विशेष मैत्री और आदर की भावनाएं रही हैं और वह हमारी प्रशंसा के पात्र रहे हैं। हमारी तरह उन्होंने भी जाति के आधार पर मानव की हीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। वह अहिंसा के पुजारी रहे हैं जो हमारे देश की परम्परा में निहित है। राष्ट्रपिता ने देश में सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए इसी का प्रयोग किया था।

जिन लोगों को उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति समझेंगे। हम श्रीमती किंग, अमरीका जनता तथा विश्व के सभी सद्भावना वाले लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। जिन्हें उनका अभाव बहुत खटकेगा।

हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।
The Members then stood in silence for a short while.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन (संक्षिप्त) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-762/68]**

अखबारी कागज की आयात सम्बन्धी नीति के विषय में सार्वजनिक सूचना

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : श्री के० के० शाह की ओर से मैं समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्बन्ध में, वर्ष 1968-69 के लिये अखबारी कागज के आयात सम्बन्धी नीति के विषय में दिनांक 5 अप्रैल, 1968 की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-763/68]**

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य-निष्पादन सम्बन्धी नोट

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) मैं राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थित इस्पात संयंत्रों के कार्य चालन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 424 पर अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 5 मार्च, 1968 को दिए गये एक आश्वासन के अनुसरण में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निष्पादित कार्य सम्बन्धी एक नोट सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-764/68]**

भारतीय वन सेवा संशोधन विनियम पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम और शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियमन 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 537 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-765/68]**

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों की एक एक प्रति :

(एक) न्यायालय शुल्क (पश्चिमी बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1968 (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम, संख्या 7) जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पश्चिमी बंगाल न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का पृथक्करण अधिनियम, 1968 (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम संख्या 8) जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-766/68]

(3) (एक) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 6 जनवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 3 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-671/68]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1968

(2) उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

(नौवां प्रतिवेदन)

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में
RE : POINT OF ORDER

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 340 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सारे देश में जीवन बीमा निगम के 45,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे जीवन बीमा निगम का काम-काज ठप्प हो गया है।

सरकार द्वारा उनके साथ समय पर बातचीत न करने के कारण उन्हें हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा स्थगित करके इस मामले पर चर्चा की जाये। फिर आज सरकारी उपक्रमों में तालाबन्दी के कारण 14,000 कर्मचारी बेरोजगार पड़े हैं। तालाबन्दी की घोषणा से पहले सरकार को सभा को वहां की स्थिति से अवगत कराना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : नियम 340 के साथ माननीय सदस्य को नियम 341 पर भी ध्यान देना चाहिए। बजट की इन मांगों पर चर्चा स्थगित करना उचित नहीं होगा। यह ठीक है कि माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह भी महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु श्रम मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं।

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

Shri George Fernandes (Bombay South) : At the time of two invasions in 1962 by China and in 1965 by Pakistan, no country has given open support to India which clearly shows that our foreign policy has not been successful. It has been stated in the Annual Report of Ministry of External Affairs for the last year that over the last two decades India's foreign policy has been one of building bridges of friendship and Co-operation with countries regardless of their economic or political system. But no country has come forward to support us openly on two occasions which was a real test of friendship.

I agree that upto 1962 India has played an important role in the international field. India had tried to bring Russia and America closer to each other. But after the developments in Cuba that year, India had no role to play in the international field.

After 1962 invasion our foreign policy had been lacking in direction. In fact a country which depends on other countries for food and defence cannot form its own foreign policy. I would therefore suggest to the Government that they should take into confidence people of this country and form its own foreign policy so that we may not stand helplessly depending on others. First of all they should form a clear-cut policy in regard to our borders. China and Pakistan have occupied our land since long. Recently Ceylon has also tried to snatch away the Kachchativu Island. Burma is also trying to occupy some of Andaman Islands. Moreover our Government have agreed to part with 530 miles of our territory as a result of Kutch Award. It is a rare case in the history itself where a country wants to gain friendship by giving away its territory. We have no firm policy with regard to Pakistan. We have many a time suggested that we should support the people of East Pakistan who have raised the banner of revolt against their Government. Then we should support the movement of Pakhtoonistan led by Khan Abdul Gaffar Khan who had played an important role in our freedom struggle. We have also suggested that Government should take positive steps for forming a confederation of India and Pakistan. We should ask Pakistan to keep the Kashmir issue aside for a period of 10 years or so. Similarly we should have some firm policy in respect of our other neighbouring countries just as Nepal, Sikkim and Bhutan. There are democratic movements going on in all these countries and it is our duty to help the democratic forces in their fight against monarchy.

We should look into the problems of Asia and Africa as our own. We should try to improve the image of India in foreign countries. We should help the people who are struggling against imperialism.

In so far as the question of non-proliferation treaty is concerned, we are of the view that we should not enter into this controvercy as to whether we should have nuclear weapons or not. We should first of all take steps to remove poverty. We should inform the great powers who possess nuclear weapons that we stand for destruction of all the nuclear weapons on this earth. We should ask Russia and America to shoulder the responsibility of removing poverty from this world.

There are our embassies in about 100 countries and it is the responsibility of our ambassadors to create good image of our country. We should have right type of men sent out on these

posts because they have to represent our nation. They should have full sense of responsibility and behave in a manner which should not bring any bad name to our country

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह कहा गया है कि हम दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग तो करेंगे परन्तु हम उनके साथ कोई सैनिक सहयोग नहीं करेंगे। परन्तु समाचार-पत्रों से पता चलता है कि वे काफी डरे हुये हैं क्योंकि ब्रिटेन ने पहले ही इस क्षेत्र को खाली कर दिया है और अमरीका द्वारा भी यह क्षेत्र खाली किये जाने की सम्भावना है।

मुझे पता चला है कि कम्बोडिया में 50,000 साम्यवादी हैं जो उत्तर वियतनाम से आये हैं और वे लोग उन्हें नहीं चाहते। इन देशों के लिये अपनी रक्षा करना सम्भव नहीं है। वे चीन के प्रसारवाद को रोक नहीं सकते। हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि अकेले ही अपने देश की रक्षा करना सम्भव नहीं होता है। बड़े-बड़े देश भी ऐसा नहीं कर सकते। परन्तु हम आज इतने बहादुर बन गये हैं कि हमें न किसी देश से सहायता लेने की आवश्यकता है और न सहायता देने की आवश्यकता है। यदि हमारा यही विचार है तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि संसार में हमारा कोई भी मित्र नहीं रहेगा। यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे *तभी वे हमारे* मित्र बनेंगे। अतः मेरे विचार में इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये अन्यथा आपत्ति के समय हम अपने आपको निःसहाय पायेंगे जैसाकि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय हुआ था।

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (फूलपुर) : किसी भी देश की विदेश नीति में संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाये तो विदेश नीति प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती। हमारे देश की विदेश नीति में भी संतुलन नहीं रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिये हमें स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम प्रगति कर सकते हैं।

हम कुछ असफलताओं के कारण ही विदेश नीति की निन्दा नहीं कर सकते। भारत ने काफी सफलतायें भी प्राप्त की हैं। अब भी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिये प्रयत्न-शील हैं। वास्तव में इस सभा में रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता है। भारत का उज्जवल स्वरूप प्रस्तुत करने की हम सब पर जिम्मेदारी है। केवल सरकार पर ही आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् संसार में भारत का विशेष स्थान बन गया था, जिस पर प्रत्येक भारतीय गर्व कर सकता था और वास्तव में संसार में हमने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसका कारण यह था कि हमारी नीतियां उस समय सही थीं।

यह सम्भव है कि आज हमारे में कुछ कमी आ गई हो या समय बुरा आ गया हो, परन्तु फिर भी हम भारतीय हैं और हमारे में आज भी सामर्थ्य है कि हम अपनी विदेश नीति को ऐसा रूप दें जो हमारे लिये लाभप्रद हो।

अभी हाल ही में हमारे एक राज्य मंत्री के कीनिया जाने पर जो कुछ हुआ, हमें उस पर बड़ा दुःख है, परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री तथा सरकार ने इस मामले को शांति से, क्रोध रहित होकर और परिपक्व बुद्धि से निपटाया है। इसी बात के साथ मैं राष्ट्रमण्डल का भी उल्लेख करना चाहती हूं। मुझे राष्ट्रमण्डल के विषय में काफी जानकारी है और मैं यह बता सकती हूं कि राष्ट्रमण्डल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हम यह सोचते थे कि राष्ट्र-मण्डल में अपने साथी देशों के हितों का ध्यान रखा जायेगा परन्तु वस्तुस्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब दक्षिण अफ्रीका संघ में भारत मूल की जनता के साथ भेदभाव करने के बारे में प्रश्न उठाया गया था तो राष्ट्रमण्डल के श्वेत राष्ट्रों में से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था।

इसी प्रकार भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय ब्रिटेन ने अपने कुछ निहित स्वार्थों के कारण भारत को आक्रामक बताया था। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब हमें अन्य दलों की सहायता लेकर इस विषय पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये। यदि हम राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध तोड़ने की बात कहते हैं तो यह किसी के लिये कोई बड़ी धमकी नहीं होगी। हम राष्ट्रमंडल में न रहकर भी ब्रिटेन तथा अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रख सकते हैं।

विश्व बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और भारत को भी उसके साथ बदलना होगा अन्यथा वह न अपनी समस्याओं का और न मानव-जाति की समस्याओं का सामना कर सकेगा। हमें भावावेश में न बहकर काफी सूझबूझ से काम लेना चाहिये। हमें वास्तविकता को ध्यान में रखकर अपने काम करने चाहिये।

वियतनाम की घटनाएं जिस प्रकार का मोड़ ले रही हैं, हमें उन पर संतोष है। अमरीका के राष्ट्रपति को जनता की राय के सामने झुकना पड़ा है। मुझे आशा है कि अब हमारी सरकार इस स्थिति का लाभ उठाकर इस पेचीदा समस्या का समाधान करने में पहल करेगी। मुझे यह भी आशा है कि सरकार किसी प्रकार के दबाव को सहन न करके वियतनाम की जनता के हितों का ध्यान रखकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।

अणु प्रसार निरोधक संधि के सम्बन्ध में सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। मेरा विचार यह है कि हमें गरीबी की समस्या के साथ पहले निपटना चाहिये। हमें जनता की स्थिति सुधारने के लिये सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिये। इसके बाद जनता स्वयं निर्णय करेगी कि हमारे देश को कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि मनुष्य अपने बनाये हुए हथियारों से बड़ा है और मानव मस्तिष्क ही इस संसार में बुराई को रोक सकता है।

मुझे आशा है कि अणु प्रसार निरोधक संधि पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में सरकार किसी दबाव की परवाह नहीं करेगी। आज हमें जो सहायता मिल रही है, वह मानव के भले के विचार से नहीं, बल्कि इसलिये मिल रही है कि सहायता देने वाला देश हमसे कुछ लाभ प्राप्त

करने की आशा करता है। सरकार को इस सम्बन्ध में कठोर रवैया अपनाना चाहिये। विदेश सहायता बन्द होने से नैतिक रूप से हम ऊंचे उठेंगे और हममें आत्म-सम्मान की भावना जागृत होगी।

आज विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं, नये विचार जन्म ले रहे हैं। हमें केवल उन्हीं पुरानी बातों पर अड़े रहना चाहिए जो हमारी प्रगति को गति देती हैं। हमें अपनी मौलिक विचारधारा को ऐसा नया स्वरूप देना चाहिए जो स्वीकार्य हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि विदेशी मामलों में दृष्टि-क्षमता सूक्ष्मता, निर्णय और निर्णयों की क्रियान्विति होनी चाहिए, यदि ये चीजें हों, तो हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है।

भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। यदि वह सही निर्णय लेता है, तो वह आगे जा सकता है। मैं इस सभा में सभी लोगों से तथा सभा के बाहर के लोगों से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि हम व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थों से ऊपर उठें और छोटी-छोटी व्यक्तिगत बातों में न जायें। तब ही हम भारत की जनता को दिये गये वचन निभा सकते हैं और भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इस सभा में और इस देश की जनता में विश्वास है। यदि हम दिल से एक हो जायें और एक दूसरे को अच्छी तरह ससझें, तो भारत का भविष्य दीप्तिमान होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि किसी चीज को बनाने की अपेक्षा उसकी आलोचना करना आसान है। क्या किसी देश की नीति छुटपुट घटनाओं अथवा मामलों, जैसे कच्चाटीवू अथवा कीनिया अथवा किसी द्वीप पर बर्मा के झण्डे फहराये जाना का कथित समाचार के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए अथवा देश के मूल हितों को मस्तिष्क में रखकर दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। मिस्टर पाल्मरस्टन ने कहा था कि इंगलैंड का न तो कोई स्थायी शत्रु है और न ही कोई स्थायी मित्र है किन्तु केवल इसके हित ही स्थायी हैं।

आज इस देश के मूल हित क्या हैं ? पहली बात है गरीबी और आर्थिक असमानता को दूर करना, जिसके विरुद्ध हम निरन्तर संघर्ष करते रहे हैं। और जैसाकि 1947 में संविधान सभा में पंडितजी ने कहा था कि अन्ततोगत्वा विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम है, और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति ठीक निर्धारित नहीं करता उसकी विदेश नीति अस्पष्ट और

अन्धेरे में खोज करने के समान रहेगी। इस बात को ध्यान में रखकर कुछ मूल सिद्धान्त निश्चित किये गये थे जिनमें से सर्वप्रथम तथा प्रमुख है गुट-निरपेक्ष नीति। यह नीति न केवल देश में सहायक और सफल रही है क्योंकि इसने हमारे समाज के परस्पर विरोधी अंगों को एक ध्येय की पूर्ति तथा सरकार को सहयोग देने के लिये एक मंच प्रदान किया है, अपितु विदेशों में भी ऐसे समय जब विश्व युद्ध के द्वार पर खड़ा था, दो गुटबन्द देशों के बीच भारत का मार्ग प्रशस्त करने में भी यह नीति बहुत लाभदायक रही है। इस नीति के कारण ही आज भारत एक उन्नत देश है। भारत अपने उद्योगों और प्रतिरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण कर सका है और खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्म-निर्भर होने लगा है। आज का भारत पुराना भारत नहीं है। मैं इस सफल नीति के जन्मदाता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

आज अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदल गई है। अब विश्व की दो बड़ी शक्तियों के बीच बातचीत होने लगी है। इस वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में गुट-निरपेक्षता का उल्लेख नहीं है बल्कि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व पर अधिक बल दिया गया है, जिसके द्वारा हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को और सुधारना है। पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व अत्यन्त सफल रहा है। भारत को देखना है कि इन दो देशों का साथ मतभेदों को दूर करने में इस नीति का कहां तक प्रयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने की अमरीका की नीति बहुत सफल रही है। परन्तु हमारी कूटनीति आशाजनक रूप में सफल नहीं रही है क्योंकि पाकिस्तान अमरीका से सीधे तथा 'सिएटो' तथा 'सैंटो' के सदस्य के रूप में और अन्य देशों के माध्यम से पूरी सहायता प्राप्त करता रहा है। हाल ही में उसने इटली और 'नाटो' देशों के जरिये 100 टैंक प्राप्त किये हैं। साथ ही वह चीन के साथ राजनयिक सम्बन्धों से भी लाभ उठाता रहा है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। परन्तु भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिये प्रयास करते रहना चाहिए जैसाकि उसने दूर-संचार सम्पर्क पुनः प्रारम्भ करने के लिये किया है। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालान करने में सरकार को प्रत्येक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

चीन अपने देश में निरन्तर क्रांति की नीति और बाहर आक्रामक प्रसारवाद की नीति अपनाता रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि जब चीन हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं करता हम चीन के साथ भी अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने तथा उसके साथ बातचीत करने के लिये तैयार हैं। आखिर भारत को मालूम है कि हम पश्चिमी देशों पर और निर्भर नहीं रह सकते हैं, उन्होंने समय पड़ने पर हमारा साथ नहीं दिया है। ठीक है कि उन्होंने सहायता दी परन्तु अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत केवल सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी सहायता राजनैतिक बन्धनों से मुक्त नहीं होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक महान देश है, इसकी परम्परा महान रही है। विगत महान रहा

है और भविष्य महान होगा। हमारे देश को एशियाई नीति बनाने में अधिक बल देना चाहिए। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में अपेक्षित शून्यता से लाभ उठाकर एक एशियाई ब्लाक बनाना चाहिए परन्तु उनके साथ कोई सैनिक गठबन्धन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे चीन भड़क उठेगा। भारत सरकार को उनके साथ मैत्री, सौहार्द्य बनाना चाहिए, घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए और उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि जहां तक पारस्परिक प्रगति और समृद्धि का प्रश्न है, हम एशियाई ब्लाक के रूप में इकट्ठे रहेंगे।

दूसरा प्रश्न वियतनाम का है। सौभाग्य की बात है कि भारत अमरीका जैसे शक्तिशाली देश को भी यह समझाने में अपने अनथक प्रयासों में आंशिक रूप से सफल रहा कि कोई देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो किसी देश की राष्ट्रीयता की भावना को अधिक समय तक नहीं दबा सकता है। वियतनाम की कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि राष्ट्रीयता की शक्ति का महत्व है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और राष्ट्रीयता की शक्ति का निर्णय शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा ही हो सकता है, युद्ध द्वारा नहीं। भारत इस सिद्धान्त में आरम्भ से ही विश्वास करता रहा है और इस दिशा में आगे चलता रहेगा। वियतनाम के बारे में शांति का मार्ग खुल गया है, शांतिपूर्ण बातचीत आरम्भ हो गई है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते अधिक रुचि लेनी चाहिए और शांति को सुदृढ़ करने के लिये प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि भारत को परमाणु अस्त्र बनाने चाहिये, इस सम्बन्ध में मैं जनसंघ के अपने मित्रों से सहमत नहीं हूं। दो-तीन वर्ष पहले मैं हैलार्सिकी में नागासाकी और हिरोशिमा की बमबारी में जीवित बचने वाले एकमात्र व्यक्ति से मिली थी। उत्पीड़न, अत्याचार और दारुण कष्ट उनके चेहरे से स्पष्ठ प्रकट होता था। डाक्टरी सलाह के विरुद्ध वे परमाणु बमबारी की बरबादी विश्व को दिखाने के लिये उन्होंने यात्रा की थी। भारत हमेशा निशस्त्रीकरण तथा परमाणु अस्त्रों के फैलाव पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के लिये प्रयत्नशील रहा है। भारत अचानक अपना वह दृष्टिकोण क्यों बदल दे, जिसके लिये महात्मा बुद्ध, गांधी जी और नेहरू ने अपना सारा जीवन बिताया? इस दृष्टिकोण को बदलने से हमें क्या लाभ है? हम शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं रह जायेंगे और हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायेगी क्योंकि कुछ बम तैयार करने से हम परमाणु अस्त्रों की होड़ में अन्य राष्ट्रों का मुकाबला नहीं कर पायेंगे। साथ ही हम अपने देश का भविष्य बंधक रख देंगे। 1960 में हम प्रतिरक्षा पर 247 करोड़ रुपये खर्च कर रहे थे और प्रतिरक्षा पर अरबों रुपये खर्च होंगे क्योंकि हमें समुद्री सीमा की रक्षा करनी है, आधुनिक उपकरण प्राप्त करने हैं तथा प्रतिरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। आज सारे देश में असन्तोष फैला है और विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध नहीं हैं। हमें भारत की स्थिति को, समस्याओं को सही दृष्टि से देखना है।

हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला काश्मीर में पाकिस्तान के हक की बात कहते फिर रहे हैं। हम किस प्रकार काश्मीर की घटनाओं के बारे में, चीन द्वारा हमें तंग किये जाने के बारे में, पूर्व

मिजों और नागाओं के उपद्रवों के बारे में और दक्षिण में पृथकवादी प्रचार के बारे में हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं ? हमें एक शक्तिशाली और संगठित भारत बनाना है, यदि हम परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने लगें, तो यह सम्भव नहीं होगा । अन्त में मैं पूर्व जर्मनी को मान्यता के बारे में कहना चाहती हूं । जब पश्चिम जर्मनी के ऐसे अनेक देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं ; जिनके पूर्व-जर्मनी से सम्बन्ध हैं, तब भारत को कम से कम पूर्व-जर्मनी में एक व्यापार प्रतिनिधि रखने में क्या चीज रोकती है ?

इन शब्दों के साथ मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्री चित्तरंजन राय (जयनगर) : मैं मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक खतरों को समझने में असमर्थ रही है । आज मुख्य प्रश्न है, अमरीका का आक्रमणकारी राष्ट्रवाद, अमरीका सेन्ट्रल इंटैलीजेंस एजेन्सी की गतिविधियों के जरिये और अपनी आर्थिक शक्ति के जरिये तथा हाल में स्वतंत्र हुए देशों की कमजोरी और निर्धनता से लाभ उठा रहा है । वह यह सब साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के नाम पर करता है, जब भी अमरीकियों ने साम्यवाद के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा है, हमने देखा कि वास्तव में वह देश अमरीकी साम्राज्यवाद के चंगुल में आ गया, थाइलैंड, फिलिपीन्स, मलयेशिया आदि इसके उदाहरण हैं । इसी कारण वियतनाम में अमरीका के अन्याय के बारे में ये कठपुतली सरकारें अमरीकी सरकार का समर्थन करती हैं । आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक खतरा साम्यवाद के विरुद्ध अभियान के नाम पर अमरीकी साम्राज्यवाद का फैलाव है ।

राष्ट्रवाद का अर्थ अन्य लोगों के साथ अन्याय करना, अन्य देशों को नुकसान पहुंचना तो नहीं होता । वे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रश्न पर अपनी सुविधा के अनुसार दृष्टिकोण अपनाते हैं । यदि राष्ट्रवाद से लाभ हो तो राष्ट्रवाद का नारा लगा दिया और यदि लोकतंत्र से लाभ हो तो लोकतंत्र की बात कह दी । इसलिये हम देखते हैं कि भारत सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य और इसरायल के संघर्ष के बारे में कमजोर नीति अपनाई । सरकार ने आक्रमण के लिये इसरायल की निन्दा की परन्तु अमरीकी साम्राज्यवाद की निन्दा नहीं की, जिसकी शक्ति से और जिसके उकसाये जाने पर यह संघर्ष हुआ । वियतनाम के बारे में भी उत्तर वियतनाम पर बमबारी रोकने की बात कही गई परन्तु हमारी सरकार ने अमरीका की आक्रामक गतिविधियों के लिये उसकी कभी निन्दा नहीं की ।

हमारी सरकार की घुटने टेक नीति वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सहायक नहीं है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की हमारी परम्परा है । शायद हम अपने दमन के पुराने कटु अनुभव भूल गये हैं कि साम्राज्यवादी लोग किस प्रकार लोगों का दमन करते हैं और स्वतंत्रता की उनकी आकांक्षा पर कुठाराघात करते हैं । सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में आवाज उठा सकें । ठीक है कि हमारे देश में निर्धनता है और खाद्यान्न अथवा अन्य ऋण आदि के रूप में हमें सहायता मिलती है । लेकिन हम नैतिकता, नीतिशास्त्र

और अपनी साम्राज्यवाद-विरोधी परम्परा को तिलांजली देकर उनकी कही गई हर एक बात नहीं मान सकते ।

यदि हमारी गृह-नीति शक्तिशाली हो तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है । मुझे मालूम है कि देश में एक सनसनी फैलाई गई है कि चीन अथवा पाकिस्तान हमें हड़प जायेगा । ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी देश आज भारत जैसे बड़े और शक्तिशाली देश को हड़प नहीं सकता । इसलिये यह युद्ध उन्माद निरर्थक है । यह कुछ लोगों का भ्रममात्र है ।

हम देखते हैं कि देश में विघटनवादी और पृथकवादी प्रवृत्तियां और प्रान्तीयता की भावना उत्पन्न हो रही है । देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । ये सब सरकार द्वारा गलत नीति अपनाये जाने का परिणाम है । वह हर समय धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहते हैं । धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है दैवी शक्ति को न मानना और धर्म को एक निजी मामला मानना परन्तु हमारे सभी मंत्री, सभी धर्मों को उत्साहित करने के लिये जाते हैं । पाकिस्तान और भारत में यही अन्तर है कि पाकिस्तान इस्लामी देश है और भारत सभी धर्मों को उत्साहित कर रहा है । राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । मंत्रियों द्वारा सभी धर्मों को उत्साहित करना ही साम्प्रदायिकता का मूल कारण है । यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो यह समस्या कभी हल नहीं होगी । राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से हम स्वतंत्र हैं, परन्तु भावना, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, भाषा आदि की दृष्टि से हम जात-पांत, धर्म, राज्यों, भाषाई वर्ग आदि में बंटे हुए हैं । यह समस्या युक्तिसंगत अध्ययन तथा तर्क के आधार पर ही हल हो सकती है ।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : भारत की वर्तमान विदेश नीति की आलोचना का कारण विदेश नीति के मुख्य पहलुओं को न समझना है । बामपंथी सोचते हैं कि नीत्ति का झुकाव पश्चिम देशों की ओर है और दक्षिण पंथी आलोचना करते हैं कि नीति पर रूस का दबाव है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि विदेश नीति लड़खड़ाती हुई है परन्तु मैं कहूंगा कि विरोध दल लड़खड़ा रहे हैं और केन्द्र में तथा राज्यों में अपनी असफलता से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं । इसीलिये वे विदेश नीति की आलोचना करते हैं ।

किसी देश की विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में कुछ मूल सिद्धान्तों को रखकर निर्धारित की जाती है । देश के राष्ट्रीय आर्थिक हितों की अपेक्षा है कि गुटनिरपेक्ष नीति हो, जो सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित हो । लोगों ने इसे तटस्थता समझ लिया है । वास्तव में इसका अर्थ है कि आप किसी के दबाव में न आकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करें । जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दो गुट थे, पश्चिमी और पूर्वी, लेकिन समय ने बता दिया है और इतिहास साक्षी है कि ये गुट समाप्त हो रहे हैं और गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया जा रहा है ।

विदेश नीति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी आधारित होती है । चूंकि भारत अंग्रेजों के

अधीन रहा है, इसलिये वह अल्प-विकसित देशों तथा उपनिवेशों की परेशानियों को अधिक अच्छी तरह समझ सकता है, इसी कारण से भारत ने सबसे अधिक अफ्रीकी देशों की जनता के हितों की रक्षा के लिये आवाज उठाई है । अनेक वक्ताओं ने कहा कि वियतनाम के मामले में भारत असहाय होकर घटना चक्र को खड़ा देखता रहा है । यदि पहल का अर्थ राष्ट्रों को समझौता करने के लिये सहमत कराना है, तो भारत ने अवश्य पहल की है । क्या कोई कह सकता है कि भारत ने बमबारी की निन्दा नहीं की ? भारत की विदेशनीति की निन्दा करने के जोश में उन्होंने अमरीकी विदेश नीति की निन्दा की है । मैं समझता हूं कि भारत ने वियतनाम के मामले में वह सब कुछ किया है, जो एक शांतिप्रिय राष्ट्र को करना चाहिये और भारत को इससे आगे नहीं जाना चाहिये ।

जहां तक हमारे पड़ोसियों का सम्बन्ध है, हम दक्षिण-पूर्व एशियाई और अफ्रीकी देशों के विकास में सहायता करते रहे हैं । मैत्री को सुदृढ़ करने का यही एकमात्र तरीका है और नेपाल, बर्मा, मलयेशिया और श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अधिक मैत्रीपूर्ण हैं । हाल में हुये संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन ने अल्पविकसित देशों की समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान केन्द्रित किया है । मैं समझता हूं कि यह सफलता काफी है ।

पाकिस्तान और चीन हमारे मैत्री प्रयासों के बावजूद शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाये हुये हैं, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता रहा है । यदि कोई देश घृणा का प्रचार करता रहे, तो उसके साथ मैत्री सम्बन्ध कैसे स्थापित किये जा सकते हैं ? चीन ने भारत में अधिक से अधिक कठिनाइयां पैदा करने तथा तोड़फोड़ करने की नीति बना ली है । चीन की चुनौती का सामना करने का सर्वोत्तम तरीका अपनी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना है । प्रायः यह नारा लगाया जाता है कि हमें राष्ट्रमण्डल को छोड़ देना चाहिए । मैं इस मांग का समर्थक हूं यदि इससे कोई लाभ हो, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय करने के विरुद्ध हूं । यदि कोई सदस्य अथवा दल यह प्रमाणित कर दे कि इससे कीनिया में रहने वाले भारतीयों की हित साधना होगी, तो हमें राष्ट्रमण्डल छोड़ देना चाहिये । भारत ने कीनिया में भारतीयों की भरसक सहायता करने का प्रयास किया है । यह सच है कि कीनिया सरकार का व्यवहार ऐसा रहा है कि एक सभ्य सरकार से ऐसी आशा नहीं की जाती है । एक सुझाव दिया गया था कि सभी ब्रिटिश राष्ट्रजनों को भारत से निष्कासित कर देना चाहिए । लेकिन ब्रिटेन में लगभग 5 लाख भारतीय भी तो रहते हैं । हमें ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाये ।

कीनिया में 60,000 भारतीय हैं, जिन्हें आसानी से भारत में बसाया जा सकता है । इसके लिये ब्रिटेन में 5 लाख भारतीयों के हितों को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए । इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि इस सन्धि पर हस्ताक्षर

करने के बाद आक्रमण होने पर हमारी रक्षा की जायेगी। अगर कोई गारन्टी हो भी, तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। यह भी निश्चित नहीं है कि यदि हम हस्ताक्षर नहीं करते, तो आक्रमण होने की दशा में इस आधार पर हमारी सहायता नहीं की जायेगी। इस प्रकार हस्ताक्षर नहीं करने से हमारे हितों की हानि नहीं होगी। अन्त में मैं कहूंगा कि कोई भी राष्ट्र यह नहीं कह सकता कि उसकी नीति हमेशा सफल रही है। परन्तु हमारी नीति प्रायः सफल रही है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं समझता हूं कि विदेश मंत्रालय के सामने तीन गंभीर और दीर्घकालीन समस्याएं हैं तथा जब तक उनका दृढ़तापूर्वक सामना नहीं किया जाता, हमारी विदेश नीति इतनी फलदायक और प्रभावी नहीं होगी जितनी कि होनी चाहिये।

पहली समस्या यह है कि हमें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में संकुचित वातावरण समाप्त करना चाहिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि विश्व के एक भाग की ओर से हम आंखे बन्द कर लें और शेष के लिये अपनी आंखे खुली रखें। हमें अपनी विदेशी नीति में स्वार्थपरायणता के दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिये। हमारी विदेशी नीति कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिये जिनमें हम विश्वास रखते हैं। यह नीति भारत के महान प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की देन है। जब मिस्र पर आक्रमण हुआ, तो पंडित नेहरू और कर्नल नासिर के दिल एक साथ धड़के थे। इससे भारत को कोई लाभ नहीं हुआ परन्तु विश्व में भारत के दृष्किोण की सबने सराहना की।

दुर्भाग्य की बात है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में ऐसे लोग बैठें हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों को समझते ही नहीं हैं और न ही उन्हें विश्व के भूगोल का ज्ञान है। यदि कोई विदेश मंत्री कहे कि उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम के उत्तर में है, तो हमारी विदेश नीति सफल नहीं हो सकती। मुझे प्रसन्नता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुत्री ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का भार संभाल लिया है क्योंकि वे पंडित नेहरू के सिद्धान्तों में विश्वास करती हैं। वियतनाम के बारे में हमारी नीति का सारे विश्व ने समर्थन किया है।

मेरे विचार में हमें परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि के बारे में अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहना चाहिये। परमाणु अस्त्रों के सम्बन्ध में दो नहीं तीन श्रेणी के देश हैं अर्थात् परमाणु अस्त्र बनाने में समर्थ देश जैसे जापान और भारत। यदि हम इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो हमें हमारे देश की राजनैतिक आकस्मिकता में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रखने का अधिकार रखना चाहिये।

मैंने कुछ दूतावासों का दौरा किया है और मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे द्वीप हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई व्यापार नहीं है और कोई सम्पर्क नहीं है। उनकी अपनी दुनियां अलग ही है। भारतीय दूतावासों का आकार चाहे कुछ भी हो, उन्हें विदेशों में भारत के लिये मैत्री, सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करना चाहिये, वे जिन देशों में स्थित हैं, उनकी हलचलों से अलग नहीं रहना चाहिये हमें ऐसे राजदूत नियुक्त करने चाहिये जो नवयुवकों को प्रभावित कर सकें,

मुझे यह देखकर दुख हुआ कि हमारे कुछ राजदूत विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी नहीं मिलते हैं। राजदूत ऐसे होने चाहियें जो न केवल विदेश में रहने वाले भारतीयों और भारत-वासियों बल्कि विदेशियों और भारतीयों के बीच की दूरी को भी समाप्त कर सकें। ऐसे व्यक्तियों को राजदूत नहीं बनाया जाना चाहिये जो केवल फाइलों पर आदेश देते हैं। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लन्दन में हमारे उच्चायुक्त ने 'हमारी धर्म-निर्पेक्ष लोकतंत्र' के बारे में भाषण दिये। हमें ऐसे राजदूत भेजने चाहिये जो विदेशियों के साथ उनको समझ आने वाली भाषा में बात कर सकें, जो हमारे सिद्धान्तों का प्रचार कर सकें और लोगों को ये सिद्धान्त समझा सकें तथा ऐसे राजदूत नियुक्त नहीं करने चाहियें जो कहें कि हमें 'सी' स्टेशन नहीं चाहिये, हमें 'ए' स्टेशन पर भेजिये। मेरा सुझाव है कि आधे पदों पर सरकारी सेवाओं के व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें और आधे पदों पर जनसेवी व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये क्योंकि सरकारी सेवाओं से लिये गये राजनयिक प्रायः फाइलों के दास होते हैं और नौकरशाहों के हाथ की कठपुतली होते हैं जबकि एक जनसेवी का अपना एक अलग ही दृष्टिकोण होता है और वे भारत का कुछ हित कर सकते हैं।

हमारे जैसे देश के कुछ देशों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम अपने पड़ोसी देशों, भूटान, सिक्किम, नेपाल, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया आदि के साथ मैत्री बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। 1968 का वर्ष "अच्छे पड़ोसी वर्ष" होना चाहिये। हमारे पड़ोसी देश जिस प्रकार की भी सहायता मांगे हमें प्रत्येक स्थिति में उन्हें वह सहायता देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हमें पूर्वी बंगाल और भारत के बीच घनिष्ठता के सम्बन्ध बनाने चाहिये। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान खाई और चौड़ी हो जाये। यदि हम उर्दू को अपने देश में प्रोत्साहन दें, तो पश्चिमी पाकिस्तान से सम्बन्धों में काफी सुधार होगा और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ हमारी भावात्मक एकता बन जायेगी। पश्चिमी पंजाब के लोग, पूर्वी बंगाल के लोग सब हमारे ही भाई तो हैं, पूर्वी बंगाल के लोग सबसे अधिक बंगला भाषा को प्यार करते हैं। हमें उन्हें उच्च-कोटि का बंगला साहित्य भेजने का प्रयास करना चाहिये।

भारतीय सारे विश्व में फैले हुए हैं, चाहे वे पंजाबी हों, सिख हों, मराठी हों, सिंधी हों या राजस्थानी हों। इन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि उनके उद्भव के देश ने उनको त्याग दिया क्योंकि उनमें भारतीय रक्त है। हमें उन्हें गले से लगाना चाहिये और उन्हें स्वीकार करना चाहिये।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मैंने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इसमें भारत तथा विश्व की समस्याओं के बारे में न तो कोई जानकारी ही दी गई है और न ही उनका विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट भगवत गीता में वर्णित निष्काम भावना के आधार पर बनाई गई है। गुट-निरपेक्षता की नीति लगभग 20 वर्ष पहले बनाई गई थी परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र तीव्र गति से चल रहा है। गतिशील जगत में कुछ

विषयों के बारे में हमारी विदेश नीति अचल है, गतिहीन है। मैं नहीं कहता कि गुट-निरपेक्षता की नीति को छोड़ देना चाहिये। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तनों के अनुकूल परिवर्तन होने चाहियें। हमारी विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिये।

यह स्पष्ट है कि हमारे बड़े पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और चीन हमें नष्ट करने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, यदि आक्रमण द्वारा नहीं, तो देश में विघटनवादी तत्वों को बढ़ावा देकर। हमें इन देशों की जनता के साथ तो सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये परन्तु उनके शासकों के प्रति उनके जैसा व्यवहार करना चाहिये। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताशकन्द घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने में कुछ हद तक सहायक रही है। यह एक द्विपक्षीय समझौता है। जब पाकिस्तान ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो एक द्विपक्षीय समझौते को एक पक्ष द्वारा कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने गलती को समझा और उनके मस्तिष्क पर इसके बोझ और आत्म-ग्लानि के कारण ही उनकी एक दूरस्थ देश में मृत्यु हुई।

कुछ लोग कहते हैं कि यदि काश्मीर की समस्या हल हो जाये, तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री हो जायेगी, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। समस्या का हल क्या है, कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता। यह दुख की बात है कि जो शेख अब्दुल्ला श्रीनगर में कहते हैं, वही बात श्री जय प्रकाश नारायण न्यूयार्क में दोहराते हैं। जब कोई भारतीय बाहर जाता है, तो उसे भारत की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का प्रयास करना चाहिये। यदि आप पाकिस्तान काश्मीर को उपहार में भी दे दें तो भी पाकिस्तान सन्तुष्ट नहीं होगा। यदि आप अय्यूब खां की पुस्तक "फ्रैंडस, नाट मास्टर्स" पढ़ें, तो पाकिस्तान के शासकों की मनोवृत्ति आपके समझ में आ जायेगी कि पाकिस्तान काश्मीर का स्वामी बनने के बाद भारत का मित्र बनना चाहता है। लेकिन इसमें भी दुराव है।

चीन ने किसी भी तरीके से भारत को नष्ट करने के अपने इरादों को कभी भी नहीं छिपाया है। श्री नेहरू के समय में श्री डांगे ने यहां पर कहा था कि चीन एक समाजवादी देश होने के नाते भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। परन्तु हुआ क्या ? चीन ने नाथूला और चोला में आक्रमण किया और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चीन तोड़-फोड़ की कार्यवाही तथा अन्य तरीकों से भारत को नष्ट करना चाहता है। इसलिये हमें अपनी विदेश नीति इन बातों को ध्यान में रखकर बनानी चाहिये। जब नक्सलबाड़ी में कथित क्रांति हुई, तो पीकिंग रेडियो ने जोर शोर से माओ के सिद्धान्तों का प्रसारण आरम्भ कर दिया। अब यही वे विद्रोही नागाओं और मिजो लोगों के सम्बन्ध में कर रहे हैं। चीन इस प्रकार का अन्ध विश्वास फैला रहा है कि एक रोगी के सिर पर माओ की पुस्तक रखने से उसका कैंसर दूर हो गया। चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति से आज दुनिया की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंची है।

जब पश्चिमी एशिया में अरब देशों तथा इसरायल के बीच संघर्ष हुआ, तो हमने अरब देशों का समर्थन किया। मैं इस निर्णय के गुण-दोष पर चर्चा नहीं करना चाहता।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

अरब देशों का समर्थन सबसे पहले हमने किया था परन्तु जनवरी 1968 में जोर्डन के शाह हुसेन कहते हैं कि परीक्षा की घड़ी में जोर्डन और अरब देशों का समर्थन करने वाले मित्रों में पाकिस्तान सबसे आगे था तथा अरब राज्य, जोर्डन और पाकिस्तान ने विगत में एक दूसरे का साथ दिया और भविष्य में भी एक दूसरे का साथ देंगे। मैं समझता हूं कि कृतघ्नता की भी कोई सीमा होनी चाहिये। लेकिन जहां तक अरब देशों का सम्बन्ध है, कृतघ्नता की भी कोई सीमा नहीं है।

श्री नेहरू ने अपने व्यक्तित्व मात्र के बल पर भारत की जो प्रतिष्ठा कायम की थी वह उनकी पुत्री की अकर्मण्यता और अनिश्चियात्मकता से नष्ट हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध में यदि कोई राष्ट्र चाहता है कि उसकी बात सुनी जाये और राष्ट्रों के बीच उसका सम्मान हो, उसे सैन्य शक्ति में तथा आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत न तो सैनिक दृष्टि से और न ही आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है। हमारा औद्योगिक आधार सुदृढ़ होना चाहिये।

अब चीन के पूर्णरूपेण परमाणुशक्ति सम्पन्न देश हो जाने से भारत की सुरक्षा को भारी खतरा हो गया है। अमरीका, रूस, और ब्रिटेन, तीनों ने परमाणु आक्रमण से संरक्षण का प्रस्ताव रखा है। लेकिन इससे हमारी इस आशंका की पुष्टि होती है कि समय पड़ने पर यह संरक्षण नहीं मिलेगा। हमला किसे समझा जायेगा यह स्पष्ट करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ बीस साल से विफल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार वर्तमान रूप में अणुप्रसार निरोधक संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहती है। राष्ट्रपति जोनसन बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वियतनाम में युद्ध कम करने का साहसपूर्ण कदम उठाया है, युद्ध चाहने वाले और शांति चाहने वाले हनोई और वाशिंगटन में ही क्या बल्कि सभी जगह हैं। हमारे देश की बात कोई भी नहीं सुनता है क्योंकि हम सैनिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से कमजोर हैं।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बारे कुछ नहीं कहा गया है। हम जानते हैं कि कीनिया के भारतीय लोगों को कीनिया से बाहर निकाला जा रहा है और अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। कीनिया के भारतीयों को जिनके पास ब्रिटेन के पारपत्र थे धोखा देने के लिये ब्रिटेन पर आरोप लगाना व्यर्थ है। हमने भी उनको धोखा दिया है। जब 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया तो तत्कालीन प्रधान मंत्री चाहते थे कि कीनिया में भारतीय लोग भारत के रक्षा कोष में उदारता से योगदान दें। लेकिन जब वे संकट में पड़ गये हैं तो हमने उन्हें भुला दिया है।

रोडेशिया में श्वेत शासन ने वहां के कुछ अफ्रीकी लोगों को फांसी पर लटका कर मानवता के विरुद्ध पाप किया है। लेकिन अंग्रेज सरकार श्वेत शासन के विरुद्ध शक्ति का

कभी प्रयोग नहीं करेगी । इसका कारण यह है कि अंग्रेजों का रोडेशिया में निहित स्वार्थ है । इस समय भी वहां पर 200 ब्रिटिश बैंक कारोबार करते हैं । साथ ही हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि रोडेशिया के पास अफ्रीका में सबसे ज्यादा वायुसेना है और इस वायुसेना में ब्रिटेन के सबसे अधिक लोग हैं ।

हमारा राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र है । लेकिन हमारी सरकार ब्रिटेन के प्रधान मंत्री को यह बताने का साहस नहीं रखती कि यदि उन्होंने रोडेशिया में अवैध श्वेत शासन को समाप्त न किया तो हम राष्ट्रमंडल छोड़ देंगे । इसका कारण यह है कि हम कमजोर हैं । हमारी कमजोरी के कारण ही चीन और पाकिस्तान ने हमारे देश के कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया हुआ है ।

Shri Sheopujan Shastri (Bikramganj) : In order to understand the foreign policy of a Country it is necessary that we must look upon it in context of the present international situation. The world at present is divided into two blocks representing two different ideologies—communism and capitalism. On the one hand, some people believe that economic freedom is the main object but on the other hand some people hold the belief that political freedom is paramount. But history reveals that only one of these two situations cannot exist without the other. Therefore, it is necessary that both these freedoms should exist side by side. Perhaps it is for it that we have adopted the policy of non-alignment.

The world has seen two great World Wars and their after effects. Now the intellectuals of world have felt that if the humanity is to survive, there must not be any other war. But it is a matter of pity that we are also being pressed for having more and more destructive weapons although we have adopted the principle of non-violence. The two things that is the desire for peace and the preparations for war, cannot go together. Similarly, it is also contradictory that on the one side we support the UNO principle that poverty endangers peace, but on the other side we act in a manner which results into bringing more poverty. Hence, we will endeavour to eradicate poverty with a view to have world peace. This can be done only by reducing quantum of expenditure on military preparations.

Nationalism do not have any specific significance now. It is not helpful in solving world's problems. In fact, it is the age of humanism now. Therefore it is necessary to frame our home policy, which is the basis of foreign policy, in accordance with the principles of Gandhiji. The foreign policy should not be self-centred but on the principle of interdependence and we should not be slaves of a particular situation. We should not go in for large scale military preparations.

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के दौरान काफी महत्वपूर्ण भाषण दिये गये हैं । जो कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनमें मुख्य रूप से वियतनाम और अणु प्रसार निरोधक संधि के बारे में ध्यान दिलाया गया है । इस वाद-विवाद का समय ही ऐसा है कि हमारा ध्यान वियतनाम की ओर जाता है ।

31 मार्च को राष्ट्रपति जानसन ने जो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया वह उनका साहसपूर्ण कदम है । हनोई से भी इसका स्वीकारात्मक उत्तर आया है ऐसे क्षण आने पर केवल वक्तव्य देना

और समाचार-पत्रों का सहारा लेना ही काफी नहीं है वरन् इन मामलों पर विचार और परामर्श करना भी जरूरी है। हम बहुत से मित्र देशों के साथ उनके राजदूतों के द्वारा और अपने दूतावासों के द्वारा सम्पर्क स्थापित करते रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति जानसन और होची मिन्ह के पास अपने सन्देश भेजे हैं। हम आशा करते हैं इस प्रकार हम वियतनाम में शान्ति स्थापित करने में सफल हो सकेंगे। और दोनों पक्ष आपस में बातचीत करेंगे। हमने हमेशा यह अनुभव किया है कि 1954 का जेनेवा करार वियतनाम समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। वियतनाम के मामलों का समाधान सैनिक आधार पर नहीं राजनीतिक आधार पर हो सकता है। यही महसूस करते हुए अनेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से उत्तरी वियतनाम पर बमबारी रोकने की हिदायत की है। हमने सम्बद्ध पक्षों को आश्वस्त कर दिया है कि हम एक शान्तिप्रिय देश होने के नाते और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्य एवं प्रधान होने के नाते सभी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अभी तक एक पक्ष के वक्तव्यों को दूसरे पक्ष द्वारा संशय की दृष्टि से देखा जाता है जिससे यह पक्ष नहीं मिल पाते। इस संदेह को दूर करना हमारा काम है।

कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप लगाया है कि हमने दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की चीनी विस्तारवादी नीति से रक्षा करने के लिए प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावशील भूमिका नहीं निभाई है। हमारी नीतियां गहन विचार पर आधारित हैं। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया की सुरक्षा सम्बन्धों अथवा सन्धियों द्वारा नहीं हो सकती वरन् इसके लिए पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक हितों को जानना आवश्यक है। हम आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए यथासम्भव उपाय कर रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें हम निस्संदेह सफल हो सकते हैं। ताशकन्द समझौते को कार्यान्वित करने में काफी कठिनाइयां हैं। पर हमने उसे अमल करने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं और अब वातावरण अपेक्षाकृत अच्छा हो गया है।

राष्ट्रमण्डल छोड़ने की मांग की गई है। यह सच है कि यदि रोडेशिया के मामले को बिगड़ने दिया गया तो राष्ट्रमण्डल के सम्बन्धों में खराबी आ जायेगी। हमें आशा है कि राष्ट्र-मण्डल के सभी सदस्य इकट्ठे होकर इस समस्या को हल कर सकते हैं और उसके बहुजातीय रूप को कायम रख सकते हैं।

अमरीका और रूस के साथ हमारे सम्बन्ध सभी क्षेत्रों में विकसित हो रहे हैं। अफ्रीका के अन्य राष्ट्रों और एशिया के साथ भी सम्बन्धों में हमने काफी प्रगति की है। यूरोप के समाज-वादी देशों के साथ विशेषकर आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध मजबूत हो रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि हमारे इंगलैंड अथवा राष्ट्रमण्डल के साथ सम्बन्धों के कारण हमने फ्रांस के साथ अपने सम्बन्धों की उपेक्षा की है। वास्तव में हम गत दो वर्षों में फ्रांस और उसकी जनता के भी काफी निकट आये हैं।

हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कुछ थोड़ी सी निराशा और परेशानी के सिवाय धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं। वास्तव में हमने अपनी वर्तमान मित्रता को मजबूत बना लिया है और दूसरों के साथ अपने सम्बन्धों का विस्तार करने में हम प्रयत्नशील हैं।

ईरान के महामान्य शाह का दिल्ली में स्वागत किया गया, और उनके साथ उपयोगी-बातचीत हुई। इससे उनके साथ सम्बन्ध और मजबूत हो जायेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ भी बहुत सी समस्याओं पर विचार विनिमय हुआ और अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।

वैदेशिक कार्यों में निश्चितता नहीं होती। इन देशों में से कुछ हमारे बहुत अच्छे मित्र नहीं रहे हैं पर हमें विश्वास है कि मित्रता बढ़ेगी और जहां मतभेद है उसे दूर किया जाना चाहिए और युद्ध की बातों को विफल करना चाहिए।

चीन सरकार एक दिन यह महसूस करेगी कि सारी दुनिया पर एक ही सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न हो। भारत में भारतीय जनता ही अपने इतिहास, परम्परा तथा अनुभवों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। यह परिवर्तन माओं की विचारधारा से नहीं लाया जा सकता।

दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे बढ़ते हुए सम्बन्धों का बहुत कुछ श्रेय विदेश स्थित हमारे दूतावासों को ही है। हमारे राजनयिकों ने विदेशों में बड़ी ख्याति पाई है और सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है।

कुछ लोग अपनी अल्पकालिक विदेश यात्रा के दौरान मिली जानकारी के आधार पर हमारे दूतावासों के कार्यों का मूल्यांकन करने लगते हैं, पर इस प्रकार का मूल्यांकन श्रेयस्कर नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और हम अपने दूतावासों के कार्य में सुधार करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक सम्पर्क तथा आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के कामों के लिए दूतावासों के प्रमुखों को जिम्मेदार समझा जायेगा।

मैंने अणु प्रसार निरोधक सन्धि के बारे में जो 14 मार्च को सभा में भाषण दिया था हम उसी पर दृढ़ हैं। इस सम्बन्ध में देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जायेगा। हमने स्पष्ट कर दिया है कि सन्धि का वर्तमान प्रारूप महासभा के बीसवें अधिवेशन के संकल्प संख्या 2028 से मेल नहीं खाता।

आणविक शक्ति सम्पन्न देशों को चाहिए कि वे निरस्त्रीकरण के लिए कार्यवाही करने के बारे में यथाशीघ्र बातचीत करें। इस प्रकार की बातचीत का संधि में उल्लेख है, पर आणविक शक्ति सम्पन्न देशों के इसमें शामिल न होने और कुछ अन्य देशों द्वारा ऐसे अस्त्रों का निर्माण जारी रखने के कारण यह बातचीत अधिक सार्थक न हो सकेगी। चूंकि संधि के अधीन अपनी

रक्षा के लिए भी आणविक अस्त्रों के निर्माण या प्राप्त करने पर रोक लगाई गई है, इसलिए इस सम्बन्ध में अणुशक्तिविहीन राष्ट्र सहमत नहीं हो सकते ।

भारत सरकार आणविक अस्त्रों का निर्माण नहीं करेगा यह एकतरफा निर्णय कई वर्ष पहले किया गया था और इसका इस संधि से कोई सम्बन्ध नहीं है । राष्ट्रों के बीच भेदभाव समाप्त करने और समानता कायम करने की दृष्टि से हम परमाणु अस्त्रों के निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रयत्न जारी रखेंगे ।

गत अप्रैल के अन्त में महासभा में प्रस्तावित सन्धि पर बहस होगी तो हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि परमाणु हथियार रखने वाले देश संतुलित और भेदभाव से मुक्त संधि की आवश्यकता को समझ जायें ।

संधि पर हस्ताक्षर न करने के कारण राष्ट्र को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है । चूंकि हम सब मिलकर यह निर्णय ले रहे हैं इसलिए हम सबको इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए । यह इस देश की वास्तविक शक्ति की दिशा में बढ़ने का पहला कदम होगा और हम आत्म-निर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे ।

सभा के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों की मांगें स्वीकार कर ली जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 42 से 45 और 62 से 77 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

Cut motions Nos. 42 to 45 and 62 to 77 were then put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 78 सभा में मतदान के लिए रखा गया

सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में 19 : विपक्ष में 140

Cut motion No. 78 was then put. Lok Sabha divided : Ayes 19, Noes. 140,

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1967-68 के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिए रखी गईं और पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
13.	वैदेशिक-कार्य	14,94,31,000
14.	विदेश कार्यालय का अन्य राजस्व व्यय	16,71,13,000

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

छब्बीसवां प्रतिवेदन

Shri Har Dayal Devgun : I beg to move :

"that this House agrees with the Tewenty Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 3rd April, 1968."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो 3 अप्रैल, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

राष्ट्रमण्डल से अलग होने के बारे में संकल्प
RESOLUTION REGARDING QUITTING THE COMMONWEALTH

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रमण्डल से अलग होने के बारे में में श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा पेश किये गये संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। चूंकि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान इस विषय पर पूरी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर दें।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : दक्षिणी रोडेशिया में स्मिथ शासन जो कुछ करता रहा है और कर रहा हैं वह सब मानवता के विरुद्ध एक अपराध ही नहीं है अपितु विश्व जनमत की अवहेलना मानव की अन्तरात्मा के लिए एक चुनौती है। दुनिया के सभी स्वतन्त्रता प्रेमी और सभ्य लोगों ने इस शासन की निन्दा की है। दक्षिणी रोडेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों से हमें सहानुभूति है। वहाँ की जेलों में सड़ रहे और आजीवन कारावास भुगतने वाले लोगों से भी हमें सहानुभूति है।

यह कहना ठीक नहीं है कि भारत ने रोडेशिया से चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन में पर्याप्त सहायता नहीं की। हमने दक्षिणी रोडेशिया और अफ्रीका के अन्य सभी देशों के स्वतंत्रता आन्दोलन को हर प्रकार का नैतिक तथा भौतिक रूप में समर्थन किया है। अफ्रीका के किसी भी देश या अफ्रीकी एकता संगठन ने इस सम्बन्ध में भारतीय उपेक्षा के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की है। भारत सरकार बहुत पहले से दक्षिणी रोडेशिया में बहुमत शासन की मांग करती रही है। हमने अनेक बार संयुक्त राष्ट्र महासभा, राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन, 24 देशों की संयुक्त राष्ट्र समिति और 1966 के लागोस सम्मेलन में इस मांग को उठाया।

रोडेशिया में अफ्रीकियों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाये हैं। जुलाई, 1965 में भारत ने रोडेशिया के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये थे। यू० डी० आई० की घोषणा के तुरन्त बाद व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये, हालांकि उस समय व्यापार संतुलन की स्थिति हमारे अनुकूल थी। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी भारतीय नियंत्रण के मामले में रोडेशिया को राष्ट्रमंडलीय देशों की सूची से निकाल दिया गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने रोडेशिया को पैसा भेजने का अनेक व्यापारियों को जो अधिकार दिया था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। हम रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन द्वारा जारी किये गये पारपत्रों को मान्यता नहीं देते हैं। हम रोडेशिया के उन छात्रों को छात्रवृत्तियां देते है जिनकी पढ़ाई रुक गई हो अथवा जो अपने देश में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमने रोडेशियों के स्वतंत्रता सेनानियों को दवाइयां, फर्स्ट एड का सामान, वर्दियों के लिये खाकी कपड़ा आदि देने का भी निर्णय किया है जिन वस्तुओं की उन्हें शीघ्र ही सप्लाई हो जाने की सम्भावना है।

जहां तक इस समस्या को हल करने के बारे में हमारी नीति तथा ब्रिटेन के उत्तर-दायित्व का सम्बन्ध है हमने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिणी रोडेशिया अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश है। यह देश अभी भी ब्रिटेन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसलिए ब्रिटेन का यह नैतिक और वैधानिक दायित्व है कि वह रोडेशिया की समस्या का समुचित हल ढूंढ निकाले। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारे विश्व के अन्य देशों के प्रयत्नों के बावजूद हम ब्रिटेन को इस बात के लिये आग्रह नहीं कर सके हैं कि वह दक्षिणी रोडेशिया में गैर-कानूनी सरकार को हटाने के लिये उचित उपाय करने के लिये अधिक कारगर उपाय करे। हम ब्रिटेन का रवैया बदलने के लिये हर सम्भव उपाय कर रहे हैं और उस पर दबाव डाल रहे हैं हम ब्रिटेन पर यह भी दबाव डाल रहे हैं कि वह उस देश के विरुद्ध पूर्ण एवं अनिवार्य प्रतिबन्ध लगाये और यदि आवश्यकता पड़े तो स्मिथ सरकार को गिराने के लिये बल का प्रयोग भी करे। हमने ब्रिटेन को यह बात भी समझा दी है कि इस मामले में देर करने से अधिक अड़चने उत्पन्न हो जायेंगी। इससे रोडेशिया को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल जायेगा। और बाद में इस समस्या को हल करना और अधिक कठिन हो जायेगा।

एक बात जो इस सभा के लगभग सभी वक्ताओं ने कही थी वह थी राष्ट्रमण्डल को छोड़ने की। बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि चूंकि ब्रिटेन ने रोडेशिया के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं की है इसलिये हमें राष्ट्रमण्डल छोड़ देना चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें बड़ी जटिलतायें हैं। हमें इस सम्बन्ध में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। जब तक इस संगठन की नींव डालने वाले सदस्य ठीक तरह से अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिये तैयार नहीं हो जाते तब तक इस संस्था के टुकड़े-टुकड़े होने की सम्भावना बनी ही रहेगी। परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि यदि राष्ट्रमण्डल निरपेक्षता तथा ईमानदारी से काम करता रहे तो उसके लिये अब भी बहुत-सा काम करना शेष है। यही कारण है कि हम इस समय राष्ट्रमण्डल को छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इस संस्था को सुदृढ़ किया जाये ताकि वह विश्व की समस्याओं का हल करने में अपना

योगदान दे सके। हमें इस समय यह सोचना चाहिये कि क्या राष्ट्रमण्डल को छोड़ना हमारे हित में है या नहीं तथा क्या इस प्रकार हम रोडेशिया के बारे में अपना निकटतम उद्देश्य पूरा कर सकते हैं या नहीं। हमें इस प्रश्न पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। राष्ट्रमण्डल को छोड़ने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हम राष्ट्रमण्डल में रहकर ही रोडेशिया की समस्या हल करने के लिये ब्रिटेन पर दबाव डाल सकते हैं।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि दक्षिणी रोडेशिया में विद्रोही सरकार समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी सेना भेजनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई स्थायी सेना नहीं है जो रोडेशिया अथवा किसी अन्य देश की विद्रोही सरकार को समाप्त कर सके। तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह उपबन्ध है कि युद्ध में या शान्ति भंग होने की स्थिति में प्रयोग करने के लिये सदस्य राष्ट्रों से एक सेना इकट्ठी की जा सकती है। परन्तु इस उपबन्ध में यह शर्त है कि युद्ध वास्तव में होना चाहिये। इसलिये यह एक व्यावहारिक सुझाव नहीं है।

एक यह भी सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार को उन सभी देशों का एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिये जो रोडेशिया में अफ्रीकियों की स्वतंत्रता के पक्ष में हों। रोडेशिया के मामले में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा हो चुकी है। अतः इन सभी सम्मेलनों के बाद रोडेशिया के बारे में चर्चा करने के लिये एक विशेष सम्मेलन बुलाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। परन्तु फिर भी मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अगस्त में संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है। इस सम्मेलन में 36 देश भाग ले रहे हैं। हमने इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है और यदि उसे स्वीकार कर लिया गया तो हो सकता है कि उसमें रोडेशिया के बारे में भी चर्चा हो जाये।

जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, उसमें व्यक्त की गई भावनाओं से सरकार को पूरी सहानुभूति है क्योंकि इसमें रोडेशिया के स्वतंत्रता सेनानियों की फांसी की निन्दा की गई है। परन्तु जहां तक राष्ट्रमण्डल को छोड़ने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस समय उसे छोड़ने की बात नहीं मान सकते। इस संकल्प के अलावा एक संकल्प श्री विभूति मिश्र द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। वह संकल्प बहुत से माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल है। सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I think that about ten Members have taken part in this discussion and Members from all sides of the House have taken part in this discussion and they have supported the motion for quitting the commonwealth.

Whatever is happening in Southern Rhodesia is almost the same as was happening in South Africa some years ago. It was the feeling of the people at that time too that the Whites are doing injustice to the people of South Africa and therefore political and trade relations should be cut off with South Africa. A discussion was also held in U. N. O. in this connection and U. N. O. passed a resolution in favour of trade sanctions against it. But in practice things

were different. South Africa came to attend the UNCTAD-II. It is the way of the world to react at first against tyranny committed and then to learn to live with it. This is what has happened in the case of South Africa and the same thing will happen in case of Rhodesia also. It is therefore necessary that with a view to help the freedom fighters who have been put behind the bars and who are under death sentence, we should take action in time which might have some material effect. We should show path to the world by quitting Commonwealth.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

The Hon. Minister had said that we can exert more pressure on U. K. by remaining in the Commonwealth. By looking at the past history we find that we have not been able to do so. We could not do anything in the case of Indian Nationals in Kenya. Apart from it when Pakistan attacked us in 1965 U. K. openly came in support of Pakistan—on the question of Kenya Indians also it was U. K's propaganda against Indian Government which led to the refusal of kenya President to meet our Minister.

I fail to understand why people forget that in Rhodesia there is not Smiths Government but in fact it is Britain's Government. Even now it is the British Parliament which makes laws for Rhodesia. So while saying anything Government must keep this thing in mind. The fact is that U. K. has no desire to take strong action against Rhodesia. Therefore the right thing for us is to quit the Commonwealth.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है कि :

"कि संकल्प में,—

"आयन स्मिथ की गैर-कानूनी अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध ब्रिटेन की सरकार की निष्क्रियता की दृष्टि से राष्ट्रमण्डल से तुरन्त अलग हो जाय ।"

के स्थान पर यह रखा जाए,

"ब्रिटेन की सरकार पर यह दबाव डालना कि वह इस गैर-कानूनी सरकार को समाप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय करे जिनमें पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए और दक्षिण रोडेशिया में स्मिथ सरकार के विरुद्ध पूर्ण आदेशात्मक शास्तियां लगाने के लिए सुरक्षा परिषद् से भी आग्रह करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन से संशोधित मुख्य संकल्प को रखता हूं । प्रश्न यह है :

"यह सभा आयन स्मिथ गैर-कानूनी सरकार द्वारा दक्षिण रोडेशिया में स्वतन्त्रता सेनानियों को फांसी दिये जाने की निन्दा करती है और भारत सरकार से ब्रिटेन की सरकार

पर यह दबाव डालने के लिये अनुरोध करती है कि वह इस गैर-कानूनी सरकार को समाप्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय करे जिनमें पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत कार्य करने के लिए और दक्षिण रोडेशिया में स्मिथ सरकार के विरुद्ध पूर्ण आदेशात्मक शास्तियां लगाने के लिए सुरक्षा परिषद् से भी आग्रह करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनाज के व्यापार के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. TRADE IN FOODGRAINS

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मोहन स्वरूप के संकल्प को लेंगे। इसके लिए एक घंटा नियत किया गया है। जहां तक सम्भव होगा हम समय नहीं बढ़ायेंगे ।

श्री जेवियर (तिरुनलवेल्लि) : समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए अन्यथा मुझे अपना संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलेगा।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit) : Mr. Deputy Speaker, I beg to move :

"This House is of opinion that trade in foodgrains be nationalised immediately."

People living in 5,58,000 villages of the country are agriculturists .....

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) Mr. Deputy Speaker, this motion relates to the Ministry of food and Agriculture. But no Minister of that Ministry is present here.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी आ जायेंगे।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाय।''' दूसरी बार घंटी बजाई जाये।''' अब गणपूर्ति हो गई है।

Shri Mohan Swarup: Mr. Deputy Speaker, I was saying that majority of the people of 5,58,00 villages are agriculturists. The foodgrains trade is in the hands of some particular traders who indulge in various malpractices. Most of the Indian farmers have to sell their produce perforce at whatever price is offered to them by the traders because they are too poor to hold their stock and strike a better bargain. The farmer is always at a discount for he is the only producer who cannot fix the price of what he produces.

The traders who purchase the foodgrains from the farmers at a very low rate indulge in various malpractices. They hoard the foodgrains for creating artificial scarcity, adulterate them, indulge in smuggling and sell them to the consumer at very high prices. They make as much as 50 to 100 per cent profit. During the last Chinese aggression foodgrains was hoarded and smuggled to China through Nepal. Could there be greater traitor and the enemy of the country than those who smuggled foodgrains into China at the time of such a crisis. These traders exploit both the farmer and the consumer by giving a very low price for his produce to the former and selling it at a very high price to the latter. There should

not be more than 5 per cent profit. The only way to get over this situation is to nationalise the trade in foodgrains without any delay.

We had not good crops last year. Fortunately this year the food situation has improved to a great extent due to record crop. This year we expect that we will be able to produce 90 to 100 million tons of foodgrains in the country. In order to proper distribution of foodgrain and also to give reasonable price to the producers it is the most appropriate time for the nationalisation of trade in foodgrains. A national body should be set up for taking over this trade. We should also create buffer stock. According to the calculations made by the Agricultural Commission and the Foodgrains Policy Committee, we should build a buffer stock of four million tons and at the same time have a procurement of eight million tons every year. They have also stated that inter-state movement of foodgrains is necessary in order to have improved food situation in the country. The objectives could not be achieved because of the unsatisfactory working of the Food Corporation of India and the existance of zonal system. A price fixation committee has been set up under the Ministry of Food and Agriculture which has been entrusted with work of price fixation. But this committee is not working satisfactorily.

I suggest that there should be an agency which may undertake all the operations related to foodgrains and exercise an overall co-ordination. In this connection the powers and scope of functions of the Food Corporation should be widened and its method of working should be systematized. First of all, its head office should be shifted from Madras to a central place. Secondly, it should have zonal offices in each state and branches in each district. It should procure foodgrains from the farmer at a remunerative price and make them available to the consumer at a reasonable price. The National Seed Corporation should also be merged with it.

There is one more question to be taken into account. No Price Fixation Board has been set up so far. It is, therefore, necessary to have Price Fixation Board to fix reasonable price of foodgrains. This Board should have the representatives of the famers, the Food Corporation of India and the Government and it should fix prices for a quarter whereafter these should be reviewed. The farmer will then gladly sell his produce to the Food Corporation of India. At the same time there should be a provision for rebate. If the farmer is given 2 or 3 per cent rebate he will feel encouraged to bring his foodgrains to the Corporation.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव के लिये एक घंटा नियत किया गया है क्योंकि दूसरा प्रस्ताव भी लगभग इसी प्रकार का है। इसलिये कुछ माननीय सदस्यों को इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिलेगा और कुछ अन्य सदस्यों को दूसरे प्रस्ताव पर।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस संकल्प का शीर्षक ही गलत है क्योंकि प्रस्तावक महोदय समर्थन तो कर रहे हैं अनाज का रक्षित भण्डार बनाने तथा खाद्यान्नों का समाहार करने का किन्तु संकल्प है खाद्यान्नों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के आंशिक व्यापार को अपने हाथ में लेने से किसी प्रकार लाभ नहीं हुआ। जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, उनकी यह शिकायत है कि सरकार जिस मूल्य पर खाद्यान्न बेचती है उसका भी बहुत कम अंश उन्हें मिल पाता है।

दूसरा वर्ग व्यापारियों का है। आज व्यापारी इसलिये बेइमान हो गये हैं कि उनके साथ कोई स्पर्धा करने वाला नहीं है। हम सरकार को इसलिये दोषी कह सकते हैं कि क्योंकि सरकार बाजार में कम खाद्यान्न सप्लाई करती है जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। जब तक मूल्य बढ़ते रहेंगे तब तक जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोरबाजारी की प्रवृत्ति भी बढ़ती रहती है।

तीसरा वर्ग उपभोक्ताओं का है। उपभोक्ताओं की दो श्रेणियां – एक धनी और दूसरी निर्धन हैं। जो लोग धनी हैं उन पर नियंत्रण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वे अपनी मनचाही वस्तु किसी भी मूल्य पर खरीद सकते हैं। जहां तक निर्धन उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, जब बाजार में खाद्यान्नों की कमी होती है और उनपर नियंत्रण लगा दिया जाता है तो उन्हें थोड़ी-सी मात्रा के लिये कई घंटों तक पंक्ति में खड़े रहना पड़ता है और खाद्यान्नों के लिये उस मूल्य से बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है जो उन्हीं खाद्यान्नों का किसानों को दिया गया हो। इतना ही नहीं खाद्यान्नों में रेत और पत्थर भी मिलाये हुए रहते हैं। यहां पर भी निर्धनों को घाटे में रहना पड़ता है।

खाद्यान्नों की क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव सराहनीय है। खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध से लाने और ले जाने में भारत के किसी भाग में कमी नहीं रहेगी और खाद्यान्नों के मूल्य नहीं बढ़ने पायेंगे। क्षेत्रीय व्यवस्था से तस्कर व्यापार बढ़ता है और इस व्यवस्था के समाप्त हो जाने पर तस्कर व्यापार समाप्त हो जायेगा।

खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने से समस्या हल नहीं होगी। इससे लाभ होगा केवल भ्रष्ट अधिकारियों और तस्कर व्यापारियों को। इसलिये खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर खुले बाजार में प्रतियोगिता के आधार पर इस व्यापार के होने से किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा।

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : भारतीय खाद्य निगम सराहनीय कार्य कर रहा है। इस समय उसका कार्य क्षेत्र 14 राज्यों में है। आज यह निगम गैर-सरकारी व्यापारियों से प्रतियोगिता करने की स्थिति में है। इस निगम के स्थापित हो जाने से किसानों को अपने उत्पादों के उचित मूल्य मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा में गेहूं के मूल्य बहुत गिर गये थे। पहले हरियाणा सरकार इस निगम की सहायता नहीं लेना चाहती थी, किन्तु बाद में उस राज्य सरकार ने खाद्य निगम के पास एक एस० ओ० एस० भेजकर उससे खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया। खाद्य निगम ने खाद्यान्न व्यापार अपने हाथ में लेकर स्थिति सुधार दी और खाद्यान्न के मूल्य और नहीं गिरने पाये।

मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि मार्च 1968 तक खाद्यानों की वसूली का 50 लाख टन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या वह पूरा हो चुका है, हमें प्राप्त जानकारी के

अनुसार यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को बताया है कि उड़ीसा में खाद्यान्नों की वसूली का काम संतोषजनक नहीं है क्योंकि वहां के मिल मालिक इस कार्य में निगम को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उस राज्य में तथा इसी तरह की कठिनाई का सामना करने वाले अन्य राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली को जोरदार ढंग से चलाने के लिए सरकार क्या कुछ कार्यवाही कर रही है ?

खाद्यान्न की 9 करोड़ 50 लाख टन से 10 करोड़ टन की रिकार्ड उपज के वर्ष में वसूली का लक्ष्य केवल 50 लाख टन का ही क्यों रखा गया है जबकि कृषि-मूल्य आयोग ने 8 लाख टन खाद्यानों की वसूली के लक्ष्य का सुझाव दिया था। यह भी एक विचित्र सी बात है कि देश में सूखे के कारण खाद्यान्नों की कम उपज के समय 1 करोड़ 10 लाख टन का आयात किया जाता है और इस वर्ष रिकार्ड उपज के समय भी लगभग 80 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है।

चाहे कुछ भी कठिनाइयां अथवा कमियां हों खाद्य निगम के कारण किसानों को अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। सरकार को उत्तरोत्तर खाद्य निगम के कार्य का विस्तार करना चाहिए जिससे निकट भविष्य में खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सके। इस समय खाद्यान्नों का लगभग 26 अरब रुपये का व्यापार गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथ में है। वे इस व्यापार में मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं। खाद्यान्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर वे ऐसा नहीं कर पायेंगे।

Shri B. S. Sharma (Banka) : Mr. Chairman, after two years of drought, there is a bumper crop in the country and the people are hoping that the regional zones will be abolished so that foodgrains may be made available everywhere as a result of free movement. But the Resolution under discussion is not going to achieve this target. According to this Resolution first the foodgrains will be brought in cities for storage and then again will be distributed to the consumer living in cities as well as in villages. Adequate quantity of foodgrains will be wasted in this process.

We have seen how even in partial rationing foodgrains lay rotting in Government godowns but could not reach the people. The Government employees incharge do not care what happens to foodgrains. If there is full-fledged nationalisation, the hardships of the people will only increase. People will have to stand in que for hours for a small quantity of foodgrains. We have also seen how nationalisation on small scale in transport has caused inconvenience to the people and losses to the Government of West Bengal, Bihar and Various other states.

No doubt traders are corrupt and they indulge in malpractices. But I can assure the House if once controls are removed malpractices of traders will automatically come to an end as a result of free and healthy competition. The traders will not be able to earn undue profit provided the free competition is allowed to operate in the market. If you want to eradicate corruption the foodgrain trade, you will have to remove controls and abolish zonal system.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : माननीय सदस्य श्री मोहन स्वरूप के संकल्प का उद्देश्य सराहनीय है। स्वतंत्र भारत में आज भी किसानों का शोषण हो रहा है। हमारे देश का

किसान कड़ाके की सर्दी तथा चिलचिलाती हुई धूप में अपने खेतों में काम करके खाद्यान्न पैदा करता है किन्तु उसको सदैव अभावों में रहना पड़ता है। उसकी सदैव उपेक्षा ही होती रहती है उसे विकास और प्रगति का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है।

हमारे देश में व्यापार के केन्द्र निर्धन किसानों को लूटने और उनका शोषण करने के अड्डे बने हुए हैं। बिचौलिये 100 प्रतिशत ही नहीं अपितु 500 प्रतिशत तक मुनाफा कमाते हैं। ये बिचौलिये होने ही नहीं चाहिये। ये लोग देश में खाद्यान्नों की कृत्रिम कमी पैदा करके अनुचित लाभ उठाते हैं।

किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये तथा सीमेंट, चीनी, लोहा, कपड़ा, उर्वरक, बिजली आदि उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उसे भी उचित मूल्य पर मिलनी चाहिये।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री तथा राज्य मंत्री मूलतः किसान हैं। इसलिए हमें आशा है कि किसानों की दशा में सुधार करने के लिये वे अवश्य कुछ ठोस कार्यवाही करेंगे। हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। अतः देश को समृद्धशाली बनाने के लिये इन लोगों की दशा में सुधार करना आवश्यक है।

इन शब्दों के साथ-साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अब्राहम (कोट्टयम) : इस समय खाद्यान्नों के व्यापार में सबसे अधिक मुनाफा बिचौलियों को होता है। ये लोग किसानों से सस्ते मूल्य पर अनाज खरीदकर जमा कर लेते हैं और बाद में बहुत अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचते हैं। यही कारण है खाद्यान्नों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना अत्यन्त आवश्यक है।

सरकार हृदय से खाद्यान्नों के व्यापार की समस्या को हल करना नहीं चाहती है। सरकार ने 1 अरब रुपये की पूंजी से भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की थी किन्तु उसने देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के केवल तीन प्रतिशत लोगों की आवश्यकता के बराबर ही खाद्यान्न की वसूली की है। राष्ट्रीय खाद्य नीति को कार्यरूप देने की दृष्टि से भी कोई समन्वित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। वह आवश्यकता से अधिक अनाज वाले राज्यों के जमाखोरों से भी अनाज की वसूली करने के लिये तैयार नहीं है। इसके कारण अनाज की कमी वाले राज्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है यदि सरकार शीघ्र ही खाद्यान्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी तो लोग समझेंगे कि सरकार जमाखोरी तथा चोरबाजारी करनेवालों का पक्ष ले रही है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone) : The mover of this Resolution deserves congratulation for bringing it before the House.

Today lakhs of people are working as commission agents and middlemen in the foodgrain trade in the country. They exploit the farmer by paying a very low price to him for his produce. They create artificial scarcity of foodgrains by hoarding them in godowns

and sell them at very exorbitant rates to the consumer. This is such a profitable business that even those members of this class who possess high educational and professional qualifications, prefer to stick to this trade. The need of the hour is to see that the middle-men's activities are completely stopped because it is they who are responsible for the consumer's miseries.

Rice mills and banks in the country should be nationalised. These rice mills keep huge stock of foodgrains and banks advance loans against foodgrains. These middlemen also hoard the foodgrains with help of Jagirdars and ex-rulers. Activities of these people should be curbed. Food zones should de abolished.

We have our Seed Corporation, the Chairman of which is a well known public leader. If the Food Corporation also has a leader of eminence at the helm of affairs it will be very useful because the Corporation has to play a very important role.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : The middlemen and the commission agents engaged in foodgrains trade are exploiting both the farmer and the consumer by giving a low price for his produce to the former and selling it at a very high price to the latter. The farmer cannot sell his produce except through these middlemen and commission agents. In my own district these agents purchase foodgrains at the rate of Rs. 20 to 25 per maunds from the farmer and sell the same at the rate of Rs. 60 to 66 per maund to the consumer. This is the extent of their profiteering. In U. P. and Bihar when people were starving these people had large stocks of foodgrains in their godown.

If the Government really want to improve the condition of our farmer, they should give the remunerative price to the farmer for his produce. This profiteering business should be stopped immediately. The Government should take steps to nationalise the foodgrains trade. The Resolution should be unanimously accepted.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Being both a farmer and a consumer I know the miseries of these two classes of the society. Producers and consumers are both the victims of commission agents and middlemen. They exploit farmers and earn huge profit. The result is that the farmer does not take interest in agriculture. He sells his produce at a very low rate at the time of harvest and purchase the same at a very high price after some time because due to poverty he can not stock his produce even for his own consumption for the year.

Some Hon. Members have advocated the free trade in foodgrains which is not proper. The question of nationalisation of food trade should not be viewed from the ideological standpoint. Even in Japan where there is free economy food trade has been nationalised. In U. S. A. also Government exercise control over foodgrains trade.

I therefore request the House that the Resolution should be unanimously accepted by it.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं श्री महाराज सिंह द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किये गये इस संकल्प की भावना की सराहना करता हूं। यह हम सभी जानते हैं कि विश्व के बहुत से देशों में, जिनमें अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने वाले देश भी शामिल हैं, खाद्यान्न के व्यापार पर सरकार का किसी न किसी रूप में नियंत्रण अवश्य है। भारत जैसे विशाल देश में जहां खाद्यान्न की कमी

है, हम खाद्यान्नों के मामले में व्यापारियों को मनमानी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। हमने खाद्यान्नों के सम्पूर्ण पहलुओं की विस्तृत जांच करने के लिये अनेक विशेषज्ञ समितियां नियुक्त कीं। ये समितियां भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न दिये जाने चाहिए तथा किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य मिलने चाहिए। इस सबका उत्तरदायित्व सरकार पर है। अतः खाद्यान्नों के व्यापार के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है।

भारत में प्रायः देखा जाता है कि फसल कटने के बाद खाद्यान्नों के मूल्य बहुत गिर जाते हैं। किसानों को व्यापारियों की दया पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपनी फसल को व्यापारियों के हाथ सस्ते बेचना पड़ता है। देश में अनाज की कमी के समय ये व्यापारी उपभोक्ताओं को बहुत अधिक मूल्य पर बेचते हैं। इस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही व्यापारी वर्ग की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिलाये और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिलें।

हमें इस मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है। हमें सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहिए तथा वह खाद्य व्यापार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके। इसीलिए सरकार ने खाद्य निगम स्थापित किया है और खाद्य निगम ने पहली बार बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश किया है। हम किसानों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उनसे खाद्यान्न न्यूनतम अथवा समर्थन मूल्यों पर नहीं, अपितु समाहार मूल्यों पर खरीदे जायेंगे। इसके लिए स्टेट बैंक ने निगम को 120 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य निगम को 39 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है तथा सभा के विचाराधीन बजट में भी इसके लिये समुचित व्यवस्था की गई है। इससे खाद्यान्न व्यापार में खाद्य निगम की बहुत अच्छी स्थिति हो जायेगी। किन्तु भारत में एक कठिनाई यह है जनता सरकारी क्षेत्र की उपयोगिता को नहीं समझती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता को सरकारी क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में बताएं जिससे सरकारी क्षेत्र के संगठन को विभिन्न राज्य सरकारों, सरकारी निकायों तथा विभिन्न अन्य पक्षों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके।

मैं सभा तथा स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसके विरुद्ध कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार न केवल किसी सैद्धांतिक आधार पर ही नहीं अपितु जनता की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख कर कोई कार्यवाही करती है।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रायः सभी बातों का उत्तर दे चुका हूं। हमारे देश में स्वतंत्र व्यापार है। स्वतंत्र व्यापार पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यदि खाद्य निगम अधिक से अधिक खाद्यान्न का व्यापार करने लगेगा तो सारी बुराइयां दूर हो जायेंगी।

इस संकल्प के प्रस्तावक से मेरा अनुरोध है कि वह संकल्प को वापिस ले लें क्योंकि इससे समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है। हम इस सम्बन्ध में यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Mohan Swarup: Sir, the farmer is not getting a reasonable and remunerative price even today because he cannot fix the price of what he produces. He will not get justice if the present state of affairs continues. At present they are not united in the country and that is why they have to meet this fate. But, time is not far off when they will unite and fight for their interest. The only way to get over the situation is to nationalise the trade in foodgrains. Therefore, the submission I have to make is the Government should take necessary steps to do the needful. This is the only way to protect the interests of the farmers and consumers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य से अपना संकल्प वापस लेने की अपील करता हूं।

Mr. Speaker: Is he willing to withdraw his resolution?

Shri Mohan Swarup: I am prepared to withdraw it now after the Hon. Minister's assurance that he would give a serious thought to the matter.

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया
The Resolution was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब श्री नन्दकुमार सोमानी खाद्यान्नों के लाने-ले जाये जाने के बारे में अपना संकल्प पेश कर सकते हैं।

खाद्यान्न लाने-ले जाने के बारे में संकल्प
RESOLUTION REGARDING MOVEMENT OF FOODGRAINS

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि चालू वर्ष में अनाज के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अनाज के लाने-ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध तुरन्त हटाये जायें।"

भारत सरकार ने देश में खाद्य क्षेत्र राजनैतिक आधार पर बनाये हैं जिनसे अनावश्यक आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। किसान और देश दोनों के हित को ध्यान में रखते हुए इन खाद्य क्षेत्रों का समाप्त करना आवश्यक है। जहां तक अनाज का सम्बन्ध है, इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप आज देश में प्रत्येक ने पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न, स्वतंत्र राज्य का रूप ले लिया है।

वर्ष 1966-67 में हमारी उपज लगभग 7 करोड़ 50 लाख टन थी जो इस वर्ष अनुमानत: 950 से 1050 टन तक होगी। दुर्भाग्यवश इस सरकार के पास खाद्यान्नों के आंकड़े

एकत्रित करने की कोई प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग अधिकारी अलग-अलग बात करते हैं। हाल में एक दिन उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि बहुत अच्छी फसल नहीं हुई है। यह केवल सामान्य फसल है। इसके बाद हमने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का यह दावा सुना कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है। योजना आयोग से हमने एक तीसरी बात सुनी। इस सारे भ्रम में, देश यह नहीं जानता कि वास्तविक स्थिति क्या है।

पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी मात्रा में अनाज का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप केवल काफी विदेशी मुद्रा ही खर्च नहीं हुई अपितु हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। आखिर हम विदेशों से आयात तथा अनाज की सप्लाई पर बहुत देर तक निर्भर नहीं रह सकते, जब तक यह नहीं दिखाते कि हम इस समस्या को हल करने के लिये कटिबद्ध हैं, तब तक कोई भी देश निरन्तर हमारी सहायता करने के लिये तैयार नहीं होगा।

यह दुःख की बात है कि पिछले बीस वर्षों में हम अनाज जमा रखने की अपेक्षित क्षमता का निर्माण तक नहीं कर सके हैं, हमारी कुल क्षमता 23 लाख से कम है।

मंत्रालय ने पिछले वर्ष की अपनी रिपोर्ट में केवल महीनेवार औसत अखिल भारतीय मूल्य दिये हैं। हमें यह आशा थी कि प्रतिवेदन में प्रत्येक राज्य के हर महीने के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्यों का उल्लेख होगा ताकि फालतू वाले और कमी वाले राज्यों के बीच भारी विषमता का स्पष्ट चित्र जनता के समक्ष आ सके, औसत अखिल भारतीय आंकड़ों का लाभ क्या है ? जब तक राज्यों के बीच मूल्यों में विषमता का पता नहीं चलता हम ठीक तथा एक-समान नीति निर्धारित नहीं कर सकते। वास्तव में राज्य व्यापार निगम फालतू वाले राज्यों से अनाज कम मूल्य पर खरीद रहा है और उसे कमी वाले राज्यों में ऊंचे मूल्यों पर बेच रहा है। कमी वाले तथा फालतू वाले राज्यों के बीच मूल्यों में भारी असमानता के कारण ही अनाज की एक राज्य से दूसरे राज्य को तस्करी हो रही है।

हमें वास्तव में एक अतिरिक्त भंडार की बहुत आवश्यकता है। लेकिन अब तक जो नीति अपनाई गई है उससे देश में कोई खास अतिरिक्त भण्डार का निर्माण करने में सहायता नहीं मिलेगी। सरकार को बहुत छोटे किसानों को छोड़कर जो मुख्य रूप से अपने तथा अपने परिवार के गुजारे के लिये अनाज पैदा करते हैं, देश के अन्य सभी किसानों से, चाहे वे फालतू वाले राज्य में हों अथवा कमी वाले राज्य में एक-समान आधार पर खरीद करनी होगी। इसके साथ-साथ खरीद का अनुपात एक-सा हो और जो फसल का कुछ प्रतिशत हो। इस आक्रामक खरीद नीति के आधार पर, अनाज के व्यापार के सभी सामान्य साधनों का प्रयोग करके, हमें अनाज का अतिरिक्त भंडार बनाना जरूरी है।

मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार जल्दी ही इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटायेगी ताकि उससे केवल किसानों को ही नहीं अपितु अनाज के व्यापारियों, देश तथा उपभोक्ताओं को लाभ हो सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"इस सभा की राय है कि चालू वर्ष में अनाज के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए, अनाज के लाने-ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध तुरन्त हटाये जायें।"

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): The Resolution seeking abolition of food zones and removal of zonal restrictions on the movement of foodgrains deserves consideration. These restrictions which were also a factor responsible for fluctuations in the prices of foodgrains cannot solve our food-problem. The food zones have rather jeopardised the interests of the farmers and that is why they are demanding enlargement and preferably abolition of these zones.

The farmer should get remunerative price for his produce. It is good that the Food Minister has assured the House that prices of foodgrains will not be allowed to fall below a certain level. The farmers have taken keen interest in increasing production. They are using new methods of cultivation. We have a bumper crop this year and efforts should be made to see that the farmers do not suffer due to fall in prices of foodgrains. Apart from this, we need to have a uniform system of distribution of foodgrains throughout the country with a view to ensuring availability of foodgrains at reasonable prices to the consumers. It is also necessary to remove disparity in prices and there should, therefore, be uniform prices of foodgrains in the country.

Today we realise that agricultural development is necessary for economic development of the country. So it should be our policy to see that agriculture is allowed to develop unfettered. Our food policy should be based on the principle of expansion. We should not impose restrictions on the movement of foodgrains when it is not in the larger interest of the country. Unnecessary restrictions cause fluctuations and disparity in prices and create new troubles to develop.

The Food Corporation has been facing a number of difficulties and recently the Haryana State Government imposed certain restrictions when it entered the market there. But its activities should expand to all the States and it should purchase foodgrains in a big way. The Finance Ministry should give them more financial assistance. Bank credit should also be given to this corporation instead of the speculators. Steps should be taken to gradually increase the scope of the Food Corporation of India.

So far as post-harvest facilities are concerned, the Government do not have adequate warehousing capacity. It does not exceed 2.5 million tonnes. Necessary steps should be taken to augment their storing capacity.

Shri Kanwar Lal Gupta: The policy of forming Food Zones and imposing zonal restrictions was wrong. These food zones will not solve our food problem. These zones have caused wide disparity in prices of foodgrains in different parts of the country. The Food Zones have led to controls, corruption, and red-tapism. Anti-social elements have benifited from these restrictions which encouraged smuggling in foodgrains. The farmer and the consumer had to suffer. It was the primary duty of the Government to protect the interests of the farmer and consumer and the Government have failed to do so. There zones have

divided the country into many parts. Our country is one whole and there should not be a feeling among people of a particular area that they are being discriminated. But the policy of disparity between deficit state and surplus state has created a feeling of this kind among the people.

Today smuggling in foodgrains is going on on a large scale for which these zonal restrictions are responsible. These have encouraged smuggling. Corrupt traders, Corrupt Police Officers, Railway Officers and officers of the Food Department are engaged in corrupt practices and making money. These Corrupt Officials are against the removal of these restrictions because their removal will deprive them of their irregular income. Removal of restrictions on the movement of coarse grains is welcome. Food Zones should also be abolished.

Food Corporation is doing a good service. But profiteering is bad and this corporation also should not indulge in profiteering. There are several instance where this corporation earned a profit of upto 50 per cent. It is a very high margin of profit and it should be checked. The Food Corporation should compete with traders in the open market.

With these words, I support the Resolution.

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada) : Sir, the Government have abolished restrictions on the movement of jowar, Barley and maize, but there are still restrictions on the movement of wheat. The result is that the farmers of these States which have produced more wheat and grain are at a great disadvantage. This policy of discrimination is highly unjustified. These food zones have divided the country into many parts and these are rather against the interest of our National unity. The Government should, at least keeping the unity of the country in view, abolish these food zones.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : सूखे की स्थिति में हमने कुछ आपात उपाय किए जिन्हें जारी रखना अब उचित नहीं है। हम अब भी अनाज की वसूली कर रहे हैं, किन्तु वसूली के बाद जो अनाज बच जाता है उसके लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या लाभ है ? इन खाद्य क्षेत्रों को बनाकर सरकार अनाज की वसूली के बाद बचे हुये अनाज के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा रही है। इस नीति के परिणामस्वरूप कहीं तो अनाज फालतू है और कहीं लोगों को अत्यधिक दाम देकर भी मुश्किल से मिल रहा है। सरकार को इन खाद्य क्षेत्रों के बारे में फिर से विचार करना चाहिए और उन्हें तुरन्त खत्म कर देना चाहिए। इसमें कोई औचित्य नहीं है कि देश के एक भाग में लोगों को किसी मूल्य पर अनाज मिले और दूसरे भाग में बिल्कुल अलग मूल्य पर अनाज मिले।

सूखे के दौरान हमने वसूली द्वारा तथा सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार में एक दूसरी पाइप-लाइन बनाई है और दो अच्छी बरसातों के बाद हमें इस पाइप-लाइन को नष्ट नहीं करना चाहिए। सरकार अथवा उसके अभिकरणों द्वारा अनाज की खरीद किये जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु खाद्यान्नों को लाने-ले जाने की छूट होनी चाहिए।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सरकार क्षेत्रीय प्रतिबन्धों की समस्या को देश में खाद्य अर्थ-व्यवस्था का स्थायी अंग नहीं मानती।

जैसा कि श्री सोमानी जी को खुद अच्छी तरह पता है, हमने देश में अच्छी फसल की सम्भावना को ध्यान में रखकर हाल में कुछ परिवर्तन किये हैं। उदाहरणार्थ, दालों के अतिरिक्त चने और जौ के लाने-ले जाने की भी देश भर में छूट दी गई है। साथ ही, हरयाणा, पंजाब और राजस्थान से अन्य राज्यों को मक्का, बाजरा और ज्वार ले जाने की छूट दी गई है।

पिछले दो वर्षों में देश में स्थिति बहुत कठिन थी। यदि हम क्षेत्रीय प्रतिबन्ध की नीति न अपनाते, तो हम इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर पाते। खाद्यान्न नीति समिति जिसमें केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं अपितु अर्थशास्त्री भी हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान परिस्थितियों में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध नितान्त आवश्यक हैं। यह हो सकता है कि इस दृष्टिकोण से कुछ माननीय सदस्य सहमत न हों—वह दूसरी बात है।

हमारे देश में कुछ क्षेत्र तथा कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी क्रयशक्ति बहुत कम है, यदि खाद्यान्नों के लाने-ले जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो और अबाध व्यापार की सुविधायें हों, तो इन वर्गों को नुकसान होगा। इसीलिए राज्य सरकारों ने जो जिम्मेदार स्थिति में थे और जब उन्हें कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा, तो दलों के प्रति राजनैतिक निष्ठा के बावजूद, यह दृष्टिकोण व्यक्त किया कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जारी रखे जायें।

जहां तक जिला-क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम उन्हें बिलकुल प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, हम इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अपील करेंगे कि कम से कम राज्य के अन्दर अनाज लाने-ले जाने की छूट होनी चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को फिर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि खाद्य स्थिति के सुधरते ही, हम मुख्य मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करके इस मामले पर विचार कर सकते हैं और माननीय सदस्यों तथा राज सरकारों के सहयोग से ऐसी खाद्य नीति बना सकेंगे और अपना सकेंगे जो सारे देश के लिये सर्वाधिक उपयोगी होगी।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मंत्री जी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों, मूल्यों में विषमता, लोक-मत आरोपों, कृषकों को लाभ आदि के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझसे जल्दी समाप्त करने को कहा गया ताकि एक माननीय सदस्य को अपना संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। मैं उठाये गये सभी अन्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

सभापति महोदय : श्री जेवियर को अपना संकल्प पेश करने का अवसर देने के लिये मंत्री जी से अपना भाषण शीघ्र समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। मैं इस संकल्प को अब सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं।

प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Motion was put to the vote of the House and was negatived.

———

योजना आयोग का पुनर्गठन
RE-ORGANISATION OF PLANNING COMMISSION

श्री जेवियर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग का पुनर्गठन किया जाये ।"

सभापति महोदय : सदस्य महोदय आगामी अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं । अब हमें आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करनी है ।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के बारे में आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : DELHI WAQF BOARD

Shri Kanwar Lal Gupta : The Delhi Waqf Board which should have been constituted on 30th September, 1967 has not been constituted so far. The main reason for the delay is that the Central Government, particularly Shri F. A. Ahmed, the Minister of Industrial Development and Company Affairs does not want to Constitute this Board in accordance with the recommendations of the Delhi Administration. Section 11 of the Waqf Board Act says clearly that the Members of the Board shall be appointed by the State Government by notification in the official Gazette from any one or more of the following categories of persons namely State Legislature, Parliament and other persons also. So the constitution of the Waqf Board was the concern of the popular set-up here and no union Minister should have irterferred. But Shri F. A. Ahmed had interferred in the matter in order to keep out certain persons and make political capital out of the matter.

The union Minister, Shri F. A. Ahmed did not like the list of Members submitted by the Chief Executive Councillor and said that there was a difference of opinion between the Chief Executive Councillor and the Lt. Governor of Delhi : This is wrong. The difference of opinion was created by the union Minister by putting pressure on the Lt. Governor. Even the Prime Minister has been brought into the picture.

But who are there in the Board ? We have no objection to the inclusion of good persons in the Board who can serve the Muslim Community. But Shri Musthassan Farooqui who has been taken on the Board had once been detained for seven months for anti-national activities in Kashmir. The Central Government should have selected good persons for the membership of the Board. We have no objection to the inclusion of Shri Mir Musthaq Ahmed provided he serves the Muslim community. But he is involved in politics. We want persons in the Board who can improve the conditions of mosques.

We cannot tolerate desecration of mosques.

There are cases where some of the persons proposed for Membership of the Board by the Union Minister are making large sums of money by demolishing mosques in certain business areas of Delhi, building shops there and letting those shops after charging laks of rupees as "Pagari". Our party does not believe in hypocracy. The Jan Sangh Administration will not tolerate this sort of desecration of mosques. There is another example. There is a graveyard in Chhattarpur which has been given to a relative of Chaudhery

Brahma Prakash and that fellow is running a poultry farm there. An independent committee should be set up to look into the activities of the Board in regard to demolition and misuse of mosques.

So far as the appointment of the Secretary of the Board is concerned, I would like to invite your attention to section 21 of the Waqf Board Act which says :

"There shall be a Secretary to the Board who shall be a Muslim and shall be appointed by the State Government in consultation with the Board."

..... But after the expiry of the term of the Board, the selection of the Secretary has to be made in consultation with the State Administration. But in the case of the continuance of the Present Secretary, the Delhi Administration has not been consulted. Thus the continuance of the present secretary is illegal.

So far as the inclusion of persons in the Board is concerned, I have a submission to make. Good persons, who are interested in protecting the mosques and in improving their conditions should be made the members of the Waqf Board. Persons of good conduct and integrity should be included in the Board irrespective of whether he belongs to a certain political party. If a good muslim is in the Jan Sangh he should also be appointed as a member of the Board.

So far as co-operation of the Delhi Administration is concerned, I would like to emphasise that the Delhi Administration should be taken into confidence and if that is done, I may, on behalf of the Delhi Administration, assure the House that this Board will receive the maximum co-operation from the Administration.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या यह सच है कि दिल्ली जनसंघ प्रशासन ने इस बोर्ड के लिये जिन सदस्यों की सिफारिश की है, उनमें से अधिकांश लोग जातीय तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं ? दूसरा यह कि क्या मस्जिदों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लगाये गये गम्भीर आरोप सच हैं और क्या इस बारे में कोई जांच समिति नियुक्त की जायेगी ताकि उनकी पवित्रता बनाई रखी जा सके और इन सम्पत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके ?

श्री लोबो प्रभु : किसी दूसरे सम्प्रदाय के मामलों में अवांछनीय दिलचस्पी से गलतफहमी पैदा होती है। इस विवाद का सम्बन्ध राजनीति से कतई नहीं है। वह पूर्णतः एक धार्मिक मामला है। किसी अल्प संख्यक समुदाय के धार्मिक और सामाजिक मामलों को उसी सम्प्रदाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए और उनमें बहुसंख्यक समुदायों को दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : It is regretted that there are several mosques in Delhi which are not under the control of the Muslims. It is a matter of pleasure that my Hon. friend Shri Kanwar Lal Gupta, who has raised this discussion has shown keen interest in the religious affairs of the Muslims and I am sure that the Central Government would, with the Co-operation of the Delhi administration which is now under the control of the Jan Sangh, get these mosques restored to the Muslims.

Perhaps the list of the Board Submitted by the Delhi Administration included the names of those persons also who are in occupation of the Waqf properties. Such defaulters cannot be appointed as members of the Board. The Minister should clarify the position in this regard.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs(Shri F. A. Ahmed): It is necessary that the mosques or other places of worship belonging to any minority community which are under the illegal occupation of others should be restored to those communities and I hope that the Hon. Member forceful arguments will create a favourable climate for their early restoration.

Non-interference by majority community in the religious affairs of any minority community is always good for harmonious relationships between different communities. Matters pertaining to religious properties should also be left to the care of the respective communities.

My Hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta has alleged that I had exerted pressure on the Lt. Governor of Delhi in order to keep out certain persons from the Delhi Waqf Board. This allegation is baseless. I had called the Lt. Governor for discussion only after receipt of a letter from him in regard to the constitution of the Board. Seven of the eleven names suggested by the Lt. Governor had been accepted. In regard to four names I had placed my views before the Lt. Governor for his consideration.

My friend Shri Kanwar Lal Gupta has objected to the inclusion of Shri Mustahsan Forooqui's name as he had been under detention for some time. According to his contention detention disqualifies a person for inclusion in the Board. In this connection I want to submit that he was one of those many Muslims who were detained at the time of conflict with Pakistan. All those persons were later on released without trial. There was no specific charge against Shri Farooqui and as such the question of his disqualification does not arise.

The Hon. Member has also alleged that I suggested the name of Shri Mir Mustaq Ahamed. I want to clarify that his name was already there in the list furnished by the Governor.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि श्री अनवर देहलवी का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया ? वह महानगर परिषद् के सदस्य हैं तथा बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या उनका नाम केवल इसलिये शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वह जनसंघ के सदस्य हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उनके नाम को शामिल न करने का यह कारण नहीं है कि वह जनसंघ के सदस्य हैं, बल्कि उनका नाम इसलिये शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध कई आरोप हैं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : आरोप तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाये जा सकते हैं। क्या आपने उन आरोपों की जांच की है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वह वक्फ बोर्ड अधिनियम की धारा ग्यारह की शर्तों को पूरी नहीं करते हैं और इसलिये उनका नाम शामिल नहीं किया गया है।

मुझसे दो सवाल और और पूछे गये थे, जिनमें एक सवाल यह था कि क्या चौधरी ब्रह्मप्रकाश को कोई चीज दी गई है ? इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश

से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कब्रिस्तान के पट्टे के लिये अनुरोध किया गया था। वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति समिति के प्रस्ताव पर वक्फ बोर्ड में विचार-विमर्श किया था तथा वक्फ बोर्ड ने सम्पत्ति समिति के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था कि पट्टे के आवेदन-पत्र को रद्द किया जाये। वक्फ बोर्ड ने यह भी प्रस्ताव पास किया था कि कब्रिस्तान की पवित्रता बनाये रखने का श्री ब्रह्म प्रकाश से अनुरोध किया जाये।

माननीय सदस्य ने दरियागंज की किसी मस्जिद का भी उल्लेख किया था। मैं समझता हूं शायद वह रोशनउद्दोला मस्जिद का जिकर कर रहे थे। जहां तक इस मस्जिद का सम्बन्ध है, इसके पुनर्निर्माण के बारे में बोर्ड द्वारा हाल में ही एक योजना बनाई गई है और इसके चारों ओर दुकानें भी बनाई जायेंगी। बोर्ड ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है तथा बोर्ड यह एक अच्छा काम कर रहा है।

Now I come to the question of the appointment of the Secretary of the Board. So far as the appointment of the Secretary is concerned, he was appointed by the Board on temporary basis. Now he is on leave since 12th January, 1968. At present a Member of the Board is working as an Hon. Secretary of the Board. The Board has decided to terminate the services of that Secretary and an advertisement for this post was given on 23rd February. The last date of the receipt of applications is 16th March. I want to say that no Secretary has been appointed by the Board so far and at present an Hon. Secretary is working. The Board is being reconstituted and I have received no complaint against any of the Members of the old Board. However two or three complaints have been received against the Board, which are being investigated.

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 8 अप्रैल, 1968/19 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 8, 1968/Chaitra 19, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 1-10-68—600.